खण्ड-439, अंक-3
गुरूवार, 3 ज्येष्ठ, शक संवत् 1923
(24 मई, 2001 ई0)

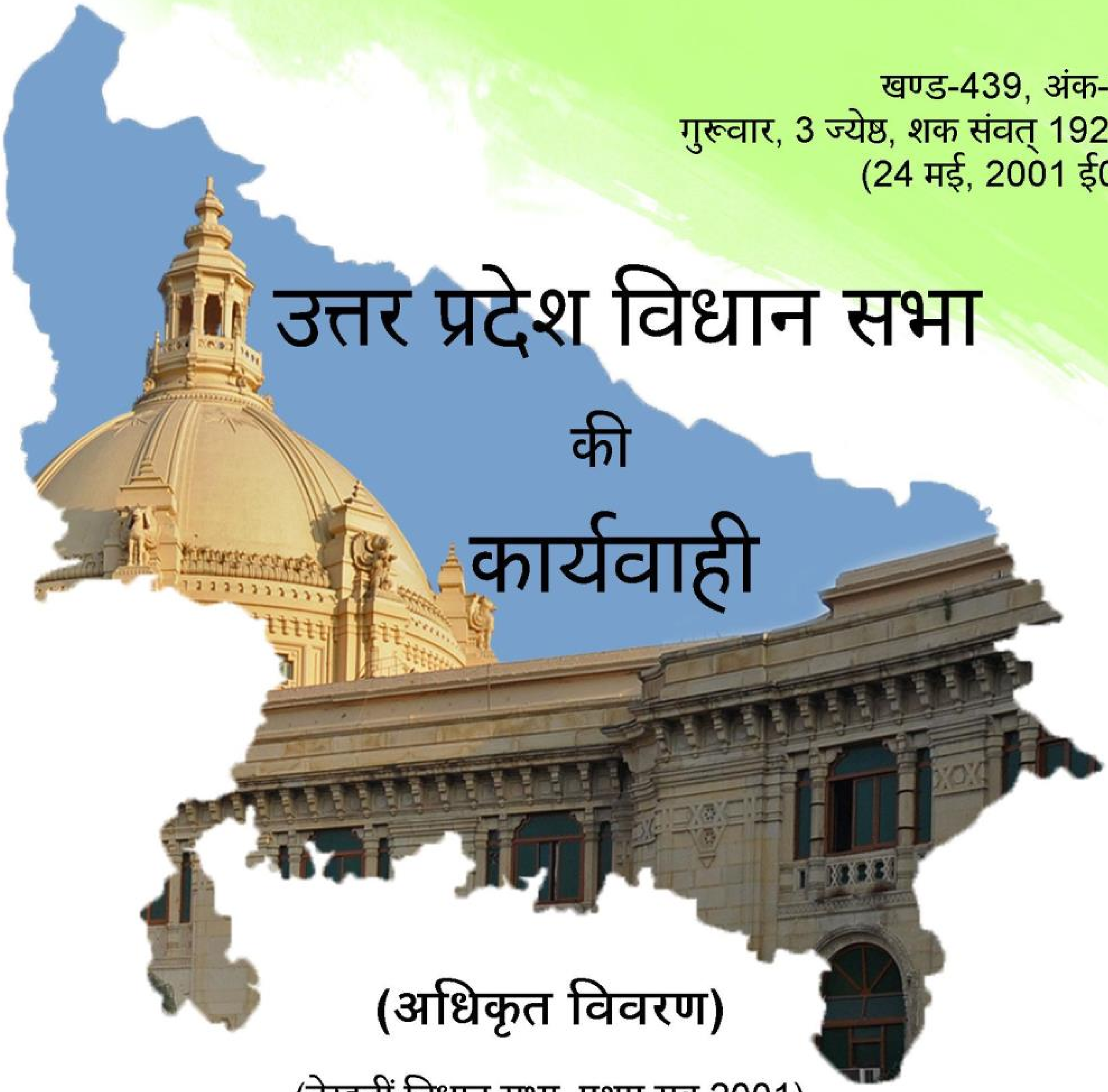

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 439 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ग
वाराणसी में किसानों के उत्पीड़न से सम्बन्धित नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास....	1
प्रश्नोत्तर	1-5
आज की कार्य सूची की नत्थी (क) के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर गलत दिये जाने पर सदन की अवमानना की मौखिक सूचना	5-6
प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभ दिलाने हेतु कृषि को उद्योग का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी	6-7
प्रश्नोत्तर	7-34
आज की कार्य सूची की नत्थी (ग) के अतारांकित प्रश्न संख्या–7 के उत्तर की सूचना एकत्र की जा रही है पर व्यवस्था का प्रश्न एवं उस पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	34
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	34-35
जनपद जौनपुर के ग्राम मेंहोड़ा में तेज हवा एवं तूफान के कारण तीन लोगों की मृत्यु के फलस्वरूप मृतक परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
मुरादाबाद मण्डल के कतिपय जनपदों में पेट्रोल एवं डीजल में की जा रही मिलावट को रोकने एवं दोषियों के विरुद्ध जांचोपरान्त कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
जनपद फतेहपुर के ग्राम रसूलपुर में पुनः द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36
स्थानीय निकाय के सफाई कर्मियों व अन्य कर्मचारियों का जी०पी०एफ० फण्ड का पैसा उनके खाते में जमा न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36
नोयडा जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम बरौला में किसानों के मकानों व दुकानों की तोड़फोड़ के दौरान पुलिस व नोयडा कर्मियों द्वारा किये गये बल प्रयोग के फलस्वरूप हुई एक व्यक्ति की मृत्यु तथा उसके परिजनों को सहायता दिलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36-37
जिला जालौन की सहकारी दूध डेरी में व्याप्त गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	37
प्रश्नों के उत्तर समय से प्राप्त न होने के कारण प्रश्नों की संख्या में गिरावट होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	37-40

विषय	पृष्ठ-संख्या
मा० सदस्यों की घटती अभिरुचि के कारण प्रश्नों की संख्या में गिरावट होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	40-44
पुलिस आरक्षियों के वेतनमान को पुनरीक्षित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	44-46
नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर स्वीकृत वक्तव्य के समय सम्बन्धित मंत्री की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	46-48
वर्ष 2000-2001 के राजस्व अनुदानों पर दिनांक 13 मई, 2000 को दिये गये बजट भाषण में संशोधन हेतु राजस्व मंत्री का शोधन वक्तव्य	48
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)	49
वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा न दिये जाने तथा लाठी और गोली चलाये जाने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना	49-61
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	61-62
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत) ...	62
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायतीराज) (स्वीकृत) ...	62-63
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	63
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत)	64
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) ...	64-65
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	65-66
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में "काला बन्दर" नामक आतंकवादी संगठन की गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रूप चौधरी द्वारा दी गई सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	67-71
जनपद बदायूं में ग्राम नगला अजमेरी से मालपुर तक गंगा नदी के किनारे तटबन्ध के सम्बन्ध में श्री ओंकार सिंह द्वारा दी गई सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	71

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद हरदोई के गल्लावां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में डा० धर्मज्ञ मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	72
जनपद गोण्डा में विद्युत उपकेन्द्र, मनकापुर के अन्तर्गत आने वाले सभी फीडरों पर निर्धारित मानक के अनुरूप विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	72-73
जनपद मऊ में पोस्टमार्टम हाउस होने के बावजूद स्टाफ के अभाव में संचालित न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बसीम अहमद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	73
जनपद लखीमपुर और सीतापुर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क लखीमपुर–लहरपुर (सीतापुर) के चार किमी० क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० कौशल किशोर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	73-74
जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत विधायक कोटे के ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दद्दू प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	74
जनपद मथुरा में खाद्य एवं रसद विभाग में व्याप्त-भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	74-77
जनपद बहराइच और श्रावस्ती में स्वीकृत तथा अधूरे पड़े मार्गों का निर्माण शीघ्र न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	77-78
नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत जमीनों का मुआवजा दिये जाने में एक करोड़ से ऊपर के प्रस्तावों हेतु जिलाधिकारी को अधिकृत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	78-79
मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा गंगानगर तथा नगला तासी के किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	79-83

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद हमीरपुर के लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय को चित्रकूट धाम मण्डल के अन्तर्गत स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामाधार सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	83-84
वर्ष 2000-2001 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नयी परियोजनाओं का निर्माण प्रदेश के समस्त जनपदों में रोक दिये जाने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी व अन्य द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन	84
प्रदेश में फर्जी चिकित्सकों की गतिविधियों से निपटने के लिये वर्तमान कानून के स्थान पर कोई नया कानून बनाये जाने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन ...	84

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 24 मई, 2001

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार, श्री	जौनपुर
आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना
आर्य राम शरन, श्री	हाथरस
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कासिम हसन, श्री	फतेहपुर
कृष्णपाल सिंह, श्री	कानपुर देहात
केशो मेहरा, श्री	आगरा
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव
गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच
छोटे लाल राजभर, श्री	बलिया
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री	गोरखपुर
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद
प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया
फतेह बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बांके लाल सोनकर, श्री	जौनपुर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबू राम, श्री	जालौन
बिहारी लाल आर्य, श्री	झांसी
भगवान सिंह शाक्य, श्री	बदायूं
भाई लाल, श्री	मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
मुन्ना लाल मौर्य, श्री	फतेहपुर
मुराद लारी, श्री	देवरिया
मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
यशवन्त , श्री	आजमगढ़
रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रमापति शास्त्री, श्री	गोण्डा
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
राजधारी, श्री	बलिया
राजनाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
राजा गजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राजाराम पाल, श्री	कानपुर देहात
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र यादव, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम कुमार एडवोकेट, श्री	उन्नाव
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम नाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम पाल सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम बाबू हरित, डा०	आगरा
राम रतन यादव, श्री	सुल्तानपुर
राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
राम ललित चौधरी, श्री	बस्ती
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय, "विन्नू", श्री	गोण्डा
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विभूति प्रसाद निषाद, श्री	आजमगढ़
विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिव शंकर, श्री	बांदा
शेर बहादुर, श्री	अम्बेडकर नगर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीराम, श्री	मऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
समरपाल सिंह, श्री	मेरठ
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
हरिनारायण, श्री	बलिया
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

विधान सभा उत्तर प्रदेश

विधान सभा प्रदेश

गुरुवार, दिनांक 24 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

वाराणसी में किसानों के उत्पीड़न से सम्बन्धित नियम–311 के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बनारस गया था वहां जो तथ्य आए हैं मैंने नियम–311 के अन्तर्गत सूचना दी है मेरा आपसे अनुरोध है उसे सुन लिया जाए क्योंकि वह बहुत गम्भीर तथ्य हैं जन-जीवन वहां पर अस्त-व्यस्त है । मान्यवर, मैं सूचना पढ़ना शुरू कर दूं ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है कि प्रश्नकाल हो जाए, क्योंकि अभी परसों चर्चा हुई है आप या आपकी टीम मौके पर गई उसने तथ्य एकत्रित किए मैं आपकी सूचना की प्रति शासन के पास भेज देता हूं । नियम–56 जब आएगा तब इसको सुन लेंगे उस समय अगर आवश्यकता होगी तो हम चर्चा भी करा देंगे ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

इंस्पेक्शन रिपोर्ट हमें मिल जाती ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी टीम ने जो तथ्य इकट्ठे किए हैं, वह आप संसदीय कार्य मंत्री जी को दे देंगे तो यह भी देख लेंगे ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बल वर्गों हेतु आवासीय नीति

**1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बल वर्गों हेतु कोई आवासीय नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या और वह कब से लागू है ? क्या उसकी सफलता का मूल्यांकन कराया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले निर्बल वर्ग के लाभार्थियों हेतु निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना बनाई गयी थी ।

उक्त योजना वर्ष 1988-89 में प्रारम्भ की गई तथा वर्ष 1996-97 तक क्रियान्वित रही । वर्ष 1997-98 से यह योजना स्थगित कर दी गयी ।

योजना की सफलता का मूल्यांकन (सत्यापन) कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

अध्यक्ष जी, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है, मैं माननीय मंत्री जी ने जानना चाहता हूं कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बल वर्गों हेतु कोई आवासीय नीति बनाई गई है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि योजना बनाई गई योजना वर्ष 1988-89 में प्रारम्भ की गई 1997-98 से यह योजना स्थगित कर दी गई । मान्यवर, गरीब तबके के लोगों को योजना के माध्यम में जो लाभ मिलता था, उसको सिर छुपाने को छप्पर मिल जाता था तो यह योजना किन कारणों से स्थगित कर दी गई । इस समय कौन-कौन सी योजनायें चल रही हैं जिनके माध्यम से निर्बल वर्गों को आवास प्रदान कराया जाता है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

निर्बल वर्ग आवास योजना राज्य सरकार की 1988-89 में बनाई गई थी । इसमें राज्य सरकार का अनुदान एक हजार रुपया था । जवाहर रोजगार योजना का अनुदान तीन हजार रुपया था । दो हजार रुपया ऋण के रूप में अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति को दिया जाता था हुडकों से लोन की व्यवस्था की गई थी, गरीब तबके के लोगों को जो ऋण दिया जाता था वह वसूल नहीं हो पाया बाद में इन्दिरा आवास योजना शुरू की गई और इसको स्थगित कर दिया गया ।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

निर्बल वर्ग की आवास की कोई नीति बनाई गई है ? मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा था कि क्या योजना बनायी गयी है और माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं कि जी हां । तो वर्तमान की स्थिति की जानकारी चाही थी ।

श्री अध्यक्ष–

वर्तमान की स्थिति यह है कि यह योजना स्थगित कर दी गयी है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है । उसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि निर्बल लोगों को दिया जायेगा । जो निर्बल आवास योजना चल रही है उसमें 20 हजार रुपये का ऋण दिया जायेगा ग्रामीण क्षेत्रों में । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 88-89 में शुरू हुई और 96-97 में बन्द हो गयी ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया प्रश्न पूछिये ।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, जब माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या उसकी सफलता का मूल्यांकन कराया गया है तो आपने कहा कि सफलता का मूल्यांकन (सत्यापन) कराया जा रहा है । तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इसमें कितने लोगों को ऋण दिया गया था और जो सत्यापन कराया गया है उसका क्या परिणाम आया ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, यह जो योजना चल रही थी यह 12 जनपदों में चल रही थी । डा० बाजपेयी ने पूछा कि यह 96–97 में क्यों बंद हो गयी तो मैंने निवेदन किया है कि इन्दिरा आवास योजना होने के कारण इसको स्थगित कर दिया गया । यह जिले हैं बस्ती, एटा, झांसी, ललितपुर, ज्योतिबा फूले नगर इत्यादि । चूँकि इन्दिरा आवास योजना पहले से 85–86 से चल रही थी उसके बाद यह योजना बनी और उसमें यह देखा गया कि ऋण की वसूली नहीं हो पा रही है इसलिए इसको बन्द कर दिया गया । मान्यवर, इन्दिरा आवास योजना में शहरी क्षेत्रों में 20 हजार रुपया तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 22 हजार रुपया दिया जा रहा है । जहाँ तक सत्यापन की बात है विभिन्न जिलों से सूचना मंगायी जा रही है । अधिकांश जिलों में से सूचनाएं अभी अप्राप्त हैं इसलिए निवेदन किया है सत्यापन का सही ढंग से उत्तर नहीं दे पाऊंगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रश्न यह पूछा गया कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के निर्बल वर्गों हेतु कोई आवासीय नीति बनायी गयी है तो उसके अनुपूरक में जब प्रश्न पूछा गया तो यह जवाब दिया गया कि 12 जनपदों में वह योजना चलायी जा रही है और शेष जनपदों में यह संचालित नहीं थी । यह बताया गया कि इन्दिरा आवास योजना 85–86 से चल रही थी और यह योजना बाद में आयी । जबकि इसका उत्तर पहले ही मूल प्रश्न जब पूछा गया था, तो आ जाना चाहिए था । आपने कहा कि दो योजनाएं चल रही थीं एक तो ग्रामीण निर्बल आवास योजना और एक इन्दिरा आवास योजना इसमें ग्रामीण निर्बल आवास योजना को स्थगित कर दिया गया चूँकि इन्दिरा आवास योजना परिचालित थी ....

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न पूछें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रश्न पूछ रहा हूँ । मान्यवर, प्रश्न था प्रदेश में और अनुपूरक में उत्तर आ रहा है 12 जनपदों में संचालित थी । तो जो इसका उत्तर आना चाहिए था वह तो सही ढंग से आना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन्दिरा आवास योजना में क्या प्रगति है ? किस तरह के लोगों को ऋण दिया जा रहा है यह स्थिति बतायें ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि इंदिरा आवास योजना जो इस समय चल रही है उसमें जो है 20 हजार हम लाभार्थी को दे रहे हैं चेक के रूप में । पहले भवन बनाकर दिया जाता था, बाद में इसे

अब लाभार्थी को पूरा पैसा दे रहे हैं वह लाभार्थी उस भवन को बना ले रहा है और उसमें जो नीति है स्वच्छता की दृष्टि से और चूल्हा आदि सारी व्यवस्था करके लाभार्थी को दिया जा रहा है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, इर गाव में बी०पी०एल० की रेखा के नीचे रहने वालों की ग्रामवाइज सूची बनी हुई है उस सूची में खुली बैठक में ग्राम पंचायत में सेलेक्शन होना चाहिये लेकिन इधर गोपनीय सेलेक्शन होकर जरूरतमंद लोग छोड़े जा रहे हैं । मान्यवर, खुली बैठक में चयनित करने का शासनादेश है जो इस तरह की शिकायतें हैं तो उसमें उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी ? मान्यवर, एक गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं और एक निहायत गरीब हैं जो बी०पी०एल० सूची में छूट गये हैं उन गरीबों को आप इन्दिरा आवास दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, प्रदेश शासन के द्वारा खुली बैठक में इन्दिरा आवास के लिये चयन करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है उसके आधार पर पूरे प्रदेश में जो नीति बनी है उसके आधार पर खुली बैठक में नाम तय होता है नाम बी०डी०ओ० को भेजते हैं जो डी०डी०ओ० को भेजते हैं वह फिर पूरे जिले को क्लब करके संबंधित विभागों को उसी आधार पर सूची जारी करते हैं । अगर कहीं इस तरह की शिकायत है माननीय वर्मा जी तो वह हमें दे देंगे हम दिखलवा लेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

जो थोड़े से गरीब हैं उनके बारे में पूछा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

माननीय आर्थिक रजिस्टर गांव में बना हुआ है बी०पी०एल० की सूची में नाम दर्ज हो । अगर पुनः सूची से छेड़छाड़ की गयी तो पूरे प्रदेश में एक तरह से एनामली पैदा हो जायेगी, इस नाते अब नहीं कर पायेंगे ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, निर्बल वर्ग की सूची तय करने का मानक क्या है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

आर्थिक रजिस्टर के आधार पर दे रहे हैं मान्यवर ।

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, उत्तर में बताया कि निर्बल वर्ग आवास योजना समाप्त कर दी गयी है । जो यह योजना पूर्व में चल रही थी उसमें जो गरीबों को ऋणांश दिया था दो हजार रु० क्या उसकी वसूली अब भी हो रही है ? यदि नहीं, तो पूरे प्रदेश में इस ऋणांश को समाप्त करने पर विचार करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, हुडको से ऋण लिया गया था ऋण एक नये पैसे का वसूल नहीं हो सका है जो बात कही गयी है इसको हम कैबिनेट में ले जा रहे हैं यह बात है कि अब उन लोगों से वसूल कर पाना संभव नहीं हो पायेगा ।

डा० ज्ञानवती–

मान्यवर, ज़ो इन्दिरा आवास का वितरण किया जाता है उसमें क्या जिलाधिकारी को यह पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह किसी को भी कहीं भी आवंटित कर दें क्योंकि मेरे क्षेत्र में जिलाधिकारी ने वे एक प्रधान के यहां गये थे और 24 आवास उन्हीं को देकर आ गये और उन्होंने अपने ही गांव के मजरे के लोगों को आवंटित कर दिये । जबकि मैं पिछले तीन वर्ष लगातार गरीब लोगों के लिए कहती रही उनमें से एक को भी आवास आवंटित नहीं हुआ तो जो यह अनियमितता हो रही है कोई नियम बने हैं इसमें या फिर जिलाधिकारी जिसको चाहे दे देंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, इस तरह से आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं है अगर इस तरह की जानकारी माननीय सदस्या दे देंगी तो निश्चित रूप से जानकारी कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर के माननीय मंत्री जी को दे दीजिये ।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, पहले इन आवासों में 10 हजार की कास्ट आती थी फिर उसे बढ़ाकर 20 हजार किया गया । मान्यवर, जो सामग्री प्रयुक्त होती है उसके दाम दुगने हो गये हैं तो इसलिये एक गरीब अपना मकान बना सके तो बढ़ी हुई कास्ट को ध्यान में रखकर, यह योजना तो भारत सरकार से सेन्ट्रली स्पांसर्ड है, माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार से जो निर्बल वर्ग आवास के लिये पैसा दिया जाता था वह बन्द कर दी गयी है । जो केन्द्र 20 हजार दे रहा है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार 5 हजार या 10 हजार रु० बढ़ाकर 30 हजार रु० करने पर विचार करेगी ? दूसरा मान्यवर, यह वर्ष 1996-97 की निर्बल वर्ग आवास योजना बन्द कर दी गयी है और उसका सत्यापन कराया जा रहा है तो वर्ष 1996-97 से लेकर 2001 तक माननीय मंत्री जी ने कितने निर्बल वर्ग आवास का सत्यापन कराया है और उसके परिणाम क्या हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, भारत सरकार जो पैसा देती है उसमें प्रदेश सरकार 25 परसेन्ट लगाकर 20,000 रुपया दे रही है इसके साथ-साथ ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत यह भी आवास उसके सापेक्ष में, निर्बल वर्ग के लोगों और अन्य वर्ग के लोगों को भी दे रहे हैं इसके अनुसार राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का कुल मिलाकर 20,000 रुपया है उसको बढ़ाकर देने की आवश्यकता अभी महसूस नहीं हुई ।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, तबसे कीमतें बढ़ी हैं या नहीं ?

आबकारी एवं मद्यनिषेध मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, ईट की, छड़ और सीमेन्ट की कीमत 95-96 से काफी कम है ।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

आज की कार्य-सूची की मदों (क) के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर गलत दिये जाने पर सदन की अवमानना की मौखिक सूचना

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सदन में सत्य से परे बात कहकर कि सीमेन्ट के दाम वर्ष 94-95, 96-97 में या 98-99 में जो रहे हैं उससे ज्यादा आज की तारीख में नहीं बढ़े हैं । इस तरह से जो सदन

को गलत सूचना दी गयी है वह सदन की अवमानना है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को जो उन्होंने सदन की अवमानना किया है उसकी मौखिक सूचना आपको दे रहा हूं और इसकी लिखित सूचना भी मैं आपको भिजवा दूंगा । इस तरह से सदन में कलेक्टिव रिसपोंसिबिलिटी के तहत एक मंत्री सरासर इस तरह का बयान करे कि सीमेन्ट का दाम घट गया है 95-96 की तुलना में तो यह सदन की अवमानना है और इसकी मैं सदन को मौखिक सूचना दे रहा हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, इन्दिरा आवास के चयन के लिए जो प्रक्रिया माननीय मंत्री जी ने बताई कि गांव सभाओं की खुली बैठकों में लाभार्थियों का चयन किया जाता है तो मान्यवर, प्रदेश के अनेक जिलों में जो गांव सभाओं की बैठक में सूची बनाई जा रही है उस सूची को उस क्षेत्र के माननीय विधायकों के हस्ताक्षर के लिए वहां के अधिकारी भेजने का काम कर रहे हैं । मैं आपको बलिया जनपद की सूचना दे रहा हूं । मैं कहना चाहता हूं क्या आपने कोई निर्देश, शासन ने जिले के अधिकारियों को देने का काम किया है ? गाव सभाओं में जो प्रक्रिया निर्धारित है उसके तहत जो लाभार्थियों का चयन हो रहा है उसके अनुमोदन के लिए क्या स्थानीय विधायक की आवश्यकता है ? यदि ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है तो निश्चित रूप से यह सूचना मैं दे रहा हूं । तो क्या ऐसा करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, इस प्रकार का कोई भी निर्देश शासन द्वारा नहीं दिया गया है चूंकि चुना हुआ प्रतिनिधि ग्राम प्रधान होता है उसके आधार पर योजना बनी है, खुली बैठक में होता है । अगर किसी अधिकारी ने इस प्रकार की बात की है कि किसी विधायक के अनुमोदन के लिए भेजा है, हस्ताक्षर के लिए भेजा है, तो ऐसे अधिकारी को, मैं हाउस में कह रहा हूं, निश्चित रूप से दण्डित करूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैंने कह दिया, माननीय मंत्री जी, मैं जनपद बलिया का विशेष तौर से उल्लेख कर रहा हूं ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि योजना की सफलता का मूल्यांकन/सत्यापन कराया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सत्यापन कब तक हो जायेगा, कोई इसके लिये समय सीमा निर्धारित करेंगे ? दूसरी बात जानना चाहता हूं कि नई नीति जो बना रहे हैं, उसमें जो लोग छूट गये हैं, उन्हें भी सम्मिलित करने की कोई योजना बना रहे हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, कई जिले बंट गये हैं, इसलिये परेशानी है । जल्दी से जल्दी इसका सत्यापन करा लेंगे । जहां तक नीति की बात है, वह पूरे प्रदेश के लिये एक नीति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभ दिलाने हेतु कृषि को उद्योग का दर्जा दिये जाने के संबंध में जानकारी

*1–श्री संजय गर्ग तथा श्री आर्य राम शरन–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभ दिलाये जाने हेतु क्या सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा दिये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता !

प्रश्न नहीं उठता !

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने हेतु विशेष कार्य योजना बनाने के संबंध में जानकारी

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में दलहन का उत्पादन घट रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिये कोई विशेष कार्य-योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री विवेक कुमार सिंह)–

प्रदेश में दलहन का उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है । दलहन उत्पादन एवं उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना प्रदेश के 44 चयनित जनपदों में चलायी जा रही है । विगत तीन वर्षों में दलहन उत्पादन तथा उत्पादकता का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	उत्पादन (लाख मै० टन)	उत्पादकता (कु०/हे०)
1997-98	23.04	8.25
1998-99	23.27	8.26
1999-2000	25.76	9.64

कार्य योजना पूर्व से ही कार्यान्वित है नई कार्य योजना का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दलहन का उत्पादन बढ़ाये जाने के संबंध में प्रश्न पूछा था । मेरी चिन्ता यह थी कि उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न के मामले में खासतौर से गेहूं के उत्पादन को देखते हुये उसका लाभकारी मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा है और उस घाटे को पूरा करने के लिये दलहन की खेती को बढ़ाने के लिये एक ऐसा उपाय हो सकता है जिससे हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है । प्रश्न के उत्तर में सरकार ने अपना पक्ष रखा, उससे निराशा लगी । जो बढ़ा प्रतिशत दिखाया गया है, वह मामूली है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो केन्द्र द्वारा एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना जो प्रदेश में चला रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने रिसोसिस से उस योजना में और धन लगाकर उसको प्रभावी बनाने के लिये

कोई कदम उठायेगी ? दूसरी बात जानना चाहता हूं कि वर्ष 1999-2000 का जो आपने ब्यौरा दिया, उसी प्रकार 2000-2001 का प्रतिशत क्या है ? इसमें कितने हेक्टेयर बढ़ा, कितना क्षेत्र बढ़ा है ?

श्री विवेक कुमार सिंह–

मान्यवर, दलहन उत्पादन एवं उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार के सहयोग से केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना प्रदेश के 44 जपनदों में चलायी जा रही है । इसमें 75 परसेन्ट केन्द्रांश है और 25 परसेन्ट राज्यांश है । उपरोक्त योजना के तहत दलहनी फसलों के विकास एवं उत्पादन वृद्धि हेतु कृषकों को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के लिये परियोजना के अन्तर्गत कृषकों को सुविधाएं अनुमन्य हैं । वर्ष 2000-2001 में प्रदेश में लगभग 27 लाख मीट्रिक टन दलहन उत्पादन संभावित है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं और यह विभिन्न वर्षों में जो दलहन का उत्पादन हुआ है, उसके सापेक्ष कितनी आवश्यकता है और कितना उत्पादन हम कर रहे हैं ? निश्चित तौर पर मंत्री जी का उत्तर आयेगा, वह आंकड़े स्पष्ट कर दें ।

श्री विवेक कुमार सिंह–

जितना दलहन हमारे यहां हो रहा है, उसकी खपत से ज्यादा होता है, कम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने आंकड़े जानने चाहे हैं कि कितना उत्पादन हो रहा है और कितनी खपत हो रही है ?

श्री विवेक कुमार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इसे अगले दिन के लिए रख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक हैं । अगला प्रश्न ले लेते हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय मंत्री जी ने जो ईमानदारी दिखायी है, उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं ।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, इसको पूछने की जो मंशा थी, प्रोटीन जिससे मिल सके, वह मात्र दाल ही है, खासकर जो शाकाहारी लोग हैं, उन्हें प्रोटीन चाहिए और इससे उसकी पूर्ति हो पाती है, इसलिए मेरी पूछने की जो मंशा थी कि जितना उत्पादन हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा हमें अगर पौस्टिक आहार देना है, प्रोटीन देनी है तो कई गुना हमें दाल की आवश्यकता है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में जो 44 जनपदों में आप केन्द्र की पुरोनिधानित, स्पांसर्ड स्कीम को चला रहे हैं क्या इसको सभी जनपदों में चलाने का प्रयास करेंगे ? दूसरा इसके विकास के लिए क्या यूनिवर्सिटियों में जो उच्च उत्पादकता वाले ...

कुं० रेवती रमण सिंह –

मान्यवर, आपने इस प्रश्न को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

यदि स्थगित कर दिया है तो मैं छोड़ देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसे स्थगित कर दिया है ।

[कार्य सूची की नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या–1 का अनुपूरक उत्तर अस्पष्ट होने के कारण उसे स्थगित किया गया]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुचिकित्सालयों द्वारा रोगी पशुओं के पंजीकरण हेतु बढ़ाये गये शुल्क को कम करने की मांग

*2–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित राजकीय पशुचिकित्सालयों में रोगी पशुओं के पंजीकरण की धनराशि बढ़ा दी गयी है ? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार उसे कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री फागू चौहान)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, मंत्री जी ने जो लिखित उत्तर दिया है उसका पहला उत्तर है "जी नहीं" । सदन में मंत्री जी कह रहे हैं, जी हां । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि उत्तर में आया है कि पशुओं की पंजीकरण की धनराशि नहीं बढ़ायी गयी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सबसे अन्तिम बार राजकीय पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा के लिए पंजीकरण की धनराशि कब बढ़ायी गयी थी और उसके पूर्व में क्या धनराशि थी और अब बढ़ायी गयी धनराशि क्या है ?

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, 1-4-2000 को यह धनराशि बढ़ायी गयी थी । पहले यह शुल्क 1 रुपया था । अब गाय, भैंस, बैल आदि के लिए 10 रुपया, भेड़, बकरी, सुअर के लिए 5 रुपया किया गया है जो पहले 50 पैसा था । कुत्ता बिल्ली आदि के लिए जो शुल्क 2 रुपया था उसे बढ़ाकर 40 रुपया कर दिया गया है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि राजकीय पशु चिकित्सक घर जाकर पशु को देखता है तो उसकी शासन द्वारा निर्धारित फीस क्या है ? दूसरे जो शासन द्वारा निर्धारित फीस है उसका वह कितना अंश राजकीय कोष में जमा करता है और कितना उस चिकित्सक को व्यक्तिगत रखने की अनुमति है ?

श्री फागू चौहान–

सभी धनराशि राजकीय कोष में जमा होती है ।

श्री अध्यक्ष–

पहले अंश का उत्तर नहीं आया । माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि घर पर जाकर अगर पशु चिकित्सक, पशु को देखता है तो उसकी शासन द्वारा निर्धारित फीस क्या है ?

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि वर्तमान में जो रजिस्ट्रेशन फीस है वह 10 रुपया है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, डाक्टर की फीस 16 रुपये है, 4 रुपया सरकारी कोष में जमा होता है और 12 रुपया चिकित्सक को अपने पास रखने का अधिकार है । मंत्री जी या तो स्पष्ट बतायें कि इस प्रकार का शासनादेश नहीं है अगर है तो उत्तर आना चाहिए ।

प्रदेश में विगत पांच वर्षों में नवसृजित जनपदों में मुख्यालय भवनों एवं विभागीय कार्यालयों की व्यवस्था की जानकारी

*3–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री विजय पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत पांच वर्षों में कितने नवसृजित जिले बनाये गये हैं ? क्या उन जिलों में विभागीय कार्यालयों एवं मुख्यालय भवनों की व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

विगत पांच वर्षों में 15 जनपदों का सृजन किया गया है ।

उक्त जिलों में अस्थायी विभागीय कार्यालयों/मुख्यालय भवनों की व्यवस्था की गयी है ।

उपरोक्तानुसार ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नवसृजित जनपदों के विभागीय कार्यालयों और मुख्यालय भवनों का निर्माण कब तक कराये जायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, 15 नये जनपद बनाये गये थे । 3 जनपद उत्तरांचल में चले गये हैं । 12 जनपद हमारे यहां हैं । सभी जनपदों के राजस्व मुख्यालय के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग से पैसा मिल गया है और सभी पर कार्यवाही शुरू हो रही है । कुछ जिलों में पैसा आवंटित कर दिया है । कुछ जनपदों के बारे में

मुख्यालय के लिए जमीन की दिक्कत है । मान्यवर, हम जल्दी ही सभी पर कार्यवाही शुरू करने जा रहे हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नवसृजित जनपद अम्बेडकर नगर में जहां पर पहले ही पैसा आवंटित किया जा चुका था लेकिन कोर्ट के स्टे के कारण भूमि अधिग्रहीत नहीं हो पायी थी, इसलिए निर्माण नहीं हो पा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी अम्बेडकर नगर जिला मुख्यालय का निर्माण तत्काल प्रारम्भ कराने की कृपा करेंगे ? हाईकोर्ट का स्टे खत्म हो गया है तत्काल अम्बेडकर जिले में आप मुख्यालय भवन का निर्माण शुरू करवा देंगे ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, इस संबंध में कार्यवाही चल रही है और बहुत जल्दी ही हम उन जिला मुख्यालयों के निर्माण का कार्य शुरू करा देंगे ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जल्दी में तो बहुत समय आ जाता है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बहराइच से काटकर जो नया जनपद श्रावस्ती बनाया गया है और जिसे बहराइच से अलग कर दिया गया है उसको वापस उसी में मिलाने के लिए वहां के लोगों ने कई बार हड़ताल की तो क्या यह उसे वापस बहराइच में मिलायेंगे इसका कोई जवाब नहीं आ पाया है क्या आप इस संबंध में कोई विधिक कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, श्रावस्ती तथा अन्य कुछ जनपदों को समाप्त करने के लिए या ठीक करने के लिए मंत्रि-परिषद् की उप समिति का गठन किया गया है जिसने निर्णय लिया है कि कोई जनपद समाप्त नहीं किया जायेगा । इस संबंध में जो प्रत्यावेदन आये हैं उन पर विचार किया जा रहा है । जो भी उचित होगा उन जनपदों के लिए निर्णय लिया जायेगा ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, श्रावस्ती जनपद का गठन किया गया तो क्या वह मानक के आधार पर है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, यह जो जनपद बनाये गये हैं वह मानक के आधार पर नहीं बनाये गये हैं लेकिन मंत्रि-परिषद् को अधिकार है कि मानकों को शिथिल करके नये जनपद बनाये जा सकते हैं । यह जो जनपद बनाये गये हैं मानकों को शिथिल करते हुये बनाये गये हैं । जो प्रत्यावेदन आये हैं जिलों को समाप्त करने के बारे में या जिलों की सीमाओं के बारे में उन पर विचार चल रहा है और जनता के हित में ठीक निर्णय लिया जायेगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक महीने या डेढ़ महीने में अम्बेडकर नगर जिले का निर्माण कार्य शुरू करा देंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, वहां पहले काम शुरू कराया गया था लेकिन कुछ कार्यों की जांच कराई गयी है जिससे काम रुक गया है। वहां 150 करोड़ रुपये दिया गया था वहां हम जल्दी ही काम शुरू करा देंगे।

श्री अब्दुल कलाम–

मान्यवर, जनपद सन्त कबीर नगर में जिलाधिकारी कार्यालय का पैसा नहीं जा रहा है। दूसरी बात वहां मुंसिफ महोदय गये थे लेकिन पता नहीं किन कारणों से लौट आये। वहां पर मुंसिफी जायेगी कि नहीं ? सन्त कबीर नगर का सदन में विधेयक क्यों नहीं लाया जा रहा है और वहां आवास कब तक बना दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मुंसिफ वाला प्रश्न दूसरे विभाग से संबंधित है। दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, सन्त कबीर नगर और अन्य जनपदों के बारे में जैसा मैंने अभी कहा कि वह समाप्त नहीं किये जायेंगे। जहां-जहां से जो मांग आती है उसके बारे में पुनर्विचार करते हैं। इन सभी नवसृजित जनपदों का निर्माण कार्य 2004 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि नवसृजित जिले कौन-कौन से हैं और कितने-कितने धन कौन-कौन से जिलों में यहां से एलाट किया गया है और आपकी कार्य योजना क्या है ? कब तक यह कार्य पूरा हो जायेगा, यह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, 1997 में जो जनपद नवसृजित किये गये हैं उनके नाम हैं–कौशाम्बी, ज्योतिबाफूले नगर, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, चित्रकूट, चन्दौली, बलरामपुर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, बागेश्वर, बागपत, चम्पावत, औरैया, मऊ। अभी कौशाम्बी के लिए 170 लाख, औरैया के लिए 166 लाख, गौतमबुद्ध नगर के लिए 166, अम्बेडकर नगर के लिये 166 लाख रुपया दिया है तथा 2004 तक जिला मुख्यालयों का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

श्री यशपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हाथरस नवसृजित जनपद है और 2 साल पहले लगभग 2 करोड़ रुपया पहुंच चुका है, किन्तु जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। समय सीमा निश्चित करके कब तक भवन बनवायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, हाथरस को 216 लाख दे चुके हैं, जमीन भी अधिग्रहीत हो गयी है। हाथरस का हम जल्दी ही शिलान्यास करने जा रहे हैं।

श्री बालचन्द्र मिश्र--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या नये जिलों के नवसृजन का कोई शासन का स्पष्ट मानक है और यदि है तो वह क्या है और यह 15 जनपदों का गठन हुआ है, क्या मानक के अनुरूप हुआ है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

मान्यवर, मैं पहले भी बता चुका हूं जनपदों के सृजन के मानक होते हैं लेकिन मंत्रि-परिषद् को अधिकार है कि वह शिथिलता देते हुये जनपदों का सृजन कर सकती है ।

श्री अध्यक्ष--

मानक क्या है ? किसी अधिनियम या शासनादेश में उसके बारे में रिपोर्ट होगी, मानक बता दें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

मान्यवर, सारे डिटेल हमारे पास नहीं हैं । जो जनपद बने हुए हैं वह मानक के अनुरूप नहीं हैं ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि संत कबीरदास नगर और भदोही इसी श्रेणी में है और पैसा भी 1 करोड़ 30 लाख जा चुका है, जमीन भी अधिग्रहीत हो चुकी है, जनपद मुख्यालय का भवन बन रहा है जिन किसानों की जमीन ली गयी है उनको मुआवजा देने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही--

मान्यवर, जिला मुख्यालय बनाने के लिए पैसा जा चुका है, लेकिन कुछ गड़बड़ी हुई थी, टास्कफोर्स से जांच करा रहे हैं । जांच पूरी हो जायेगी वैसे ही काम शुरू करायेंगे ।

श्री बालचन्द्र मिश्र--

मान्यवर, जो जिले गठित हुए हैं वह मानक के आधार पर हुए हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

कई जगहों पर मानक के आधार पर नहीं है, लेकिन मंत्रि-परिषद् को अधिकार है मानक को शिथिल कर दें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर देते हुए बताया कि बागेश्वर, चम्पावत, चमोली भी इसमें शामिल है । उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन विधेयक, 2000 पारित हो चुका है और जो जिले उत्तरांचल में चले गये हैं तो उत्तरांचल के जिलों का इसलिए उल्लेख नहीं करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने बताया है कि यह जिले उत्तरांचल में चले गये हैं ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना--

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बागपत जिले में मुख्यालय के लिये जमीन उपलब्ध हो गयी है या अधिग्रहण की कार्यवाही सरकार कर रही है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, बागपत में अभी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं हुयी है । अस्थायी भवन में कार्यालय चल रहा है ।

*4–श्री श्रीराम पाल–

[दिनांक 16-5-2001 को तारा० प्र० सं०–8 द्वारा उत्तरित]

सिटी कोआपरेटिव बैंक लखनऊ में मण्डी परिषद् का करोड़ों रुपया जमा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*5–श्री जगदम्बिका पाल–

(अनुपस्थित)

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि मण्डी परिषद् का करोड़ों रुपये सेन्चुरी कन्सलटेन्ट द्वारा हड़प लिया गया है ? यदि हां, तो मण्डी परिषद् की कुल कितनी धनराशि सिटी कोआपरेटिव बैंक में जमा थी ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ? उसके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विवेक कुमार सिंह–

जी नहीं । सेन्चुरी कन्सलटेन्ट में मण्डी परिषद की कोई धनराशि विनियोजित नहीं की गयी थी ।

सिटी कोआपरेटिव बैंक में तत्कालीन वित्त नियंत्रक श्री बाबू लाल राठौर द्वारा समय-समय पर कुल रुपये 6,75,50,000/–विनियोजित किये गये थे जिसमें से समय-समय पर रुपये 3,00,50,000/–की धनराशि निकाली गयी । वर्तमान में रुपये 3,75,00,000/–की धनराशि सिटी कोआपरेटिव बैंक में जमा है ।

प्रकरण की छानबीन की जा रही है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो प्रश्न है उसको देखने की कृपा करें । एजेन्डे में छपा है कि मंत्रि-परिषद् का करोड़ों रुपया सेंचुरी कंसलटेन्ट द्वारा हड़प लिया गया है । इसमें रुचि है ।

श्री अध्यक्ष–

पहले अन्य प्रश्न समाप्त हो जायं तब ले लेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मंत्रि-परिषद् की जगह पर मंडी परिषद् होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

इसी को प्रिंटर्स डेविल कहते हैं ।

यह प्रश्न अन्य मा० सदस्यों की रुचि पर अंत में लिया गया जिसके बाद प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मंत्री लोग देख लिया करें दस्तखत होकर आया करें तो ऐसा नहीं होगा । हो सकता है कि सही छपा हो और मंत्रियों का करोड़ों रुपया हड़प लिया गया हो । संसदीय कार्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह छपायी की गलती है ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, दोनों की गिरफ्तारी हो गयी है जितना आपका पैसा जमा है उसकी जानकारी दे देंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पहले उत्तर में कहा कि "जी नहीं" और फिर बाद में कहा कि सिटी कोआपरेटिव बैंक में तत्कालीन वित्त नियंत्रक ने इतने रुपया विनियोजित किये गये । तो यह इसकी सिस्टर कन्सलटेन्ट है । जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि तीन करोड़ पच्चहत्तर लाख रुपया अभी भी डूब गया है । वह जमा है मिलने की सम्भावना नहीं है हलांकि वह दार्जिलिंग में पकड़ लिये गये हैं । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो मण्डी परिषद् का पैसा जमा करने का निर्णय था वह किसने लिया था और उसके खिलाफ क्या दण्ड देने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अधिकारी का नाम आ गया है । उत्तर में लिखा है कि सिटी कोआपरेटिव बैंक में तत्कालीन वित्त नियंत्रक श्री बाबू लाल राठौर द्वारा समय-समय पर कुल रुपये 6,75,50,000 विनियोजित किये थे । क्या कार्यवाही करेंगे इसका उत्तर माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री विवेक कुमार सिंह–

मान्यवर, इसमें मण्डी परिषद् के निदेशक द्वारा दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया है । इसमें एक तो अपर निदेशक (प्रशासन) मण्डी परिषद् और दूसरे विधि सलाहकार मण्डी परिषद् को सदस्य नामित किया है । जांच की कार्यवाही चल रही है और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह कमेटी कब गठित की गयी थी, उसका समय क्या रखा गया है और यह कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ?

श्री विवेक कुमार सिंह–

मान्यवर, उनसे जल्दी से जल्दी देने को कहा है । 15 दिन में रिपोर्ट दे देगी ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह पैसा 6,75,50,000 जमा किया गया तो यह पहली बार ट्रांजिक्शन किस तारीख को हुआ । मान्यवर, एक शासनादेश मुख्य सचिव का है कि जो सरकारी निगम या परिषद् हैं उनका धन केवल नेशनलाइज बैंकों में ही जमा किया जायेगा, इस तरह से इस नियम का उल्लंघन किया गया है ! मान्यवर, इसमें केवल वित्त नियंत्रक को दोषी माना जा रहा है, उसके बोर्ड के अधिकारी और बोर्ड क्या कर रहा था ? यह तो सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और शासनादेश का खुला उल्लंघन हो रहा है । मान्यवर, कमीशन भी बैंक देती है कहीं ऐसा न हो कि कमीशन लेकर धनराशि जमा की गयी हो । माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि केवल वित्त नियंत्रण ही इसके लिए दोषी हैं ? या कोई और अन्य अधिकारी भी दोषी हैं ? यह ट्रांजेक्शन पहली बार कब हुआ कब जानकारी हुई कि 3 करोड़ 75 लाख रुपया डूब चुका है ?

श्री विवेक कुमार सिंह–

मान्यवर, इस पर शासन द्वारा भी कार्यवाही की जा रही है और यहां से 23-4-2001 को....

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इसे आप स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें थोड़ी मदद कर दें । देखते हैं नहीं उत्तर आता है तो स्थगित कर देंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न किया गया कि उत्तरदायित्व किस स्तर का था ? क्या खाली वित्त नियंत्रक ही दोषी हैं मुख्य सचिव के आदेश का भी उल्लेख किया गया है मान्यवर, इसमें जांच गठित की गयी है कि कौन लोग दोषी हैं कब पैसा जमा करवाया गया ? क्या शासनादेश है, उसके अनुरूप पैसा क्यों नहीं इसमें जमा करवाया गया ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह तो जांच के बाद तो सारी बात सामने आ जायेगी कब यह पैसा जमा हुआ पहली बार मान्यवर, पासबुक होगी ?

श्री अध्यक्ष–

अब मंत्री जी के पास पासबुक नहीं होगी ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, अगर सूचना नहीं है तो यह कह सकते हैं कि सूचना उपलब्ध करा देंगे ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और मान्यवर, जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है उनकी शाखायें यहां पर हैं तो उनको नजरंदाज करके सिटी कोआपरेटिव बैंक को उपकृत करने का क्या कारण

था ? जो जांच बिठाई गयी है उसके संदर्भित बिन्दु क्या है ? मान्यवर, मंडी परिषद् के अधीनस्थ अधिकारियों से इसकी जांच करायी जा रही है तो वे मंडी परिषद् के निदेशक और उच्चस्तरीय अधिकारियों की जांच कैसे कर पायेंगे इसको दृष्टिगत रखते हुए क्या उच्चस्तरीय जांच कम से कम राजस्व परिषद् के सदस्य या चेयरमैन या उच्च स्तर के अधिकारी को देने का आदेश करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो जांच की बात है जितनी जानकारी है जानकारी में कोई छुपाने की बात नहीं है सबसे महत्वपूर्ण है अगर राष्ट्रीयकृत बैंक में नहीं जमा कराया तो इस बैंक में क्यों मान्यवर, अगर अनियमितता नहीं होती तो यह बात क्यों आती इसीलिए इसमें पहले मंडी परिषद् के जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं । जांच के आधार पर जो जानकारी देंगे हम संतुष्ट नहीं होंगे तो उच्चस्तरीय जांच करा लेंगे पहले जांच तो हो जाये ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, अधीनस्थ अधिकारी जांच कैसे कर पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर बाजपेयी जी ने जो प्रश्न किया है कि किन अधिकारियों द्वारा यह जांच करायी जा रही है वे अपने से उच्च अधिकारियों के बारे में रिपोर्ट देने में सक्षम होंगे ? इसमें वित्त नियंत्रक द्वारा यह विनिश्चय किया गया है तो वित्त नियंत्रक उन लोगों के अधीनस्थ हैं या वे वित्त नियंत्रक के अधीनस्थ हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

वित्त नियंत्रक उनके अधीनस्थ हैं । (व्यवधान)

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, वित्त नियंत्रक स्वतंत्र अधिकारी नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वित्त नियंत्रण का दायित्व यह होता है कि कहां पैसा जमा किया जाय, सारा फाइनेन्स कन्ट्रोल वह करता है । फाइनेन्स कन्ट्रोल करने में कमी रही या तो उच्चादेश प्राप्त करना चाहिए था तब पैसा जमा करना चाहिए था, यह कमी है तभी जांच बैठाई गयी सारे प्रकरण की रिपोर्ट आ जायेगी और जब कमी पाई जायेगी तो ऊपर से जांच करा ली जायेगी ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रथम दृष्टया की जांच में यह किस वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से पैसा जमा किया गया और यदि निदेशक की अनुमति से पैसा जमा किया गया तो निदेशक के अधीनस्थ अधिकारियों से जांच का क्या फायदा होगा ?

श्री हुकुम सिंह–

जो आप कह रहे हैं, मैं स्पष्ट कर देता हूं उस अधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है उस पत्र की कापी मेरे पास में हैं, आप देखना चाहे तो मैं पीठ पर भेज देता हूं। डायरेक्टर मण्डी ने यह जिज्ञासा जाहिर की है कि मेरी अनुमति के बिना यह पैसा क्यों जमा किया गया, डेटवाइज पूछा गया है कि फला-फला तारीख में यह पैसा मेरी अनुमति के बिना क्यों जमा हुआ, जब वह संतुष्ट नहीं हुए तब यह जांच बैठायी गयी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग

*6-श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उत्तरांचल गठन में पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तरांचल का भाग बन गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के हित में कोई कृषि विश्वविद्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कहां और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विवेक कुमार सिंह–

जी हां।

उत्तर प्रदेश के पश्चिम अंचल में गत वर्ष 02 अक्टूबर, 2000 में सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम् मेरठ की स्थापना की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 2000 में जो यूनीवर्सिटी की स्थापना की गयी है उसमें कितना क्षेत्रफल एक्वायर किया गया है संस्थान के लिये और कितना भवन के लिये और क्या भवन बनना शुरू हो गया है ?

श्री विवेक कुमार सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 में यथा आवश्यक संशोधन करते हुये उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल में 2 अक्टूबर, 2000 में सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम् मेरठ की स्थापना की जा चुकी है। विश्वविद्यालय का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा 28 मार्च, 2001 को किया जा चुका है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस विश्वविद्यालय के लिये 380 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है जिसमें से 10 करोड़ रुपया उपलब्ध करा दिया गया है। निर्माण निगम और केन्द्र सरकार की एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं जानना चाहता हूं कि कृषि कार्यों के लिये और शोध संस्थान के लिये कितना कितना क्षेत्रफल एक्वायर किया गया है और शोध संस्थान कब तक शुरू कर दिया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वहां पर आने वाली जुलाई से प्रवेश शुरू हो जायेगा और शिक्षण कार्य शुरू हो जायेगा । जो पंतनगर विश्वविद्यालय का यह उसी का फार्म था जितना फार्म था वह ले लिया गया है । इसके अलावा वहां पर केन्द्र सरकार की भूमि है आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी उपलब्ध होती जायेगी ।

डा० लक्ष्मी कान्त वाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय में जिसको मंत्री जी ने बताया कि जुलाई से प्रवेश प्रारम्भ हो जाएगा तो इसमें किस कक्षा में कितने छात्रों को प्रवेश प्रथम वर्ष हैं देने की सरकार की योजना है ?

श्री हुकुम सिंह–

लगभग 25 छात्रों का प्रवेश पहले दिया जाएगा यह प्रतीकात्मक रूप से होगा बाद में जैसे जैसे सुविधा बढ़ती जाएगी प्रवेश बढ़ते जाएगें ।

प्रदेश के नयी आबकारी नीति के अन्तर्गत सैनिकों को सस्ती दर पर रम और शराब उपलब्ध कराने हेतु आबकारी शुल्क में कमी की मांग

*7–मेजर जगतपाल सिंह–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नई आबकारी नीति के अन्तर्गत एक समान आबकारी उत्पाद शुल्क होने के कारण सेना की कैन्टीन (सी०एस०डी०) के माध्यम से सेना के जवानों को मिलने वाली रम तथा शराब मंहगी हो गई है ? यदि हां, तो सैनिकों को सस्ती दर पर रम और शराब उपलब्ध हो सके इसके लिए क्या मंत्री जी आबकारी शुल्क में कमी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्यनिषेध मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी नहीं । नई आबकारी नीति में सेना को विक्री की जाने वाली विदेशी मदिरा पर अभिकर में सिविल की अपेक्षा 50 प्रतिशत की रियायत दी गई है तथा रम पर मात्र 40 रुपये प्रति बोतल की दर से अभिकर निर्धारित किया गया है । विगत वर्ष तक वसूल की जा रही एसेस्ड फीस, विदेशी मदिरा पर 30 रु० प्रति बोतल तथा रम पर 18 रु० प्रति बोतल, को भी समाप्त कर दिया गया है ।

सैनिकों को सस्ती दर पर रम एवं शराब उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अभिकर की दरें उपरोक्तानुसार निर्धारित करने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–998ई–2/तेरह–2001-85/2001 दिनांक 28 अप्रैल, 2001 निर्गत कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेजर पी० पी० सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेना के जवानों को एक आहार के रूप में खासतौर से मदिरा दी जाती है सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों को लिमिटेड पेंशन पर दी जाती है इसलिए उनको कैंटीन पर मदिरा सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जाती है मंत्री जी से समान रूप से मिलेट्री वालों व सिविल दोनों के लिए अभिकर उत्पादन शुल्क लगा दिया तो क्या सस्ती दर करके सैनिकों को सस्ते रेट पर कैंटीन द्वारा मदिरा उपलब्ध कराई जाएगी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

इसमें सेना के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श हुआ था मेजर जनरल खुद आए थे विचार विमर्श करने के उपरान्त एक सहमति के आधार पर 50 प्रतिशत की छूट सामान्य लोगों की तुलना में उन्हें प्रदान की गई है ।

अनुसूचित जाति एवं निर्धन ग्रामीणों को भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन के सम्बन्ध में जानकारी

*8–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति व निर्धन ग्रामीण को 200 वर्ग मीटर जमीन "ग्रामीण आवास स्थल आवंटन योजना" के अन्तर्गत निःशुल्क प्रदान किये जाने हेतु क्या सरकार कोई कार्य योजना क्रियान्वित करने जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और वह कब तक लागू होगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों, ग्रामीण शिल्पियों तथा अन्य खेतिहर मजदूरों को आवास स्थल हेतु भूमि आवंटित किए जाने की प्रश्नगत योजना उ०प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के संगत अध्याय–7, धारा–122-ग व धारा–123(1), (2) में उपलब्ध प्राविधानों के अन्तर्गत पहले से चलायी जा रही है ।

इस योजना को अपेक्षाकृत और जन-कल्याणकारी बनाये जाने के लिए शासनादेश सं०–05/1-14-2001-33(88)/2000, दिनांक 31 मार्च, 2001, सपठित शासनादेश सं०–1468/1-14-2001-33(88)/2000, दिनांक 19 मई, 2001 द्वारा न्यूनतम 200 वर्ग मीटर के आवास स्थल आवंटन हेतु प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे अपने-अपने जनपदों में सर्वेक्षण कराकर ग्रामीण आवास स्थल आवंटन योजना के लिए ग्राम समाज की निःशुल्क भूमि की उपलब्धता तथा पात्र परिवारों की चिन्हित करें तथा जहां निःशुल्क भूमि उपलब्ध न हो वहां अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के निहित वित्तीय उपाशयों सहित विवरण/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायें ताकि इसके लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत यथास्थिति आवश्यक परिव्यय प्राप्त कर धनराशि की व्यवस्था करायी जा सके । वर्ष 2001 से प्रारम्भ ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न किया गया था कि क्या अनुसूचित जाति व निर्धन ग्रामीणों की 200 वर्ग मीटर जमीन ग्रामीण आवास स्थल आवंटन योजना के अन्तर्गत निःशुल्क प्रदान किए जाने हेतु सरकार

कोई कार्ययोजना क्रियान्वित करने जा रही है ? मंत्री जी ने कहा कि जी हां । यह भी बताया कि उपलब्ध प्राविधानों के अन्तर्गत पहले से योजना चलाई जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले जो योजना चलाई जा रही है उक्त योजना के सापेक्ष एक नई योजना जो चलाई जा रही है जो अधिक जनकल्याणकारी है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पहले से प्रचलित है वह योजना क्या है और उसमें क्या उसका सत्यापन कराया गया है और उसमें 1999-2000 में कितने लोगों को भूमि उपलब्ध कराई गई और दूसरा प्रश्न यह है कि यह जो अधिक जनकल्याणकारी योजना जो चलाने की बात कही गई है शासनादेश निर्गत किया गया है वह वर्ष 2001 से प्रारम्भ है ? यह किस प्रकार से अधिक जनकल्याणकारी है ? उसकी विशेषताएं क्या है ? तीसरा प्रश्न यह है कि पात्र परिवार की परिभाषा क्या है ? उसकी विशेषताएं क्या हैं कौन पात्र समझे जाएगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, यह योजना 76 से चलाई गई है और सन् 2000–2001 तक जब से यह योजना चली जिसका लक्ष्य था 3453853 का और 338298 को आवंटन किया जा चुका है । 2000–2001 में 50 हजार का लक्ष्य रखा है । नई योजना में कहीं कहीं ग्राम समाज की जमीन उपलब्ध नहीं है तो जहाँ जहाँ चकबन्दी के दौरान जमीन छोड़ी जाती है उसमें आवास के लिए आवंटन किया जाता है । कहीं-कहीं तो स्थिति यह आ रही है कि डिमान्ड ज्यादा है कि आवास दिये जायें । 100 वर्ग मीटर का आवास दिया जाता है । हमने गरीब दलित और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए जमीन की यह योजना बनाई है । जहाँ जमीन उपलब्ध नहीं है वहाँ अधिग्रहण करके निःशुल्क आवंटन किया जायगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

चूँकि आपने तुलना की है तो तुलनात्मक दृष्टि से पहले की अपेक्षा इस योजना की व्यवस्था क्या है और जैसा आपने कहा कि निःशुल्क भूमि की उपलब्धता कराई जायगी तो उसके लिए पात्र परिवारों को चिन्हित किया होगा तो पात्रता की परिभाषा क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

गाँव में पंचायतों की जो बैठकें होती है भूमि प्रबन्धक समिति और ग्राम समाज की बैठकों में नीति निर्धारण होता है कि किसके पास आवास नहीं है या उपलब्ध हो गया है इसी प्रकार आवंटन का लक्ष्य बनाया जाता है जमीन दी जाती है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, या तो मैं मंत्री जी को समझा नहीं पा रहा हूँ या मंत्री जी समझना नहीं चाहते हैं । मैंने पूछा है कि पात्र परिवारों को परिभाषित करते हुए कोई शासनादेश निर्गत किया गया है जिसके आधार पर जिलाधिकारी पात्रों का चयन करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

पात्र व्यक्तियों के बारे में पहले से नियम है । जैसे कि आवास आवंटन कृषि आवंटन में व्यवस्था है इसी प्रकार श्रेणियां बनाई जाती है गाँव में खेतिहर मजदूर, अनुसूचित जाति के लोग भूमि हीन श्रेणी के लोग पात्रता की श्रेणी में आते हैं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मूल प्रश्न में अनुसूचित जातियों ग्रामीण निर्धन के सम्बन्ध में प्रश्न पूँछा गया है तो अनुसूचित जाति के अतिरिक्त निर्धन श्रेणी के व्यक्ति जो हैं उनके लिए आवासीय भूमि आवंटन होंगे ? उनके बीच में रेशियो क्या निर्धारित होगा मतलब कितनी प्रतिशत निर्बल के लिए कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति या भूमिहीन मजदूर के लिए और जहाँ आपको जमीन अधिग्रहीत करनी होगी तो अधिग्रहण के लिए मुआवजे के लिए प्रदेश सरकार ने अपना बजट में कितनी धनराशि की व्यवस्था की है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जो लक्ष्य निर्धारित है उसके लिए जमीनें उपलब्ध है । यह नई व्यवस्था की जा रही है इसमें धन की व्यवस्था में कमी नहीं आयेगी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी मैं माननीय मंत्री जी से जाना चाहता हूँ कि .....

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी कृपया बर्हिगमन मत कीजिएगा ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, जैसे लोक सभा और राज्य सभा में यह व्यवस्था है कि जो सबसे अच्छा वहाँ का पार्लियामेंट्रियन होता है उसे श्रेष्ठ पालियामेन्टन का पुरस्कार दिया जाता है तो मेरा सुझाव है कि इस माननीय सदन में बर्हिगमन में कोई पुरस्कार दिया जाय तो माननीय मौर्या जी को ही दिया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पुरस्कार की बात चल रही है तो एक निवेदन मैं भी कर लूँ । कोई सरकारी गवाह का प्रमाण-पत्र मिलता हो तो वह हमारे इन साथी को दे दें । इनसे अच्छा कोई सरकारी गवाह नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

दोनों ही सदस्य बहुत सक्रिय हैं विधान सभा में ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति एवं निर्धन गावों के जो पात्र हैं और ग्राम समाज में जमीन भी निःशुल्क उपलब्ध नहीं है तो ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर जमीन का अधिग्रहण करके उनके आवासीय व्यवस्था को आपने सुनिश्चित किया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

पूरे प्रदेश में जहाँ भी आवश्यकता होगी, आवास के लिये जमीन अधिग्रहण करके दिये जाने में कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं पूछ रहा था कि कितने लोगों को .....

श्री अध्यक्ष–

बहुत बड़ी संख्या माननीय मंत्री जी ने अभी बताई थी शायद आपने सुना नहीं । तीस पैंतीस लाख के करीब बताई थी ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे पात्र लोग जहां पर ग्राम समाज में जमीन उपलब्ध नहीं है अधिग्रहीत करके कितने लोगो को जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव आया है ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने कहा है कि जहा भी आवश्यकता होगी करायेंगे । इसमें तो काफी विस्तारपूर्ण हो जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हम 2000–2001 का माँग रहे हैं । इसमें कितनों को देंगे, यह बता दें ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, मैंने अभी बताया था कि जब से यह योजना चली है 2000–2001 तक लक्ष्य 3453853 या 33 लाख, 29 हजार 298 सौ को आवंटित कर दिया लक्ष्य रखा है 2000–2001 में 50 हजार का । इसके अतिरिक्त जो भी हमारे प्रदेश में ऐसे पात्र व्यक्तियों की श्रेणी में आयेंगे हमारी योजना है कि सबको आवास उपलब्ध करायें । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मौर्या जी से कहना चाहता हूँ कि प्रश्न करने के बजाय उन्हें हमको बधाई देनी चाहिए थी कि जो वे बहुजन समाज के दलित लोगों के लिये नहीं कर पाये हम करके दिखा रहे हैं । 200 करोड़ का बजट हमने इसमें रखा है । यह सरकार बहुजन समाज के दलित लोगों के लिये कितनी सम्वेदनशील है, यह इसी बात से जाहिर हो रहा है । ऐसे में कम से कम वे हमको बधाई दे देते ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि जो निर्धन परिवार हैं उनको 20 हजार रुपये भवन के लिये आवंटित हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

वह अलग योजना है ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मैं यह पूछना चाह रहा हूँ कि 200 वर्ग मीटर जमीन इन लोगों को दी जा रही है । कृपया करके माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि दोनों योजनाओं का एक ही लाभार्थी हो सकता है क्या यह प्रतिबन्ध है कि दोनों योजनाओं के लाभार्थी अलग–अलग होंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो उत्तर के आरम्भ में ही दिया है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों, ग्रामीण शिल्पियों तथा अन्य खेतिहर मजदूरों को आवास स्थल हतु भूमि आवंटित किये जाने की प्रश्नगत योजना उ०प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के संगत .....

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, 20 हजार रुपये इन्दिरा आवास योजना में देने का प्राविधान है और 200 वर्ग मीटर जमीन देने का प्राविधान माननीय राजस्व मंत्री जी बता रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या दोनों योजनाओं के लाभार्थी एक ही व्यक्ति हो सकता है ? या उस पर कोई प्रतिबन्ध है कि एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है ?

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कृपापूर्वक कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक अच्छी स्कीम गरीबों के लिये लागू की है और बार–बार बहुजन समाज का नाम लेकर कि उनके लिये लागू की है। मान्यवर, यह इससे स्पष्ट हो जायेगा कि कितनी हितैषी यह सरकार इन दलितों गरीबों की है। आज तक पिछले दो वित्तीय वर्षों में एक भी किसी ऐसे व्यक्ति को पूरे प्रदेश में जमीन एक्वायर करके 200 वर्ग मीटर जमीन देने का प्राविधान किया है ? पूरे उत्तर प्रदेश में दो वित्तीय वर्षों में एक भी व्यक्ति की घोषणा की हो तो बता दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

31 मार्च, 2001 को शुरु किया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या–

इनके सारे मंत्री घोषणा के बलबूते पर प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं, यह दलित विरोधी हैं इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस सदन का बर्हिगमन करती है।

[कार्य सूची की नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या–8 के अनुपूरक उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया]

श्री प्रमोद कुमार–

आपने याद दिला दिया वह बहिर्गमन कर गए।

श्री अध्यक्ष–

सब अपने–अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

गरीबों और दलितों के लिए सरकार कुछ करती हैं तो उस समय पता नहीं क्यों बहुजन समाज पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है। या तो ट्रेड मार्क बन गया है इतनी अच्छी योजना चलाई गई है उस पर बर्हिगमन करेंगे मेरा सुझाव है कि इनको डाक्टर से एक बार दिखवा लें चेकअप करा लें।

श्री अध्यक्ष–

आपने डाक्टर का नाम लिया डाक्टर डंग खड़े हो गए।

डा० सरजीत सिंह डंग–

सरकार बधाई की पात्र है उसने हर वर्ग के आवास की चिन्ता की है, इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि जिलाधिकारी मंडलायुक्त से पात्र लोगो की सूची बनाने के लिए परिवारों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है पात्रता की अर्हता में प्राथमिकता किसको मिले ? इसमें चयन की प्रणाली कैसे होगी इन्दिरा आवास में गाँव की खुली बैठक होती है इसमें पात्रता को अर्हता क्या है ? आप कैसे चयन करेंगे, कि वास्तव में जिनको आवश्यकता है उनको आवास आवंटित हो सके ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

भूमि प्रबन्धक समितियों का गठन होता है ग्राम सभा की बैठक मे निर्णय किया जाता है जो भी गाँव में भूमिहीन और गरीब हैं, दलित हैं जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास दिया जाता है कहीं–कहीं गड़बड़ भी होती है तो लोगों को दंडित भी किया जाता है हमारा प्रयास रहता है कि गरीब मजदूर, दलितों को पट्टे दें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मंत्री जी ने मेरे प्रश्न को चतुराई से टाल दिया आपने पात्रता बताई लेकिन प्राथमिकता किसको मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष–

आप नियमावली के नियम–28 का उप नियम–7 देख लें । प्रश्नों के माध्यम से कोई ऐसी सूचना नहीं मांगी जाएगी । जो प्राप्त दस्तावेजों अलावा सामान्य निर्देश ग्रन्थों में उपलब्ध हो, इन्होंने उत्तर में बताया है कि भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के संगत अध्याय–7 धारा–122-ग व धारा–123(1)(2) में उपलब्ध प्राविधानों के अन्तर्गत पहले से चलाई जा रही है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

एक ही पात्रता के कई परिवार हो सकते हैं । गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले या सबसे गरीब आदमी । अभी तक यह अनुभव रहा है कि इन्दिरा आवास योजना के आवंटन में प्रभावशाली लोगों को मकान मिल रहे हैं । इसमें अगर प्राथमिकता नहीं तय करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर जो गाँव में रहते हैं ऐसे लोगों को दिया जाता है । अन्य श्रेणी के भी हैं जिन्हें मकान आवंटित किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मैनपुरी के ब्लाक कुरावली के ग्राम दलीपपुर के श्री अनार सिंह यादव द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाने की मांग

1–श्री समर पाल सिंह –

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड कुरावली की ग्राम सभा कुम्हरौआ के गांव दलीपपुर के श्री अनार सिंह यादव पुत्र श्री गंगा सहाय द्वारा ग्राम समाज की 15 बीघा जमीन पर विगत 10 वर्षों से अवैध कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी को दण्डित करते हुए उक्त कब्जा हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोटः– तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उपरान्त 12 बजकर 20 मिनट पर प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड कुरावली की ग्राम सभा कुम्हरौआ के ग्राम दलीपपुर के श्री अनार सिंह यादव पुत्र श्री गंगा सहाय का गांव सभा कुम्हरौआ की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है ।

अवैध कब्जा न होने के कारण दण्डित करने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित फल संरक्षण अधिकारी के पद पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति में हो रहे विलम्ब के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

2–श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा फल संरक्षण अधिकारी के पद हेतु वर्ष 1997 में चयनित अभ्यर्थियों की सेवायें शासन की विज्ञप्ति संख्या–2967/58-1-99–294/94, दिनांक 24-9-99 द्वारा समाप्त कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि सेवायें समाप्ति के संबंध में उक्त अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका पर शासन द्वारा प्रति शपथ-पत्र दिनांक 27-4-2000 को दायर कर दिया गया ? यदि हां, तो अब तक सचिव, लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त निदेशक (फलसंरक्षण) उत्तर प्रदेश द्वारा प्रति शपथ-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत न किए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर विलम्ब के लिए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री धनराज यादव)–

जी हां ।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत फल संरक्षण अधिकारी, श्रेणी–2 के पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1997 में चयनित अभ्यर्थी श्री अवध नारायण त्रिपाठी की अर्हता के संबंध में आयोग द्वारा छानबीन किये जाने के उपरान्त पाया गया कि वह संबंधित पद हेतु आवेदन के समय निर्धारित अर्हता नहीं रखते थे । उनके द्वारा तथ्यों को छिपाकर आवेदन किये जाने के फलस्वरूप आयोग द्वारा इनके चयन सबंधी अपनी अनन्तिम संस्तुति वापस ले ली गयी जिससे इनकी सेवायें दिनांक 24-9-99 को समाप्त कर दी गयी । जी हां ।

प्रश्नगत रिट याचिका में प्रतिपक्षींगण संख्या–1 से 3 की ओर से आवश्यक प्रतिशपथ पत्र दिनांक 27-4-2000 दाखिल किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर के मोहम्मदी में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मिनी स्टेडियम के निर्माण की मांग

3–श्रीमती कृष्णा राज–

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहम्मदी जनपद लखीमपुर में वर्ष 1999 में जिला योजना से स्वीकृत मिनी स्टेडियम का निर्माण करा दिया गया ? उक्त निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल कूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल मंत्री (कुंवर रघुराज प्रताप सिंह–)

जी नहीं । मिनी स्टेडियम का निर्माण राज्य सेक्टर की योजना है ।

प्रस्तावित स्थान पर विभाग के नाम भूमि उपलब्ध नहीं हुई है ।

प्रस्तावित स्थान पर निर्धारित मानक के अनुसार निःशुल्क भूमि विभाग के नाम दर्ज होने एवं वित्तीय संशाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

जनपद मथुरा के ग्राम अडींग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क में हुए अवैध कब्जे को हटाने की मांग

4–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अडींग जनपद मथुरा में स्वतंत्रता सेनानी पार्क रतन पार्क को भू-माफियों से कब्जा हटाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम/44-230/मथुरा/2001 दिनांक 28-3-2001 जिलाधिकारी मथुरा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में जांच में यह पाया गया है कि ग्राम अडींग स्थित रतन पार्क से अवैध कब्जा अक्टूबर, 2000 में हटवा दिया गया है । उक्त भूमि की सुरक्षा हेतु ग्राम सभा की ओर से बाउन्ड्री वाल लगवाई जा रही थी । करीब 20 फीट लम्बी दीवार लगने हेतु शेष रह गयी थी तभी प्रतिवादी मोहन लाल आदि द्वारा पंचम अपर सिविल जज (जू० डि०) मथुरा के न्यायालय से दिनांक 16-12-2000 को स्थगनादेश प्राप्त कर लिया जिससे वादग्रस्त सम्पत्ति पर उभय पक्षों द्वारा यथास्थिति बनाये रखने आदेश पारित हुये । स्थगनादेश के रहते बाउन्ड्री वाल का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्व विभाग में सहायक भूलेख अधिकारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग

5–डा० वकार अहमद शाह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-9-2000 जो सहायक भूलेख अधिकारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

सहायक भू-लेख अधिकारियों के वेतन विसंगतियों के संबंध में वित्त वेतन समिति का निर्णय राजस्व विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है । तद्नुसार मा० सदस्य को पत्र दिनांक 17-5-2001 द्वारा अवगत कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला महराजगंज के ग्राम नौसगरा में श्री रघुनाथ के भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटाने की मांग

6–श्री मो० मुकीम–

विधान सभा के वर्ष 2001 के प्रथम सत्र, के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–136 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम नौसगरा थाना बृजमनऊ जिला महराजगंज निवासी श्री रघुनाथ पुत्र बृजलाल के पट्टे की भूमि नं० 1734 रकबा .053 एअर पर

उनका कब्जा बनाये रखने का सिविल न्यायालय फरेन्दा, महराजगंज द्वारा जुलाई, 2000 में आदेश किये जाने के बावजूद जबरन प्रहलाद पुत्र दयाराम एवं दयाराम पुत्र अक्षयवर द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनाधिकृत कब्जे को हटवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम हंसवर स्थित पंचायत घर एवं भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटाने की मांग

7–श्री लालजी वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम हंसवर, विकास खण्ड बसखारी, जनपद–अम्बेडकर नगर के पंचायत घर एवं उसकी भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त पंचायत भवन एवं उसकी भूमि को खाली करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के ग्राम अर्तरा बुजुर्ग में सीलिंग की जमीन को भूमिहीनों में आवंटित कराने की मांग

8–श्री बाबूलाल कुशवाहा–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि खातेदार रमाशंकर पुत्र विश्वनाथ की मौजा अतर्रा बुजुर्ग तहसील नरैनी वर्तमान तहसील अतर्रा जनपद बांदा की 90 बीघा 8 बिस्वा भूमि सीलिंग में अतिरिक्त घोषित की गयी थी तथा दिनांक 14-3-83 को अतिरिक्त घोषित भूमि पर राज्य सरकार का कब्जा दखल किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि को भूमिहीनों में आवंटित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) सीलिंग में अतिरिक्त घोषित 90 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से 75 बीघा 19 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया । शेष 14 बीघा 09 बिस्वा भूमि अकृषक होने के कारण शासनादेश संख्या 74/1(6)/75–राजस्व दिनांक 3-2-75 के प्राविधान के अन्तर्गत ग्राम सभा में दर्ज किये जाने हेतु आदेशित किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर के ग्राम मछेला में की गयी भूमि की नीलामी के उपरान्त मालिकाना हक दिलाये जाने की मांग

9–श्री राम सेवक सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22-4-99 को ग्रा० मछेला तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर की गाटा सं०–15,243 व 357 की भूमि का कुल 1/3 हिस्सा नीलाम कराया गया था ? यदि हां, तो क्या नीलाम की गयी भूमि का मालिकाना हक दिला दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं ।

नीलाम की गयी भूमि की बोली निर्धारित रेट से अत्यधिक कम होने के कारण उप जिलाधिकारी द्वारा नीलामी निरस्त कर दी गयी ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर के ग्राम–वंशीखुर्द में श्री नन्कू पुत्र श्री राम भरोसे की जमीन को फर्जी ढंग से दूसरे के नाम करने के लिये दोषी तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

10–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–वंशीखुर्द, परगना–सिकन्दरा, तहसील–फूलपुर, जिला–इलाहाबाद के खाता सं०–29, गाटा सं०–82 सन् 1403–1408 फ० में श्री नन्कू पुत्र श्री राम भरोसे दर्ज था ? यदि हां, तो क्या तहसीलदार फूलपुर, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 17-2-1999 ने अपने आदेश से सम्पूर्ण भूमि बेचू लाल पुत्र श्री राम भरोसे के नाम (भूमि सं०–82 का 1/2 भाग का बैनामा करने पर ही) फर्जी ढंग से अन्तरित दर्ज कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी तहसीलदार फूलपुर, इलाहाबाद को दण्डित करेगी ? क्या सरकार तहसीलदार फूलपुर, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17-2-1999 (फर्जी बैनामा) को निरस्त कराये जाने का आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रकरण की जांच आयुक्त इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद से कराये जाने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं ।

11–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[5वें मंगलवार में अता० प्र० सं०–191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

12–श्री सीताराम निषाद–

[5वें मंगलवार में अता० प्र० सं०–192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई के ग्राम नेवादा सावन में हुयी अग्निकाण्ड में मृतक परिवार वालों को आर्थिक सहायता देने की मांग

13–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के ग्राम नेवादा सावन थाना हरियावां में सर्वश्री मन्नालाल पुत्र राम चन्दर के घर में दिनांक 20 व 21-4-2000 को आग लग जाने से उनका पुत्र और पुत्री तथा माता की जल कर मृत्यु हो गयी थी और छोटे भाई राम कुमार की पत्नी सुनीता जलने से बुरी तरह घायल हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उन्हें आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं । कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी ।

यह घटना दैवी आपदा के अन्तर्गत नहीं पायी गयी, अपितु मानवजनित अपराधिक कृत्यों के फलस्वरूप घटित हुई है । अतः आपदा राहत निधि से धनराशि वितरित किया जाना अनुमन्य नहीं है ।

उप निदेशक मत्स्य कार्यालय में स्थानान्तरण नीति का पालन

14–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार मत्स्य विभाग के उप निदेशक मत्स्य लखनऊ के कार्यालय के कितने और कौन से तकनीकी अधिकारी व कर्मचारी स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आते हैं ? क्या उनका स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

कोई नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक कृषि एवं फसल बीमा उ० प्र० के कार्यालय में डेटा इंट्री आपरेटर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

15–श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक कृषि एवं फसल बीमा, उ० प्र० के कार्यालय में डेटा इंट्री आपरेटर के 52 पदों की भर्ती प्रक्रिया जो माह अगस्त, 1998 में आरम्भ हुई थी, में जांच के बाद अनियमिततायें पाये जाने पर उक्त चयनित सूची को दिनांक 25-11-2000 को निरस्त कर नई सूची बनाने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त अनियमितता के लिये दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया ? यदि हां, तो किस-किस को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

उक्त अनियमितता की जांच शासन स्तर से करायी गयी है । जांच आख्या प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर अनियमितता के लिये दोषी व्यक्तियों को यथास्थिति दण्डित किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर के ग्राम सहजवलिया में सार्वजनिक रास्ते को बन्द करने वाले असामाजिक व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

16–श्री शिव सिंह चक–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सहजवलिया, थाना–कुबेरगंज, जिला–कुशीनगर (पडरौना) के सार्वजनिक रास्ते को असामाजिक तत्वों द्वारा बन्द कर अवैध क़ब्जा किये जाने के संबंध में श्री दीपलाल भारती स०वि०स० का पत्र दिनांक 26-3-2001 अपर जिलाधिकारी, कुशीनगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर की तहसील सहजनवा में स्थगन आदेश के बावजूद जबरन मछलियां तालाब से निकालने के विरुद्ध दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग

17–श्री राम अचल राजभर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सहजनवा में राजस्व परिषद् इलाहाबाद के मत्स्य पालन स्थगन आदेश दिनांक 22-2-2001 के बावजूद भी ग्राम प्रधान उमाशंकर उपाध्याय व उनके अन्य साथियों द्वारा दिनांक 26-2-2001 को तालाब संख्या–218 से जबरियन मछलियां निकलवा ली गयी थी ? क्या जबरियन मछली निकाले जाने की सूचना दिनांक 26-2-2001 को उप जिलाधिकारी, सहजनवा व जिलाधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या दोषी के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मछलियों से प्राप्त धनराशि राजस्व विभाग सहजनवा में जमा की गयी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम जमालपुर काजी में भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही की मांग

18–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ तहसील निजामाबाद, ग्राम जमालपुर काजी में गाटा संख्या–489 रकबा 100 कड़ी में से 45 कड़ी पर बहाल पुत्र बुधई द्वारा अवैध कब्जा कर गलत तरीके से पट्टा करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रभारी महाप्रबन्धक श्री आर० सी० राय जिला उद्योग केन्द्र श्रावस्ती के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

19–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री आर० सी० राय, प्रभारी महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र श्रावस्ती/बहराइच के वर्ष 1999-2000 के वित्तीय रिकार्ड सीज कर उनके विरुद्ध गोपनीय जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का अर्द्धशासकीय-पत्र दिनांक 16-2-2001 जो दिनांक 17-2-2001 को पंजीकृत डाक संख्या–220 दिनांक 17-2-2001 भेजा गया था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त वित्तीय वर्ष का रिकार्ड पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सीज कर जांच कराई जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या श्री राय दोषी पाये गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)–

जी हां ।

संबंधित वित्तीय वर्ष के रिकार्ड की प्रारम्भिक जांच करायी जा चुकी है ।

जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये श्री राय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में औद्योगिक आस्थान हेतु श्री चिन्तामणि तिवारी की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे एवं उनके परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग

20–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मिर्जापुर में औद्योगिक आस्थान हेतु 1.5 बीघा जमीन आराजी नं० 1378, 1418 व 143311 श्री चिन्तामणि तिवारी आदि निवासी घरौधा तहसील सदर जनपद मिर्जापुर की दिनांक 15-1-1962 को अधिग्रहीत की गई है ? यदि हां, तो क्या श्री तिवारी को प्रतिकर तथा उनके आश्रित परिवार के किसी व्यक्ति को विभाग में नौकरी दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा एवं आश्रित को सरकारी सेवा में कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री सरस्वती प्रताप सिंह–

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उक्त अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर राजस्व मांग (आर० डी०) रजिस्टर में दर्ज है । श्री तिवारी को प्रतिकर लेने हेतु सूचित किया जा रहा है ।

जनपद मऊ के ग्राम मेउड़ी कला में ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत समिति के धन के दुरुपयोग किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

21–श्री अफजाल अहमद–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विकास खण्ड रतपुरा अन्तर्गत ग्राम मेउड़ी कला के वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा बिना ग्राम पंचायत समिति के गठन के ही धन आहरित कर दुरुपयोग करने की जांच कराये जाने के संबंध में ग्राम पंचायत सदस्य संजय यादव, रामप्रवेश, अजय कुमार आदि का शिकायती-पत्र दिनांक 8-1-2001 को जिला पंचायत राज अधिकारी मऊ खण्ड विकास अधिकारी रतनपुरा, मऊ को भेजा गया है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

तद्विषयक शिकायती-पत्र की जांच जनपद स्तरीय दो अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर में ग्राम सभाओं में पंचायत भवन निर्मित कराने की मांग

13–श्री मुरलीधर–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर में किन-किन ग्राम सभाओं में पंचायत भवन निर्मित है ? क्या पंचायत भवन विहीन ग्राम सभाओं में सरकार पंचायत भवन निर्मित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां । विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर के 147 में से निम्नवत् 44 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्मित हैं :–

1–सनगांव, 2–चकनथपुर, 3–बदरानपुर, 4–देसाही बजुर्ग, 5–औरई, 6–सातों धरमपुर, 7–सातों पीत, 8–सातों जोगा, 9–मनावां, 10–हरसिंहपुर भेदपुर, 11–नरैनी, 12–कौण्डर, 13–असोथर, 14–देहमऊ धरमपुर हैरतपुर, 15–सरकण्डी, 16–अमनी, 17–सिलमो गढ़वा, 18–टेंहासी बुजुर्ग, 19–असदुल्ला नगर, 20–टेनी, 21–मझटेनी; 22–उमरा, 23–गुढ़संडी, 24–दरियामऊ, 25–रक्षपालपुर, 26–चचोड़ा, 27–गढ़ा, 28–मुझनपुर, 29–डेडासाई, 30–जाम, 31–रेनरहटा, 32–कल्यानपुर कचरौली, 33–कारीकान, 34–रतनपुर, 35–कबरा, 36–घरवासीपुर, 37–नरसिंहपुर कबरहा, 38–अढौली, 39–सोनारी, 40–बमरौली, 41–नसीपुर, 42–बरहटा; 43–पौती, 44–बसवां ।

पंचायत भवनों के निर्माण आदेश निर्गत किये जा चुके हैं तथा ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्ध धन से निर्माण की व्यवस्था की गयी है ।

धन की उपलब्धता पर चरणबद्ध तरीके से कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कौशम्बी के ग्राम पंचायत, जाठी, में श्री बच्चालाल मौर्य द्वारा अवैध रूप से तालाबी रकबा पर किये गये कब्जे को हटाने एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

23–श्री राम ललित चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत–जाठी, तहसील मंझनपुर, जनपद–कौशाम्बी की आराजी संख्या–956 पर श्री बच्चालाल मौर्य पुत्र श्री गंगादीन मौर्य द्वारा जबरन कब्जा करके तालाबी रकबा को अवैध रूप से श्री दीनानाथ यादव पुत्र श्री राम संजीवन यादव को बीस हजार रुपये में बेच दिया है ? क्या यह सही है कि तत्कालीन प्रधान, ग्राम सभा जाटी की शिकायत पर तहसीलदार मंझनपुर ने श्री बच्चालाल के खिलाफ धारा–122 (बी) के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही करने के आदेश दिनांक 16-6-99 को दिये थे ? क्या गतवर्ष श्री दीनानाथ यादव ने उक्त भू-खण्ड तथा उस पर बनाये गये कच्चे मकान को गांव के किसी अन्य को पचास हजार रुपये में बेच दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर गांव समाज की भूमि को वापस कराने और अवैधानिक क्रय-विक्रय करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम जाठी की आराजी सं०–956 तालाब के खाते में दर्ज है । जांच के अनुसार मौके पर दीनानाथ पुत्र राम सजीवन यादव का मकान बना हुआ है । तत्कालीन ग्राम प्रधान के शिकायत पर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 15-5-99 को धारा 122 (बी) के अन्तर्गत वाद योजित करने के आदेश दिये थे । लेखपाल के रिपोर्ट दिनांक 11-04-2001 पर तहसीलदार के न्यायालय में धारा–122 (बी) का वाद दिनांक 18-4-2001 को योजित किया गया जिसकी कार्यवाही चल रही है । जांच से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि मकान का क्रय-विक्रय हुआ या नहीं, इस सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । दीनानाथ आदि के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

24–श्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा श्री सुशील शाक्य–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद फैजाबाद के ग्राम पानपुर मजरे में हुए अग्निकाण्ड में राहत वितरण में हुयी अनियमितता के सम्बन्ध में जांच

25–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-2-2001 जो विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में माह जनवरी, 2001 को ग्राम पानपुर मजरे में हुए भीषण अग्निकाण्ड में राहत वितरण में हुई गम्भीर अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

उक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, मिल्कीपुर से पुनः जांच करायी गयी । जांच में पाया गया कि अग्निकाण्ड से पीड़ित पात्र परिवारों में नियमानुसार राहत सहायता वितरित करायी गयी है । इस सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

कार्य सूची की नत्थी 'ग' के अतारांकित प्रश्न संख्या–7 के उत्तर "सूचना एकत्र की जा रही है" पर व्यवस्था का प्रश्न एवं उस पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आज अतारांकित प्रश्न संख्या–7 में मेरे द्वारा पूछा गया था कि क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम हंसवर विकास खण्ड बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर के पंचायत घर एवं उसकी भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त पंचायत भवन एवं उसकी भूमि को खाली करायेंगे और कब तक खाली करायेंगे । यह प्रश्न मेरे द्वारा लगाया गया 26-4-2001 को विभाग को भेजा गया और इसका जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह है सूचना एकत्र की जा रही है । मान्यवर, इतने छोटे से प्रश्न के लिए कि क्या पंचायत भवन को किसी ने कब्जा कर रखा है इस पर कह रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है । मान्यवर, यह नियम है कि 15 दिन में लगता है लेकिन 15 दिन के बाद में इस सत्र की बैठक नहीं होगी । इसलिये इस प्रश्न का उत्तर जानबूझकर टालने के लिए यह जवाब दिया गया है, तो मैं इसमें चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस पर कार्रवाई न हो सके इसलिये जानबूझकर टालने की नीयत से यह उत्तर दिलाया गया है इसलिए आप इस पर व्यवस्था दें ताकि प्रश्न पूंछने का उद्देश्य पूरा हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

सूचना के लिए कहा है इसलिये यह प्रश्न अगले सत्र तक चलेगा, जीवित रहेगा, लैप्स नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा ।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 24 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं । पहली सूचना डा० ज्ञानवती सिंह की, वह अनुपस्थित हैं, दूसरी सूचना श्री जगदीश नारायण राय की पढ़ी हुई मानी गयी, तीसरी सूचना श्री मेजर जगतपाल सिंह की पढ़ी हुई मानी गयी, चौथी सूचना

श्री तेजभान सिंह की, वह अनुपस्थित हैं, पांचवी सूचना श्री जय प्रसाद निषाद की पढ़ी हुई मानी गयी, छठीं सूचना श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि की पढ़ी हुई मानी गयी, सातवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह भाटी की पढ़ी हुई मानी गयी । जो दो माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं उनकी जगह पर प्रतीक्षा सूची की दो सूचनाएं लेता हूं । पहली सूचना श्री श्रीराम पाल की पढ़ी हुई मानी गयी दूसरी श्री ओंकार सिंह की, अनुपस्थित हैं । माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गईं श्री रामाधार सिंह, श्री विजय पाल सिंह और श्री छोटे लाल गंगवार ।

(सदन की सहमति से संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं, स्वीकृत हैं ।)

जनपद जौनपुर के ग्राम मेंहौंडा में तेज हवा एवं तूफान के कारण तीन लोगों की मृत्यु के फलस्वरूप मृतक परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[महोदय, जनपद जौनपुर के तहसील केराकत ग्राम मेंहौंडा में पिछले सप्ताह आई तेज हवा, तूफान से धोबी परिवार की कच्ची दीवार वाला मकान जिसमें पूरा परिवार रहता था खाना पीना, सारा सामान रखा रहता था । दीवाल के पूरी तरह ध्वस्त हो जाने के कारण उसके नीचे दब कर लोचन धोबी 32 वर्ष मुखिया, शीला 20 वर्ष तथा सुरेश 5 वर्ष लड़का की मृत्यु हो गई, सारा सामान नष्ट हो गया है ।

उस परिवार के मुखिया की मृत्यु से बचे वृद्ध महिला छोटे 3 लड़कों का जीवन यापन अत्यन्त कठिन हो गया है । उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए मृतक परिवार को एक लाख रुपये की सहायता की मांग करता हूं ।]

मुरादाबाद मण्डल के कतिपय जनपदों में पेट्रोल एवं डीजल में की जा रही मिलावट को रोकने एवं दोषियों के विरुद्ध जांचोपरान्त कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

मेजर जगतपाल सिंह–

[मान्यवर, आपका ध्यान सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

मुरादाबाद मण्डल के ज्योतिबाफूलेनगर, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद में पेट्रोल पम्पों पर मिलावटी पेट्रोल एवं डीजल की भारी तादात में बिक्री की जा रही है, पेट्रोल में सालकेट आयल व डीजल में मिट्टी का तेल तथा देहली से लाया गया मिलावटी डीजल बिक्री किया जा रहा है जिससे कि वाहन तथा डीजल पम्प सेट को भारी हानि हो रही है । दिनांक 19-5-2001 को खाद्य आपूर्ति विभाग व पुलिस ने सफेद मिट्टी के तेल का 12000 लीटर का अवैध टेंडर पकड़ा जो अवैध रूप से मिलावटी डीजल की पेट्रोल पम्पों पर बिक्री कर रहा था तथा एफ०आई०आर० भी उसके खिलाफ लिखाई गई है ।

जनता में असंतोष व्याप्त है । मेरा अनुरोध है कि मुरादाबाद मण्डल के समस्त जिलों में पेट्रोल पम्पों पर एक ही दिन छापा डालकर सैंपिल लिये जाये तथा इनकी मेजरमेंट की जांच की जाय पेट्रोल पम्पों को गलत पाये जाने पर उनकी आपूर्ति निलम्बित की जाय । जो कि जनहित में होगा ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद फतेहपुर के ग्राम रसूलपुर में पुनः द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद–

[मान्यवर, जनपद फतेहपुर तहसील खागा के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर की आबादी लगभग 1500 की है तथा गांव का रकबा लगभग 600 बीघे का है । ग्राम रसूलपुर की चकबंदी आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व सम्पन्न की गई थी । आबादी, चकरोड व सार्वजनिक प्रयोजन हेतु स्थान छोड़े गए थे, किन्तु अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आबादी हेतु भूमि पर्याप्त मात्रा में आरक्षित नहीं की गई थी, जिससे अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए आवास हेतु विकट समस्या उत्पन्न हो गई है ।

चूंकि चकबंदी लगभग 35 वर्ष पूर्व हुई थी तथा ग्रामवासी पुनः चकबंदी कराना चाहते हैं ।

अतः इस लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए पुनः द्वितीय चक्र की चकबंदी कराए जाने की मांग करता हूं ताकि गांव का विकास एवं आवास स्थल आवंटन हेतु सुविधाएं उपलब्ध हो सकें ।]

स्थानीय निकाय के सफाई कर्मियों व अन्य कर्मचारियों का जी०पी०एफ० फण्ड का पैसा उनके खाते में जमा न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

[महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि स्थानीय निकाय में लगे सफाई कर्मचारी व सफाई नायक मिस्त्री, ड्राइवर व अन्य कर्मचारियों का जी०पी०एफ० फण्ड का पैसा कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं हो रहा है करोड़ों रुपया कर्मचारियों का जमा नहीं हुआ है जिसके कारण कर्मचारी जी०पी०एफ० से पैसा नहीं निकाल पाते हैं । कर्मचारियों के खातों में पैसा नहीं है और कर्मचारियों की सेवानिवृत्त होने के उपरान्त कर्मचारी दस-दस साल तक अपने अपने निकायों में चक्कर काटते रहते हैं और उनकी बात कोई नहीं सुनता है । यदि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के दिन सारे देयों के भुगतान कर दिये जायें तो अपनी नौकरी की समाप्ति के बाद कोई और कार्य अपने जीवन यापन के लिए कर सकते हैं ।

अतः लोक महत्व के इस विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं ।]

नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्राम बरौला में किसानों के मकानों व दुकानों की तोड़-फोड़ के दौरान पुलिस व नोएडा कर्मियों द्वारा किये गये बल प्रयोग के फलस्वरूप हुई एक व्यक्ति की मृत्यु तथा उनके परिजनों को सहायता दिलाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

[मान्यवर, दिनांक 18-5-2001 को नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्राम बरौला में किसानों की जमीन पर बने मकानों व दुकानों को तोड़–फोड़ की गई तोड़–फोड़ के दौरान जबर्दस्त बल प्रयोग किया गया, जिसमें अनेकों किसान, दलित, मजदूर बुरी तरह पुलिस व नोएडा कर्मियों द्वारा किये गये लाठी चार्ज से घायल हो गये और 21/22-5-2001 की रात में घायल कूड़े सिंह पुत्र जीवन उम्र 60 वर्ष नि० बरौला, पुलिस व नोएडा कर्मियों द्वारा की गई निर्मम पिटाई से अस्पताल में मौत हो गई । इस प्रकार की घटना समस्त नोएडा व ग्रेटर नोएडा के ग्रामों में आये दिन हो रही है । मृतक परिवार की ओर से

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नामजद रिपोर्ट लिखाई गई है । जिस पर स्थानीय पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही हैं । कूड़े सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने जबर्दस्त आन्दोलन शुरू कर दिया है, स्थिति गम्भीर, तनावपूर्ण व विस्फोटक बनी हुई है । कभी भी भयावह रूप धारण कर सकती है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाते हुये 5 लाख रुपया मृतक परिवार को दिलाने व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

जिला जालौन की सहकारी दूध डेरी में व्याप्त गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीराम पाल–

[महोदय, जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में स्थापित सरकारी दूध डेरी में एक करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय घोटाला है । उक्त दूध डेरी को दुग्ध आपूर्ति करने वाली करीब 110 सहकारी दूग्ध समितियों की वित्तीय हालत जर्जर हो गई है । दुग्ध उत्पादकों के दूध का रुपया वर्षों से लम्बित है सभी दुग्ध समितियां दूध की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं रही हैं । दूध डेरी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा फैट रहित व फैट सहित दूध या दूध में फैट के सम्मिलित प्रतिशत के आधार पर दूध के दाम निर्धारित होते हुये भी दुग्ध उत्पादकों से मनमाने दामों पर दूध खरीदा जाने से प्राइवेट दूधियों को तथा औरैया जनपद की दूध डेरी को जनपद जालौन से दूध की आपूर्ति हो जाने के कारण जालौन सरकारी दूध डेरी को उसकी क्षमता के बराबर दूध की आपूर्ति नहीं की जा रही है । जालौन दूध डेरी बन्द होने के कगार पर है । सरकारी अधिकारी दूध डेरी के अन्य उत्पादन घी, मलाई आदि प्राइवेट रूप से चुपचाप बेच रहे हैं । दूध डेरी की क्षमता सुदृढ़ीकरण के लिये विगत वर्षों में सरकार तथा जिला योजना से दी गयी धनराशि को मात्र कागज़ों पर खर्च कर लिया गया है । दूध डेरी पर फर्जी कार्य दिखाकर धन का गबन किया गया है । जिले के हजारों दूध उत्पादक व समितियां परेशान है श्वेत क्रान्ति का सपना टूट रहा है ।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करते हुये उचित व्यवस्था देने का कष्ट करें ।]

प्रश्नों के उत्तर समय से प्राप्त न होने के कारण प्रश्नों की संख्या में गिरावट होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24 मई, 2001 को नियम 300 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी की है ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस 13वीं विधान सभा के इस सत्र में देखने में आया है कि नियमावली में जो प्राविधान है कि अल्पसूचित के 3 और तारांकित के 20 प्रश्न लिये जायेंगे । लेकिन इस सत्र में अगर आप देखें तो मुश्किल से 5-6-7 से ज्यादा प्रश्न आ नहीं पाये । उसका कारण यह है कि सरकार गम्भीरतापूर्वक इन प्रश्नों का जवाब नहीं देती है और उससे स्थिति यह हो गई है कि जो सदस्य प्रश्न करते हैं, वह उदासीन हो गये हैं । मुझे पहले का याद है, जब प्रश्न विधान सभा में आता था तो उसका असर प्रदेश सहित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पूरे विभाग पर पड़ता था, लेकिन शनैः-शनैः यह महत्वहीन हो गया । अब प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह गया है । मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसकी गम्भीरता को देखते हुये सरकार को यह निर्देश देने का कष्ट करें कि इन प्रश्नों का गम्भीरतापूर्वक जवाब दिया करें, जिससे उसकी महत्ता बनी रहे । प्रश्न ही एक ऐसा हथियार है, जिसके द्वारा बहुत सी चीजों पर अंकुश लगाया जा सकता है, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–33 को देखें, इसके 33(2) में लिखा है कि मौखिक उत्तर के लिये किसी एक दिन की प्रश्नसूची में तारांक लगाकर विभेद किये गये 20 से अधिक प्रश्न नहीं रखे जायेंगे तथा एक सदस्य का एक से अधिक तारांकित प्रश्न नहीं रखा जायेगा । सदस्यों के किसी एक दिन के लिये निर्धारित एक से अधिक तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्नों की सूची में रख दिये जायेंगे । इसी में नियम–33 (1) को देखने की कृपा करें । एक सदस्य एक दिन में केवल पांच प्रश्नों की ही सूचना दे सकेगा, जिसमें अल्पसूचित तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्न सम्मिलित हैं । यदि कोई सदस्य पांच प्रश्नों से अधिक सूचना किसी दिन देता है तो उसकी प्रथम पांच सूचनायें ली जा सकेंगी और शेष सूचना अस्वीकृत समझी जायेगी । नियम–29(1) को भी देखने का कष्ट करें । जब कोई सदस्य अल्पसूचित प्रश्न पूछना चाहें तो वह ऐसे प्रश्न की पूरे तीन दिन की सूचना लिखित रूप में सचिव को देंगे । इस प्रकार मान्यवर, एक दिन में 3 से अधिक अल्पसूचित प्रश्न पूछने के संबंध में यह व्यवस्था प्रक्रिया नियमावली में है । आप आज की कार्य-सूची देखें उसमें एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में और 8 तारांकित प्रश्न के रूप में हैं । जबकि व्यवस्था 3 अल्पसूचित और 20 तारांकित प्रश्नों की है । हम लोगों को इन प्रश्नों के माध्यम से तमाम जनहित के उत्तर मिल जाते थे, उससे सरकार का भी प्रभावी नियंत्रण रहा करता था, लेकिन माननीय मंत्रीगण द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध न कराकर सूचना एकत्र की जा रही है अथवा समय-समय पर स्थगन प्राप्त करने का प्रयास होता रहता है । विधान सभा सचिवालय द्वारा जो एक कार्य-सूची में 20 प्रश्नों की व्यवस्था की जाती है, समय से उत्तर न आ पाने के कारण कार्यसूची में इन प्रश्नों की संख्या कम हो रही है । इस समय जो उत्तर आ भी रहे हैं, वह सुसंगत नहीं आ रहे हैं, जानकारी विस्तृत होनी चाहिये, वह भी नहीं मिल पा रही है । विधान सभा में प्रश्न प्रहर सबसे महत्वपूर्ण प्रहर हुआ करता है, पक्ष-विपक्ष सबके लिये रहता है, लेकिन इधर उदासीनता बढ़ रही है, जो चिन्ता का विषय है । आप जैसे योग्य और संसदीय जानकार अध्यक्ष के रहते हुये ऐसा न होने पावे, इसलिये आप सरकार को निर्देशित करें कि वह उदासीनता को समाप्त करें और जो व्यवस्था प्रक्रिया नियमावली में है, वह की जाय और प्रश्नों के उत्तर समय से आ सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, इस पर मैं आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

नियमावली के नियम–29 के उप नियम–3 को देखें, किसी एक दिन की कार्यसूची में 2 से अधिक अल्पसूचित प्रश्न नहीं रखें जायेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना इससे थोड़ा सा भिन्न है, इसलिये अलग से ले रहे हैं, कहिये तो एक साथ निस्तारण कर देगें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह प्रश्न प्रहर और प्रश्न सबसे बड़े हथियार हैं, माननीय सदस्यगण के लिए और इसका सदुपयोग होता रहे, यह बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके बिना विधायिका का नियन्त्रण कार्यपालिका पर नहीं रहेगा । केवल माननीय सदस्यगण के हाथ में ही यह हथियार नहीं बल्कि जो भी मंत्रीगण, मंत्रि-परिषद् के सदस्य हैं उन्हें भी इसके माध्यम से अपने विभाग के बारे में बहुत सी जानकारियां हो जाती हैं । उदासीनता क्यों आयी उसके कारण में, मैं उस मत से सहमत नहीं हूं कि यह कह कर अपने दायित्व से मुक्ति पा ली गयी कि सरकार के मंत्री गम्भीर नहीं है, गम्भीरता से उत्तर नहीं देते हैं, इसलिए उदासीनता आयी है । मान्यवर, मेरा आग्रह है कि जब आपके पास समय हो, अपने कक्ष में बुलाकर के इस प्रश्न पर जरूर विचार होना चाहिए । अगर यह उदासीनता बढ़ती गयी तो यह बहुत घातक होगा और इस पर चिन्ता केवल यहां नहीं व्यक्त की गयी, लोक सभा में भी चिन्ता व्यक्त की गयी है । क्या यह सरकार की उदासीनता है कि आज भी जो प्रश्न लगे और उत्तर आए और उत्तर आने के बावजूद भी कई माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं ? क्योंकि सरकार गम्भीर नहीं है इसलिए मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है । प्रश्न भले ही लगा दिया हो । मान्यवर, प्रश्न करने के बाद, इसका उत्तर आता है इस पर सरकारी धन का और जनता के धन का कितना व्यय होता है, लेकिन जब उत्तर आता है, प्रश्नकर्ता है नहीं । यह उदासीनता क्यों आयी ? कोई एक दल, कोई एक व्यक्ति इसके लिए दोषी नहीं है, कहीं न कहीं सारी व्यवस्था, सिस्टम में कुछ कमी है ।

एक समय वह भी था कि 2–4 माननीय सदस्य इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण समझे जाते थे, कि बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, किसी कारण से, प्रश्न का उत्तर आ जायेगा वह नहीं आयेंगे, यह चर्चा का विषय बनता था । आज रुचि हर बात में कम होती जा रही है । यह रुचि बढ़नी चाहिए, अगर नियंत्रण न रहा तो हम सब का यहां बैठना निरर्थक हो जायेगा । लेकिन कोई न कोई प्रेरणा अवश्य पैदा होनी चाहिए । कोई इन्जेक्शन इस बात का नहीं है कि सरकार को लगा दें या उनको लगा दें । हमारा दायित्व केवल नाली-खड़ंजा बनवाने तक ही सीमित नहीं है पहला दायित्व यही है । अगर पहला दायित्व इसे माने तो आपको चिन्ता नहीं करनी पड़ती । इसमें जिम्मेदार कौन है ? इससे मेरा मत भिन्न है कि इस वजह से उदासीनता आ रही है, इसके अनेकों कारण हैं । मान्यवर, जब आपको समय मिले इस पर विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अशोक बाजपेयी और कुं० रेवती रमण सिंह को इसके समर्थन में मैंने सुना और संसदीय कार्य-मंत्री जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए । सूचना में यद्यपि किसी विशेष प्रश्न का उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन फिर भी यह देखने में आया है कि माननीय सदस्यों की प्रश्न करने में अभिरुचि कम हुई है । यह सूचना केवल प्रश्न का उत्तर समय से प्राप्त न होने के कारण तक सीमित है और दूसरी सूचना घटती अभिरुचि के कारण है । इसलिए इसके सम्बन्ध में मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रश्नों के उत्तर को स्थगित करने का प्रतिशत अगर देखा जाए तो वह बहुत अधिक नहीं है, बहुत कम है । प्रश्न स्थगित बहुत कम होते हैं लेकिन जब कभी मांग होती है तो एक प्रकार से व्यावहारिक रूप से एक बार स्थगित कर देते हैं । लेकिन कार्य-सूची में अगर आप देखें तो 12 प्रश्नों में एक या दो से

अधिक स्थगित नहीं होते हैं, तो प्रतिशत तो बहुत कम है । उदासीनता माननीय सदस्यों के प्रश्न करने में भी है । गत वर्ष में जितने प्रश्न आये थे इस वर्ष उतने नहीं आये हैं । इस समस्या का समाधान यही है कि माननीय सदस्य अपनी अभिरुचि सदन के कार्यों में,. जैसे–प्रश्न करने या दूसरे कार्यों में लेना सुनिश्चित कर लें तो अच्छा रहेगा । माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने जो चिन्ता प्रकट की है, वह हम सभी की सामूहिक चिन्ता है । हम स्वयं आत्म चिन्तन करके इस समस्या का समाधान खोज लेंगे । इसी के साथ इसका निस्तारण करता हूं ।

स्वास्थ्य चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)–

मान्यवर, सदन में लोग गम्भीर क्यों नहीं हैं उसका कारण जो हमारी समझ में आया है वह पहला तो यह है कि जितनी जरूरत नहीं है उतनी चर्चा होती है । दूसरे इतना हो–हल्ला लोग करते हैं कि सदस्यगण ऊब जाते हैं । तीसरे यह है कि जब आप 14 घण्टे किसी मेम्बर को बैठायेंगे, मान्यवर, 14 घण्टे में घोड़ा भी हार जाता है तो क्या इन्सान नहीं हारेगा ? यही मेरा निवेदन है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हमारी सूचना भी कुंवर साहब की सूचना से मिलती थी ।

श्री अध्यक्ष–

कुंवर साहब की सूचना प्रश्नों का उत्तर समय से न आने तक सीमित है जबकि आपकी सूचना प्रश्नों की संख्या में कमी से है । माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने इंगित कर दिया है कि आपका विशिष्ट स्थान है । इसलिए यह सूचना अलग से ली जा रही है ।

मा० सदस्यों की घटती अभिरुचि के कारण प्रश्नों की संख्या में गिरावट होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कल की कार्य-सूची में अल्पसूचित मात्र 2, तारांकित 5 प्रश्न लगे थे । आज 8 प्रश्न लगे हैं । इस तरीके से लगातार पिछले 15 दिनों की कार्य-सूची को देख लें तो यह संख्या कभी 20 नहीं पूरा हो रहा है । यह नियम नहीं है कि कम से कम 20 होना चाहिए बल्कि अधिक से अधिक 20 होना चाहिए । 1980 से मैं इस सम्मानित सदन का सदस्य हूं । मैंने देखा है कि एक होड़ सी लगी होती थी कि किस-किस माननीय सदस्य के प्रश्न तारांकित प्रश्नों के रूप में चुने जाते हैं । इसका मुख्य कारण यह होता था कि जब एक सदस्य सदन में प्रश्न करता था और वह प्रश्न संबंधित विभाग में जाता था और जब उत्तर एकत्रित किया जाता था तो 90 प्रतिशत मामलों में जो कमियां रहती थीं वह विभाग के स्तर पर पूरी कर दी जाती थी और एक खौफ रहता था । मान्यवर, प्रश्न की मन्शा उसी समय पूरी हो जाती थी जब प्रश्न स्वीकार हो जाता था लेकिन आज यह स्थिति हो गयी है कि जब हम प्रश्न उठाते हैं तो सरकार विभाग के हर गलत काम को सही साबित करने की कमर कस लेती है उसका नतीजा यह होता है कि हमारे प्रश्नों को गम्भीरता से नहीं लिया जाता है । प्रश्न के रूप में माननीय सदस्य के पास एक हथियार होता है । मान्यवर, आपने उसमें सप्लीमेन्टरी की भी प्रथा है, कोई बात रह जाय तो उसके माध्यम से पूछ लें । सप्लीमेंटरी 3 होने चाहिए लेकिन 8–10 सप्लीमेन्टरी भी हो जाते हैं जिससे हमारा मन्तव्य पूरा भी हो जाता है । अभी माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने कहा कि सदस्यों की अभिरुचि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कम हो रही है । क्या सरकार की संवेदनशीलता कम नहीं हो रही है ? जहां तक कोरम की बात है । कोरम की जिम्मेदारी विपक्ष पर नहीं डालना चाहिए । यह एक अनोखी सरकार है जिसमें 90 मंत्री हैं ।...

श्री अध्यक्ष–

कोरम का उल्लेख सूचना में नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप देखें कि इस बार सदन का कोरम पूरा न होने के कारण कितनी बार सदन स्थगित हुआ है । आपके 90 मंत्री हैं और अगर 90 में से 45 मंत्री भी यहां पर मौजूद रहें तो कोरम पूर्ण रहेगा और सदन की कार्यवाही चलती रहेगी । आखिर यह तो सरकार का बजट सत्र चल रहा है यह आपकी जिम्मेदारी है कि सदन का कोरम पूर्ण रहे आपके माननीय मंत्रियों को यहां पर मौजूद रहना चाहिए । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो माननीय सदस्य हैं वह आज इस सदन में, कार्यों में अभिरूचि नहीं ले रहे हैं इसका कारण क्या है ? इसका प्रमुख कारण यह है कि वह जो प्रश्न लगाते हैं, उनका उचित उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है मैंने पता किया तो पता चला कि प्रश्न ही नहीं लगाये जाते हैं । आज, उतने जितने पहले माननीय सदस्यों द्वारा लगाये जाते थे । मान्यवर, मैं 1980 से सम्मानित सदन का सदस्य रहा हूँ । पहले प्रश्नों का उत्तर पूरी तैयारी के साथ मंत्री देने आते थे और माननीय सदस्यों की यह रुचि रहती थी कि किसका प्रश्न चयनित हो जाय । आज स्थिति यह है कि सदन चल रहा है और जिस राज मंत्री का प्रश्न है वह दुबई में जाकर कृषि को देखने गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कभी-कभी तीन महीने पहले भी कार्यक्रम निर्धारित हो जाता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

सत्र के बारे में भी तीन महीने पहले तय हो जाता है । मंत्रिगण के स्तर से सदस्यों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है । माननीय मंत्रीगण विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं और उत्तर अनुमोदित करके भेज देते हैं । मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिये सर्वदलीय बैठक बुलायें या यहां पर बैठकर हम लोगों की बातें सुनकर कोई ऐसा उपाय निकाला जाय जिससे सदन की कार्यवाही में गम्भीरता और रुचि बनी रहे । आज जिस तरह से एक–एक दिन में तीन-तीन बजट रखे जा रहे हैं उसके कारण माननीय सदस्य अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं । यह अपनी जगह पर सही है कि माननीय नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष की सहमति से कार्यक्रम तय किया जाता है लेकिन सरकार चूँकि सदन अधिक दिनों तक नहीं चलाना चाहती है इसलिए नेता विरोधी दल को इसकी सहमति देनी पड़ती है । पहले दो-दो महीनों तक सत्र चलता था आज आपने देखा होगा कि सिंचाई और पी०डब्लू०डी० का बजट एक ही दिन में पारित कराया गया है । इसलिए मान्यवर, मैं चाहूँगा कि इस गम्भीर प्रश्न पर आप व्यवस्था देने की कृपा करें ।

* श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, आप देखें कि पहले सत्र में दो अल्पसूचित, बीस तारांकित और दो सौ अतारांकित प्रश्न एक दिन में लिये जाते थे । लेकिन आज उतने प्रश्न नहीं लिये जाते हैं । माननीय सदस्य उतने सवाल नहीं करते हैं लेकिन कुछ दिन पहले कुछ पत्रकार मुझे मिले और उन्होंने, इस संबंध में मुझसे यह जानना चाहा कि क्या वजह है कि आज उतने प्रश्न नहीं लिये जाते हैं, और तमाम माननीय सदस्य सदन की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्यवाही में रुचि नहीं दिखा रहे हैं और अनुपस्थित रहे हैं । तो मैं कहना चाहता हूँ कि मान्यवर, पहले तो मैं यह समझा कि आज कल शादी–ब्याह का सीजन चल रहा है और हो सकता है कि तमाम माननीय सदस्य उसकी वजह से सदन में न पहुँच पा रहे हों या अन्य किन्हीं कारणों से न पहुँच पा रहे हों लेकिन होता क्या है कि तमाम माननीय पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य हैं अपने–अपने विषयों को उठाना चाहते हैं और जानकारी हासिल करना चाहते हैं पर उनको जानकारी नहीं मिल पाती है । चाहे प्रश्न हों या शून्य प्रहर हो, नियम–56 हो या अन्य दूसरी सूचनायें जो ज्वलन्त प्रश्नों की होती हैं उनके उत्तर सही ढंग से नहीं आते हैं । मान्यवर, हम लोग लिखकर देते हैं और सदन के वेल में कभी-कभी आते हैं, लेकिन सरकार अपना रटा-रटाया जवाब दे देती है और अधिकारियों का बचाव के पक्ष में एक कुशल वकील की तरह तर्क दे दिया जाता है । जो हम यहां सूचना उठाते हैं उसका कोई मतलब और मकसद होता है, अगर उसका उत्तर नहीं आयेगा और कार्यवाही नहीं होगी इससे अच्छा है कि हम अपने क्षेत्र में रहकर लोगों के दुख दर्द सुने और उनकी समस्या हल नहीं कर पायेंगे तो उस आदमी को कम से कम यह एहसास होगा कि हमारे साथ हमारा विधायक दो कदम चला । इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है । मान्यवर, आपकी भूमिका बीच में काफी गम्भीर और अहम होती है ।

मान्यवर, इस इन्स्टीट्यूशन की गरिमा रखना हम सब का कर्तव्य है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो इस इन्स्टीट्यूशन का अस्तित्व कैसे सुरक्षित रह पायेगा । अगर माननीय सदस्यों की अभिरुचि कम हो जायेगी तो विधान सभा की गरिमा कायम नहीं रह पायेगी । इसका कारण चाहे सरकार की कमी हो या कोई और इन कारणों का पता करना चाहिये और पता लगाकर यदि हम समय से नहीं चेते तो इस विधान सभा के अस्तित्व पर एक प्रश्न-चिन्ह होगा और क्या औचित्य रह जायेगा सदन में बोलने और चर्चा करने का, अगर इस तरह की भावना आये तो यह विधान सभा औचित्यविहीन हो जायेगी । मान्यवर, यहां पर जो बजट पास होते हैं और बिल आते हैं और उन पर चर्चा होती है उस संबंध में मैं देख रहा हूं कि बिलों पर डिबेट का मौका नहीं मिलता है । मान्यवर, मैंने डिबेटों को पढ़ा है यू० पी० जमींदारी एबेल्यूशन ऐक्ट, 1952 पर चर्चा एक सत्र में शुरू और दूसरे सत्र में जा करके समाप्त हुई । आज किसी बिल के ऊपर चर्चा की बात तो दूर कोरम पूरा होने में भी दिक्कत होती है । माननीय राम औतार शाक्य जी अननुमोदन का प्रस्ताव करते हैं या प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव करते हैं, और 4, 5 10 सदस्य ही ऐसे हैं जिनके सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं । इसमें सत्तापक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है । सदन की गरिमा अक्षुण्य बनी रहे इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर आप चर्चा करायें, अगर माननीय सदस्यों के विचारों को सुनना चाहते हैं तो उनको बुला लें, अपने कक्ष में, चाहे सदन में चर्चा कर लें हम आपका स्वागत करेंगे, ताकि इस इन्स्टीट्यूशन की गरिमा बनाये रख सकें और माननीय सदस्यों का पार्टीसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके । चाहे सूचना हो, प्रश्न हो, चाहे बिल हो, चाहे बजट हो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो सके और विधान सभा की गरिमा बढ़ सके इसके लिये मैं चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज ही इसका निर्णय न दें एक-दो दिन विचार-विमर्श कर लें और बैठक बुलाना आवश्यक हो तो बैठक बुला लें और सदस्यों का अभिमत जानने की जरूरत हो तो वह ले लें लेकिन जिस तरह से संभव हो निश्चित रूप से ऐसा उपाय करें जिससे विधान सभा की गरिमा अक्षुण्य बनी रहे ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, नियम 200 में यहां सूचना देकर जो चिन्ता सदन में व्यक्त की जा रही है और जैसा हमारे अशोक बाजपेयी जी ने माननीय रेवती रमण सिंह जी ने, माननीय वर्मा जी ने कहा यह बात

अपनी जगह पर सही है कि जो कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है वह होती ही नहीं है जब सरकार कोई कार्यवाही ही नहीं करती है, तो अधिकारी मनमाने तरीके से उत्तर देते हैं, और सरकार की मंशा पूरी कर देते हैं। वैसे तो मैं पत्र भेजता ही नहीं हूं, अगर भेजता हूं तो उसका उत्तर नहीं मिलता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि मैंने 5 मई को एक पत्र लिखा। चूंकि मैंने पिछली बार एक प्रश्न विधान सभा में रखा था और उसके बारे में जांच के लिये आश्वासन भी संसदीय कार्यमंत्री जी ने दिया था। मैंने जो 5 मई को पत्र लिखा उसका जवाब आया है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है। आज 19 दिन बाद यह सूचना मिल रही है। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले सत्र में मैंने जांच के लिये दिया था कि एस० डी० एम० विधूना ने कार्यालय का उद्घाटन किया। नियम यह है कि अधिकारी उद्घाटन और शिलान्यास नहीं कर सकते हैं। मैंने विधान सभा में जो प्रश्न रखा था उसको आपके पास भिजवाया था आपके माध्यम से मुख्य मंत्री के पास गया था। इस मामले की जांच, एस० डी० एम० की जांच, तहसीलदार ने की और लिखकर भेज दिया कि एस० डी० एम० ने शिलान्यास नहीं किया बल्कि पूर्व प्रमुख ने किया, जबकि मान्यवर, अखबारों में फोटो और भाषण छपा था। इसमें फिर जांच की क्या बात है। इससे ज्यादा प्रमाण की क्या जरूरत है। इससे ज्यादा गम्भीर बात तो यह है कि एस० डी० एम० की जांच तहसीलदार ने की। यह उचित नहीं है किसी उच्चाधिकारी से जांच होनी चाहिये थी। जब फोटो और भाषण है तो जांच न होकर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये थी। इस तरह से कार्यवाही सरकार करेगी अधिकारी चाहे जैसा भी गलत कर दें उनको ही सही कहा जाएगा तो फिर विधायकगण कैसे प्रश्नों में रुचि लें अन्य विषयों को कैसे उठाएं। एक महत्व हुआ करता था किसी गम्भीर विषय पर बहिर्गमन कर दिया तो सरकार उसमें रुचि लेती थी कि आखिरकार यह समस्या गम्भीर है किसी समस्या को लेकर अगर बहिगर्मन किया तो कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात आ गई।

श्री धनीराम वर्मा–

वेल में कभी कभार आया करते थे माननीय सदस्यगण किसी प्रश्न को लेकर और अति गम्भीर समझकर उस पर कार्यवाही हो जाया करती थी। अब चाहे वेल में आ जाएं या बहिर्गमन कर जाएं मखौल समझकर उड़ाने का प्रयास किया जाता है इसलिये सदस्यों की रुचि कम होती जा रही है। हमारे मंत्रीगण तो अधूरे व अनजाने में अशुद्ध उत्तर दे दिया करते हैं इसलिये रुचि कम हो रही है। मेरी बातों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जहां तक चिन्ता का प्रश्न है उसमें मैं अपने को पूर्णतः सम्बद्ध करता हूं चिन्ता स्वभाविक है प्रमोद जी ने, बरखूराम वर्मा जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार इस प्रर रखे जो आपने अपने विचार रखे उसमें काफी हद तक उत्तर भी था कि क्यों रुचि कम होती जा रही है। वर्मा जी ने कहा कि एक युग था जब जमींदारी विनाश ऐक्ट पर चर्चा शुरू हुई तो एक सत्र से शुरू हुई दूसरे सत्र तक चलती रही उस डिबेट को संयोग से मुझे भी पढ़ने का अवसर मिला। उस बिल को चौधरी चरण सिंह जी ने पास कराया था उसमें उन्होंने जो प्रस्तावना रखी अगर उनके द्वारा रखी गई प्रस्तावना का ही अध्ययन कर लें। जमींदारी विनाश ऐक्ट व लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट व उससे सबंधित जो कानून थे पूरे भारतवर्ष और राष्ट्र की बात या यूरोप के किसी देश की बात हो सारे कानूनों को समाहित उसमें किया गया है। अध्ययन

उन्होंने किया है यह थे वह लोग जिनका अनुकरण करने के लिये हम लोग यहां बैठे हैं उस स्तर को बनाये रखें यह चिन्ता होनी चाहिये मैं आपसे सहमत हूं कि कैसे उस स्तर को बनाये रखें । वह स्तर बनायें रखेंगे तो स्वतः प्रभाव बना रहेगा । दो तीन बिन्दु हैं जिस पर कभी आपका मार्गदर्शन सानिध्य मिले तो जरूर अपनी बात रखना चाहेंगे । कमी दोनों तरफ से है । कोई यहां ब्यूरोक्रेसी का वकील बनकर खड़ा हो जाए तो मेरे ख्याल से हम अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो यहां कहा जाता है उसका प्रभाव नहीं होता है । मैं स्वयं देख रहा हूं अगर यहां बात नहीं कही जाती तो कई बातों से हम वंचित रह जाते हमें जानकारी नहीं होती अगर जानकारी नहीं होती तो अमल क्या करते । कैसे नियंत्रण रख पाते मैं आपकी चिन्ता से अपने को जोड़ते हुए साथ ही साथ अगर इस गम्भीर विषय पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो शायद हम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे । टोटैलिटी में हमें विचार करना चाहिये । हमें इस बात को देखना चाहिये कि कभी हमने दल में बैठकर गम्भीर रूप से चिन्तन करना शुरू किया है । पहले कटौती के प्रस्ताव कौन रखेगा इस संबंध में इकट्ठे बैठ कर विचार करते थे कि कौन कटौती का प्रस्ताव रखेगा । आज तालमेल समाप्त हो गया है । परम्परा यह थी कि सत्र आहूत होते ही सत्तापक्ष और विपक्ष के नेता बैठकर तय करते थे कोई मौका ऐसा न आये संवादहीनता समाप्त हो । हम सबका उद्देश्य यही है कि प्रदेश की जनता के सवाल सरकार से सदन के माध्यम से कर सकें । यह सब तभी होगा जब विचार विमर्श होता रहेगा । यहां के विचार भी तभी प्रभावी होंगे जब कुछ बिन्दुओं पर एकमत होकर चिन्तन करेंगे । यही मुझे कहना था ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक आग्रह था । आपने देख ली सब की चिन्ता, तो एक व्यवस्था के साथ अपने स्तर पर बैठक आहूत कर लें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अगर आप उचित समझें तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री या कोई मंत्री जिसको संसदीय ज्ञान हो, के साथ या अपने साथ सर्वदलीय समिति बना लें, जो सभी माननीय सदस्यों से वार्तालाप कर सके । यह किसी एक पर दोषारोपण की बात नहीं है । यह समिति पूरे प्रकरण की जांच कर ले, कारणों का पता लगा ले और क्या-क्या उपाय हो सकते हैं उनकी जानकारी ले सके ।

श्री अध्यक्ष–

सदन की गरिमा बनी रहे और श्रेष्ठतर हो, सदन के कार्य में माननीय सदस्य लोग और अधिक अभिरुचि प्रदर्शित करें, इन विषयों पर आज चिन्ता प्रकट की गई । इस सदन में और कम से कम मेरे लिये संतोष की बात है कि गम्भीरतापूर्वक इस विषय पर विचार किया गया है । मैं समझता हूं कि जो यह सुझाव आया है इस पर एक बैठक बुला ली जाय । विभिन्न दल के नेताओं की बैठक बुला लें । उसके बाद आगे किस प्रकार से सदस्यों में अभिरुचि बढ़े इस पर विचार हो जाय । यथाशीघ्र मैं एक बैठक बुला लूंगा इसके साथ ही मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

पुलिस आरक्षियों के वेतनमान को पुनरीक्षित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य की है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर.....

श्री अध्यक्ष–

हम अभी अभिरुचि की बात कर रहे थे । आपने जो सूचना दी इसकी प्रति संसदीय कार्य मंत्री जी के पास है । जब से यह विधान सभा गठित हुई है, मैं इसी की नहीं पहली विधान सभा से, की बात कर रहा हूं, अनेक बार उत्तर दिये जाते हैं । उस उत्तर के अनुरूप कार्य यदि नहीं होता है तो तमाम प्रकार की समितियां हैं उनमें आश्वासन समिति भी है । तो आपके प्रश्न के संबंध में मंत्री जी के उत्तर पर आश्वासन समिति नियमानुसार कार्यवाही करा लेगी ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, हम यह कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों का जो वेतनमान है ...

श्री अध्यक्ष–

आप अन्तिम चार लाइनें पढ़ दीजिए यदि कोई सदस्य यह कह देता है कि यह इस नियम में आती है तो मैं मान लूंगा ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इतनी चिन्ता व्यक्त करने के बाद भी ऐसा हो रहा है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मैं पढ़े देता हूं । पुलिस के आरक्षियों में असंतोष व्याप्त है । पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर रिट याचिका संख्या 323/98 में दिया गया निर्णय .....

श्री अध्यक्ष–

आपने लिखा है अतः मैं इस औचित्य पर कि 4050 का वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था दी जाय.....

श्री राम औतार शाक्य–

सरकार द्वारा दिये गये निर्देश सदन की सम्पत्ति बन चुके हैं और सदन को उस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही जानने का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में कहां आती है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह सरकार सम्वेदनशील है तो सिपाहियों का वेतनमान 3050 की जगह 4050 क्यों नहीं कर रही है । जब पहले यह प्रकरण आया था तो कहा गया कि तीन महीने यह प्रकरण उठा दिया । आपने कहा कि इसको बढ़ा लेने का विचार कर लेंगे । मान्यवर, यह मांग है । लाखों की संख्या में सिपाही हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अगर आपके तर्क को स्वीकार कर लें, हर बात जो यहां सदन में कही है नियम 300 में आ जायेगी और बाकी सारे नियम रखे रह जायेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अगर शाक्य जी कार्यवाही ठीक से देख लें तो पता चल जायेगा । 2 मार्च में ज्ञापन आया । 4 महीने के अन्दर तय करना था । मई के महीने में हम बैठे हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

यह आपने 24-4-2000 को कहा था । एक साल हो गया है और अभी तक कोई व्यवस्था इसमें आपने नहीं की है ।

श्री अध्यक्ष–

राम औतार शाक्य जी की सूचना नियम 300 में नहीं आती है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जो सदन में कथन है, उसमें आश्वासन निहित है । इस बारे में आश्वासन समिति है, वह विचार करेगी ।

अगली सूचना अन्तिम सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की है ।

नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर स्वीकृत वक्तव्य के समय सम्बन्धित मंत्री की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं सूचना पर आपका ध्यान और व्यवस्था चाहता हूं । जिस प्रकार से प्रश्नकाल में अपने-अपने विभागों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिये मंत्रि-परिषद् के मंत्री या राज्य मंत्री सदन में उपस्थित रहते हैं उसी प्रकार से नियम 51 में जो सूचनायें आपके द्वारा वक्तव्य के लिये स्वीकृत की जाती है, उनका भी वक्तव्य के रूप में उत्तर आता है । 51(3) में आपकी अनुज्ञा से यह अधिकार सदस्यों को प्राप्त है कि वे स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं । मान्यवर, स्पष्टीकरण पूछने का अधिकार हमको मिला है, संसदीय कार्य मंत्री वैसे तो अपनी योग्यता के आधार पर जवाब भी देते हैं लेकिन प्रश्नकाल की भांति संबंधित विभाग के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की उपस्थिति से स्पष्टीकरण सार्थक हो सकता है और वक्तव्य में कोई भ्रम है तो उसका निराकरण भी हो सकता है । इस पर आपकी कृपापूर्वक व्यवस्था यह चाहते हैं कि संबंधित विभागों के मंत्री या राज्य मंत्री प्रश्नकाल की भांति नियम 51 की सूचनाओं के समय उपस्थित रहें । 51(3) में आपकी अनुज्ञा के अनुसार हमको स्पष्टीकरण का अधिकार भी मिला है और यदि वक्तव्य के सम्बन्ध में कोई दिक्कत है, परेशानी है तो उसका बेहतर हल भी प्राप्त हो जायेगा । मान्यवर, इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्रि-परिषद् का उत्तरदायित्व सामूहिक होता है इसलिये सदन में कोई भी मंत्री वक्तव्य दे सकते हैं अगर संबंधित विभाग के मंत्री उपस्थित नहीं हैं तो । लेकिन यह एक अच्छी आदर्श स्थिति होगी कि संबंधित विभाग के मंत्री स्वयं ही यहां वक्तव्य दें तो अच्छा है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, नियम 51 या और नियम हों जैसे-जैसे स्थिति बनी है, परिस्थिति बनी है । प्रत्येक नियमों के अन्तर्गत हमने अपनी परिस्थिति के अनुरूप उनमें विस्तारीकरण भी किया है । मैं अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर कह रहा हूं कि एक समय वह भी था जब नियम 51 में एक ही सूचना स्वीकृत होती थी । नियम में भी यही प्राविधान है । एक से अधिक आती है तो अध्यक्ष अपने विवेक से अविलम्बनीय महत्व को देखते हुये चुनते हैं । मान्यवर, समस्या बढ़ी जा रही है इसलिये उसका विस्तारीकरण कर दिया । आज एक नहीं दर्जनों सूचनायें नियम 51 में आ रही हैं । पहले जब नियम 51 की स्थिति आती थी जो भी माननीय अध्यक्ष इस पीठ पर आसीन थे उनकी मौजूदगी में यह भी होता था कि नियम 51 की सूचना को लेते समय हर सदस्य के नाम पुकारे जाते थे । अगर सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो उस सूचना को निरस्त भी कर दिया जाता था । दोनों बातें लागू होती थीं । सूचना देने के बाद कितने गम्भीर अपनी सूचना के बारे में हैं, जब सूचना को आना है तब सदन में उपस्थित नहीं हुए और सूचना स्वीकार की जा रही है । आज सूचना डालकर चले गये, उसके प्रति कोई गम्भीर नहीं । कई सदस्य इस बात के ऊपर दबाव डालते थे, बल डालते थे सभी सदस्य दबाव डालते थे बल देते थे मेरी सूचना महत्वपूर्ण है तो दोनों बातों में सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जाये । माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी दोनों बैठें तो ठीक होगा ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 की सूचना लीं जाती है तो माननीय सदस्य को रहना चाहिये ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

सहमत हैं ।

श्री अध्यक्ष–

पहले एक सूचना नियम 51 में ली जाती थी फिर दो सूचनाओं का वक्तव्य के लिये प्राविधान किया गया । अब तीस-चालीस सूचनायें ली जाती हैं सूचनाओं की संख्या बढ़ी है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

नियम 51 की सूचना के समय संबंधित माननीय सदस्य उपस्थित रहें और राज्य मंत्री या मंत्री जो संबंधित हों वह उपस्थित रहें ।

श्री अध्यक्ष–

सामूहिक जिम्मेदारी है ।

श्री हुकुम सिंह–

स्थिति यह है कि जिस रोज वक्तव्य आता है सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं फिर हम क्यों चिन्ता करते हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

वक्तव्य के समय माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो आपको सूचना निरस्त करने का अधिकार है जिस प्रकार आप नियम 301 में निरस्त करते हैं उसी प्रकार नियम 51 भी निरस्त कर दें ।

श्री लालजी वर्मा–

यह सही है कि जिस सदस्य की सूचना ली जाए उसका रहना जरूरी हो इसको ध्यान में रखते हुये आप निर्णय लें, लेकिन आज की समस्याओं को देखते हुए एक दो नहीं मान्यवर जो आपने संख्या बढ़ाई है वह रहने दें ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 की सूचना कार्यसूची के अनुसार ली जायेगी उसमें जिस माननीय सदस्य की सूचना है वह पहले स्वीकृत हो गई है और वह अनुपस्थित हैं तो उनकी सूचना को निरस्त कर दिया जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

संबंधित माननीय सदस्य उपस्थित नहीं रहते हैं तो यदि संबंधित विभाग के मंत्री उपस्थित नहीं हैं तो संसदीय कार्य मंत्री जी भी कारण बताकर उसको प्रस्तुत करें ।

श्री अध्यक्ष–

फिर सामूहिक उत्तरदायित्व क्या रहा ?

मद संख्या–3 में कुछ नहीं है, मद संख्या–4 में कुछ नहीं है, मद संख्या 5 में कुछ नहीं है ।

वर्ष 2000–2001 के राजस्व अनुदानों पर दिनांक 13 मई, 2000 को दिये गये बजट भाषण में संशोधन हेतु राजस्व मंत्री का शोधन वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

मान्यवर, 2000–2001 के राजस्व .....

श्री अध्यक्ष–

पढ़ा मान लेते हैं ।

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

[अनुदानों पर दिनांक 13 मई, 2001 को दिये गये बजट भाषण में संशोधन हेतु राजस्व मंत्री का शोधन वक्तव्य ।

असंशोधित अंश	संशोधित अंश
आदरणीय अध्यक्ष जी वर्ष 2000–2001 के राजस्व अनुदानों पर दिनांक 13 मई, 2000 को हुई चर्चा में मेरे द्वारा सदन में बताया गया था कि :–	आदरणीय अध्यक्ष जी उक्त कथन में त्रुटि हो गई थी जिसका पता बाद में चला । सही कथन इस प्रकार है :–
"275 करोड़ रुपया किसानों को प्रतिकार के रूप में दिलाया है ।"	"285.06 करोड़ रुपया किसानों को प्रतिकर के रूप में दिलाया है ।"
"कुल 457 पशु और 106 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।"	"कुल 497 पशु और 106 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।"]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 की सूचना के पहले माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया था एक सूचना नेता प्रतिपक्ष ने दी है उसको सुन लेते हैं ।

कतिपय सदस्य–

नियम–56 की चयनित सूचनायें पहले पढ़ दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

पहले नियम–56 की सूचना बता देते हैं ।

आज दिनांक 24 मई, 2001 को नियम–56 के अन्तर्गत 12 सूचनायें प्राप्त हुईं । शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गयीं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली सूचना श्री श्रीराम पाल की है । दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री राम नरेश यादव, श्री कौकब हमीद की है । तीसरी सूचना श्री मूलचन्द की है चौथी सूचना श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री उदयराज यादव, श्री राम औतार शाक्य, श्री अनिल कुमार यादव, श्री राम विशुन आजाद, श्री दिलीप कुमार, डा० वकार अहमद शाह की है । पांचवीं सूचना श्री आर० के० चौधरी की है । शेष माननीय सदस्यों ने जो सूचना दी है वह है छठी सूचना श्री विजयपाल सिंह, श्री किशन लाल बघेल सेठ, श्री गंगा प्रसाद पुष्कर की है । सातवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लालजी वर्मा एवं श्री राम अचल राजभर की है ।

वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा न दिये जाने तथा लाठी और गोली चलाये जाने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष द्वारा 311 में जो सूचना दी गयी थी उसको सुन लेते हैं ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, 30 मई को जिस तरह से बर्बरतापूर्वक बाउन्ड्री वाल बनाये जाने उसे रोके जाने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों पर अंधाधुन्ध गोलियां चलायीं । पुलिस ने निरीह लोगों पर गोलियां चलायी जो अपने आप में निश्चित तरीके से अभूतपूर्व है । श्रीमन्, उस घटना की सूचना 22 तारीख को यहां सदन में दी गयी और हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने उस प्रश्न को उठाया । श्रीमन्, उस दिन सरकार की तरफ से जो पक्ष आया वह नितान्त भ्रमाक और गैर जिम्मेदाराना था । इस पर हम लोगों ने सदन का बहिष्कार भी किया और उसके बाद यह निश्चय किया कि घटना स्थल पर जाकर सम्बन्धित व्यक्तियों और अधिकारियों से भी गांव के लोगों से भी व्यापक जानकारी की जाय और उसके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाद इस सदन में पुनः उस प्रश्न को रखकर मांग की जाय और उस सरकार को यह कहा जाय कि वस्तुस्थिति यह है । श्रीमन्, इसी उद्देश्य से मैं और हमारे साथी बनारस के विधायक और दो अन्य विधायक कुल चार लोग मौके पर गये । बाबतपुर हवाई अड्डे पर जहां बाउन्ड्री वाल बन रही थी उसे भी देखा । श्रीमन्, जो सम्बन्धित गांव हैं वहां भी गये और गांवों में जो घायल हैं, घरों में पड़े हुए हैं उनको भी देखा । श्रीमन्, जो व्यक्ति मर गया है मेवा लाल उसके घर पर भी गये और अन्य घायलों के घरों पर गये और यह जानकारी ली कि यह घटना क्यों और कैसे घटी ।

श्रीमन्, मैं संक्षेप में कहूंगा कि यह घटना प्रशासन के जो बैठे हुए अदूरदर्शी अधिकारी थे उनकी अदूरदर्शिता के कारण घटित हुई और जानबूझकर घटित की गयी दोनों बातें हैं । श्रीमन्, जब बाउन्ड्री वाल बनायी जा रही थी आगे भी नींव खोदी जा रही थी फिर बाउन्ड्री वाल दो सौ मीटर करीब बन भी गयी थी । अगर दो सौ, तीन सौ मीटर की नींव खुदी पड़ी फिर उसको रोके जाने की नौबत कैसे आ गयी और बाउन्ड्री वाल गिराये जाने की बात कही, शासन पक्ष की ओर से वह किसने गिरायी थी पक्ष आया । श्रीमन्, बात यह है कि कुछ लोगों को आंशिक मुआवजा दिया गया था और वह मुआवजा दिया गया था परता रेट के हिसाब से । परता रेट जब हुआ करता था जब बैनामा होता है उस समय जमीन का मूल्य के अनुसार मूल्यांकन होता है और उसी मूल्यांकन के हिसाब से स्टाम्प लगता है । उसमें जो मूल्यांकन होता है उसे मूल्य मानकर सरकार ने कुछ लोगों को मुआवजा दे दिया ।

(इस समय 1 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए ।)

श्रीमन्, सरकार ने माना कि स्थानीय मूल्य उससे कई गुना ज्यादा है और आश्वासन भी दिया कि हम स्थानीय मूल्य के अनुसार मुआवजा देंगे लेकिन श्रीमन् नहीं दिया गया । मान्यवर, जब झगड़ा पैदा हुआ विवाद इस बात का था कि कुछ एक लोग ऐसे थे जिनकी जमीन बिना नोटिस दिये हुए घेर ली गयी जैसे कि रामपति, राजदेई, अमरावती, दयाराम आदि इनको नोटिस नहीं दी गयी और बाउन्ड्री वाल के अन्तर्गत उस जमीन को देना शुरू कर दिया । तो जब नोटिस ही नहीं है तो मुआवजे का प्रश्न ही कहां ? मान्यवर, जब कोई नोटिस दी जाती है तो उसमें आता है कि आपको मुआवजा इतना होता है । जब नोटिस दी ही नहीं कि जमीन ले रहे हैं तो फिर बात दूसरी हो गयी । मान्यवर, वह लोग एस०डी०एम०, डी०एम० सबसे मिले यह बेचारे लोग गरीब आदमी बिना पढ़े-लिखे और पिछड़े वर्ग के पटेल जाति के व्यक्ति हैं जिनके घरों की हालत भी मैंने देखी बहुत दीन-हीन हैं । रहन-सहन का स्तर भी बहुत नीचा है । आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पहली बार उन्होंने कहा कि जमीन का मुआवजा दे दिया जाये हमें कोई आपत्ति नहीं है । आश्वासन पर आश्वासन दिये गये । लेकिन इसमें नींव भी खोदी गयी बाउन्ड्री वाल भी बनवा दी गयी, काफी 200 मीटर तक बाउन्ड्री वाल बनवा दी गयी ।

मान्यवर, करीब 8 या 10 फिट के खाने हैं तो एक खाने की ईंटें करीब 20 ईंटें होती हैं उसमें कई ईंट एक ही जगह दिखायी दी जो पश्चिम से बाउन्ड्री से देखने में आ रही थीं । मान्यवर, उसमें 200 मीटर तक कहीं कोई ईट टूटी नहीं है एक जगह पर दो खानों की 25-30 ईंट टूट गयी वे आज भी दिखायी दे रही हैं मान्यवर, जो बाउन्ड्री बन रही थी वहां पर 18-20 ईंट पड़ी हुई हैं । मान्यवर, उस बाउन्ड्री वाल के गिराने की सुनियोजित मंशा होती तो सब बाउन्ड्री वाल गिरा दी होती अगर हजारों लोग वहां होते तो आपकी बाउन्ड्री वाल गिरा दी होती लेकिन ऐसा नहीं है सारे लोगों से पूछा कई अधिकारियों ने दबी जबान से कहा और यह बताया कि 8-10 लोग पहले ही आये । मान्यवर, जो

नोटिस की बात है जो जमीन गिरवाई जा रही थी वह प्रभावित व्यक्ति में एक ऐसा व्यक्ति था मेवालाल करीब 4 लाख मुआवजा बनता था और दिया गया 85,000 रुपये । जिनकी जमीन ली गयी । वे भी थे और उनके सगे भतीजे दो जिनकी जमीन ली गयी वे भी थे राजदेई वगैरह ये भी थे । श्रीमन्, 8-10 लोगों से ज्यादा नहीं थे उन्होंने कहा कि बाउन्ड्री वाल बनवाना बन्द कर दीजिये हमें मुआवजा दे दीजिये फिर आप बाउन्ड्री वाल बनवा लें मान्यवर, 13 डिस्मिल ही जमीन थी । मान्यवर, उनका कहना था कि पैसा दिया जाये लेकिन वे किसी तरीके से नहीं माने मान्यवर, असल बात तो यह थी कि वहां के निदेशक जो हवाई अड्डे के हैं नाम है यू०एन० सिंह । वे यह चाहते थे कि किसी तरह से करोड़ों रुपये जो बाउन्ड्री वाल के मिले हैं उसमें जल्दी कार्यवाही हो जाये और हमारी मंशा पूरी हो जाये । जो उनकी मंशा रही हो, जल्दी-जल्दी उसमें करना चाहते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 8-10 लोग आये अगर उन्होंने सूचना दी होती तो ज्यादा लोग आये होते ये सारे लोग जिनकी जमीन गयी है सारे लोगों के आने की बात होती बहुत बड़ा जुल्म होता लेकिन यहां 8-10 लोग आये तो एस०डी०एम० कैसे आ गये, थानाध्यक्ष कैसे आ गये सी०ओ० कैसे आ गये । यदि थानाध्यक्ष फूलपुर, एस०डी०एम० पिण्डरा, सी०ओ० ज्वालापुर यह सब वहां पर आ गये इन 8-10 लोगों के आने पर तो निश्चित रूप से कोई न कोई मिलीभगत रही होगी, वहां के निदेशक हवाई अड्डे के जो सिंह हैं उनको एस०डी०एम०, सी०ओ० और थानेदार को सब लोग मिलकर जल्दी बाउन्ड्री वाल बना लें और जो रुपया है उसको कहीं और खर्च करके बन्दरबांट कर लें । अन्यथा आठ-दस लोग आ जायें बाउन्ड्री के पास उसको रोकने की कोशिश करें, कोई अधिकारी न हो और वहां तुरन्त 5 मिनट भी न हों सब आ जायें जो उनको रोकने लगे और स्वयं गोली चला दे पुलिस । मान ली जाये यह कहा जाये कि पुलिस आ गयी थी तो तुरन्त गोली चलाने की क्या बात थी । पुलिस आ गयी थी तो एस०डी०एम० और सी०ओ० की घेरेबन्दी कर लिया होता ।

यह आपने कहा कि एस०डी०एम०, सी०ओ० को घेर लिया, जान का खतरा था तो क्या इस पर हम गोली मार सकते हैं, हमें खतरा है तो हमें गोली मार देना चाहिए था । केवल यह समझकर गोली नहीं मार देनी चाहिए । श्रीमन्, सर्विस रिवाल्वर से एस०डी०एम० ने गोली मार दी । एस०डी०एम० के पास सर्विस रिवाल्वर कहां से आया, क्या दरोगा से छीनकर मारा अगर कहीं से मारा तो यह जाहिर होता है कि पहले से षड़यन्त्र है कि किसानों को दबा दो पैसा न दिया जाय । जल्दी-जल्दी बाउन्ड्री बना दो और अलग उपभोग हो जाय पैसे का । तो श्रीमन्, जब गोली मार दी गयी और एक किसान मेवालाल मारा गया और उसके सगे भतीजे कल्लू और राम नरायन दोनों बुरी तरह से घायल हो गये जब यह सब सुना पास में ही गांव था 200-300 मीटर, 400 मीटर पर गांव है तो औरतें रोती बिलखती आ गयीं जब सुना कि हमारे पति को गोली लग गयी है, किसी ने सुना भाई को गोली लग गयी है तो जब औरतें रोती बिलखती आ गयीं तो उनको भी नहीं छोड़ा, बुरी तरह से उनको लाठियों से पीटा । श्रीमन्, ऐसा नहीं है माननीय हरिश्चन्द्र जी वित्त मंत्री हैं केवल उनको भेज दिया जाय गांव में वह सत्तापक्ष के हैं, मंत्री और वहां के विधायक भी हैं, उनको भेज दिया जाय अगर असत्यता है तो मैं अपनी बात वापिस ले लूंगा । श्रीमन्, स्त्रियों-बच्चों को जो रोते बिलखते हुए लाश के पास बैठे हुए थे अगर उन्हें देख लिया जाय तो कमजोर सा मेवालाल का लड़का और जो औरत थी लाश लिए थी उसको पुलिस ने क्या किया लात से उनको बुरी तरह से मारा, लाठियों से मारा और ढकेल दिया और लाश को लेकर चले गये, यह स्थिति पैदा कर दी । अब प्रश्न यह उठता है कि यह सारा कार्य जो किया गया है वहां के प्रशासनिक

अधिकारियों ने, पुलिस ने क्या यह जुल्म-ज्यादती की इन्तिहा नहीं है ? इससे ज्यादा जुल्म और क्या हो सकता है ? कोई अपनी जमीन का मुआवजा मांगे, उसकी कोई चल-अचल सम्पत्तिं है, या तो वह उसको खुशी से दे दे और नहीं तो मुआवजा देकर ली जा सकती है, इसमें कोई बुराई तो नहीं । श्रीमन्, जिस तरह वहां हुआ, यह बड़ा मजाक सा लगता है कि [xxx] कम से कम माननीय हरीश जी थे, मंत्री हैं, ओम प्रकाश सिंह हैं, मंत्री और विधायक अजय राज जी हैं, इन सबको साथ ले लिया जाता तो कोई गलत था । क्या कहती होगी जनता इन जनप्रतिनिधियों के लिए कि इनमें कोई विश्वास नहीं है । मुख्य मंत्री जी को [xxx] मान्यवर, आज भी वहां राम नरायन पटेल और कल्लू पटेल जो सगे भाई हैं, वह सिंह मेडिकल वाराणसी में हैं उसमें भर्ती हैं और राम समुझ पटेल भी भर्ती हैं । कल्लू पटेल बुरी तरह प्रभावित है, उसकी हालत खराब है, वहां नर्सिंग होम में हैं, उसको पैसा इसलिए नहीं दिया कि उसको गोली नहीं लगी है, केवल हाथ पैर टूट गये हैं । श्रीमन्, हरिश्चन्द्र जी वित्त मंत्री जी आप पता लगा लीजिये जो वहां के अधिकारी ने बताया डाक बंगले में कि हमारी पुलिस ने कोई लाठी गोली नहीं चलायी । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यदि पुलिस ने नहीं चलायी तो क्या भाई ने भाई को लाठी मार दी, भाई ने भाई को गोली मार दी, इसमें भी मैं पूरी तरह से वहां के प्रशासन का दोष मानता हूं । वहां से गलत सूचना यहां शासन को दी गयी और इसलिए शासन में बैठे हुए समारे संसदीय कार्य मंत्री ने जो उत्तर दिया, वह या तो इसी गलत बयानी के कारण दिया गया अथवा सारे प्रकरण की टालमटोल के कारण दिया गया । मैं नहीं समझ पाया कि इसका उद्देश्य क्या है । यह अत्यन्त जगान्य अपराध है । वहां चर्च की जमीन को भी घेर लिया गया । चर्च के लोगों ने कहा कि हमें इसके बदले में जमीन दे दें, इसके अलावा वहां गांव के लोगों का आना-जाना है, उसको भी बाउन्ड्री ममें ले लिया गया, वहां के लोग इससे बड़े दुखी हैं, कहते हैं कि अब कहां से आना-जाना होगा । उनका कहना है कि सरकार द्वारा हम लोगों को गांव से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया है, इस तरह की कार्यवाही वहां की गयी है । मैं चाहता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि पहले वहां तो इसकी जांच जो तथ्य मैंने रखे हैं, इसकी जांच संयुक्त समिति से जो विधान सभा की है, उससे करवा ली जाए और नम्बर–2 श्रीमन्, इस बात की भी जांच करा ली जार कि जो नाम बतायें हैं क्या उनकी जमीन बिना नोटिस के ही बाउन्ड्री के अन्तर्गत ली जा रही थी, जिसको कारसकारों ने रोका और तीसरी बात इस बात की जांच करा ली जाए कि एस०डी०एम० ने जो गोली चलायी, राइफल किसका था ? आत्मरक्षा में गोली चलायी, यह जवाब संसदीय कार्य मंत्री जी का आया है, तो यह रिवाल्वर किसका था और मान्यवर, मारे गये मेवा लाल को देखने के लिए लेडीज और पुरुष गये थे, रोते-बिलखते थे, उन पर लाठियां किसने बरसायीं और अगली बात की जानकारी इस सदन को दी जानी चाहिए कि श्रीमन्, इस चर्च की जमीन को जो घेरा जा रहा है, क्या उसके बदले में मुआवजा देने की बात है और अगली बात कि रास्ता भी बन्द किया जा रहा है और अगली जानकारी यह भी होनी चाहिए कि क्या 21 तारीख के इस बर्बर काण्ड जिसमें एक किसान की हत्या कर दी गयी और अनेक को घायल कर दिया गया, लेडीज को घायल कर दिया इसके खिलाफ क्या 22 तारीख को बनारस में रेलवे का चक्का जाम लोगों ने आम जनता ने किया और 3 घण्टे तक

[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

रेलवे का आवागमन बन्द हो गया और श्रीमन्, क्यों बन्द हो गया इसलिए कि एक मांग की जा रही थी कि रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करायी गयी ।

श्रीमन्, यह मौलिक अधिकार है, अगर डकैती पड़ जाती है तो रिपोर्ट दर्ज होती है, जबरदस्ती कब्जा करना भी डकैती है और किसी को मार देना यह 302 का सीधा-सीधा केस है । अगर रिपोर्ट दर्ज कराने की यह मांग गलत है तो मैं समझता हूं कि इस धारा को इस तरह से अमेण्ड कर दिया जाए कि रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले जांच हो फिर रिपोर्ट दर्ज हो, अगर नहीं होता है तो पहले रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए । अगर केस झूठा है तो अधिकार है जांचकर्ता को वह स्पंज भी कर सकता है, फाइनल रिपोर्ट भी लगा सकता है तो मान्यवर, रिपोर्ट दर्ज करा दी जाए । मान्यवर, यह सरकार जानबूझकर इन हत्यारे अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने में लगी हुई है । श्रीमन्, मैं यह कहते हुए कि यह प्रश्न अत्यन्त गम्भीर, जनहित का है, लोक महत्व का है और अविलम्बनीय है, इसलिए विधान सभा की सारी कार्यवाही रोककर, सारे नियमों को निलम्बित करते हुए इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरी बात भी सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष के ही हस्ताक्षर हैं ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपका 311 में था जिसमें अध्यक्ष जी ने कहा था कि इसमें आप कह लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आज एक बहुत विस्तृत जानकारी नेता प्रतिपक्ष ने आपको आंखों देखा जो विवरण था, यहां पर सुनाया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सदन की सर्वमान्य परम्परा रही है कि अगर एक विषय सदन में आ जाता है तो नियम–56 के अन्तर्गत दोबारा नहीं आता है, आज आपने कृपापूर्वक दोबारा सुना है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मैंने इसे इसलिए उठाया कि इसमें कई नई बातें थीं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं तो आपके पक्ष में बोल रहा हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

आपने कानूनी आपत्ति उठायी है इसलिए उन्होंने जवाब दिया ।

श्री प्रमोद कुमार–

लेकिन इस विषय के महत्व को देखते हुए कि माननीय नेता विरोधी दल स्वयं मौके पर गये थे, तथ्य एकत्रित करके आये हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मण्डल गया था। वहां पर.....

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सम्बन्ध में आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप व्यवस्था का प्रश्न बताइये।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं व्यवस्था का ही प्रश्न उठा रहा हूं। नियम–56 में आप दुबारा अनुमति नहीं देते हैं, विषय की गम्भीरता को समझते हुए इस सरकार की जो वहां पर दुर्दान्त गतिविधियां थीं, जिस तरीके से जोर-जबरदस्ती की गयी।

श्री अधिष्ठाता–

आपका हस्ताक्षर इस सूचना पर नहीं है, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं नियम–56 पर नहीं बोल रहा हूं। मैं व्यवस्था मांग रहा हूं। आप इन्कार कर दें, लेकिन व्यवस्था तो दें।

श्री अधिष्ठाता–

कोई व्यवस्था नहीं आप स्थान ग्रहण करिये। अब जो बोलेंगे वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx]

(श्री अम्बिका चौधरी जी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

नेता विरोधी दल ने पूरी बात रख दी है, अब संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर आ जाने दीजिये।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जो सुविधा आपने नेता विरोधी दल को दी है क्या वह ब०स०पा०, कांग्रेस, लोकदल व अन्य दलों को भी देंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल के कुछ विशेषाधिकार हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

नियम–56 के लिए नहीं है।

[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

नेता विरोधी दल को नियम–56 में नहीं विशेष उल्लेख के जरिये सुना गया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

इतने महत्वपूर्ण विषय पर क्या हमारे राजनीतिक दल का विचार न आये ? जो नेता विरोधी दल को अवसर उपलब्ध कराया है वह क्या हमको भी उपलब्ध करायेंगे ? यह सरकार हत्या का मुकदमा कायम करने का निर्देश नहीं दे रही है । कमिश्नर क्या जांच करेंगे, एक नई परम्परा आपने डाली है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नेता विरोधी दल इस विधान सभा के सम्मानित सदस्य हैं । .....

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, आप ही कह दीजिये यह प्रकरण समाप्त हो जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय नेता विरोधी दल इस सम्मानित सदन के सदस्य भी हैं और नेता विरोधी दल भी है । मान्यवर, वह अपने दोनों पदों के कर्तव्यों का निर्वहन इस सदन में कर रहे हैं । माननीय नेता विरोधी दल वहां गये और वहां जाकर इन्होंने जो देखा वह इस सदन के संज्ञान में नहीं आया है । माननीय नेता विरोधी दल उसी पर इस सदन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और उस सरकार से कार्यवाही की अपेक्षा करते हैं । लेकिन जो माननीय सदस्य प्रमोद तिवारी जी जायसवाल जी की बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि जायसवाल जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं लेकिन वह इस सम्मानित सदन के सदस्य नहीं हैं । लेकिन जो माननीय नेता विरोधी दल बात कह रहे हैं तो वह इस सम्मानित सदस्य के सदस्य भी हैं और नेता विरोधी दल भी हैं, उन्होंने जो वहां देखा वह सम्मानित सदस्य के रूप में देखा और जो कह रहे हैं वह नेता विरोधी दल की हैसियत से कह रहे हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अधिकार माननीय नेता विरोधी दल को प्राप्त हैं वह जायसवाल जी को प्राप्त नहीं हैं, तो फिर आप माननीय नेता विरोधी दल की जायसवाल जी से कैसे एकरूपता साबित कर सकते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने जो व्यवस्था मांगी है, उस पर आप अपनी व्यवस्था दें अन्यथा उसे अस्वीकार कर दें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, पहले मेरे प्रश्न पर व्यवस्था आ जाये । कांग्रेस किसानों की घोर विरोधी है ।

(श्री रामनरेश यादव के खड़े होने पर)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, कांग्रेस किसानों और गरीबों की विरोधी रही है वह सोचती है कि इनका ऐसे ही शोषण होता रहे ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इससे पूर्व भी यह प्रकरण उठाया गया था तब भी मैंने कहा था कि यह एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी अभी जांच चल रही है और अगर जांच से पहले ही मैं कोई स्पष्टीकरण दूं या किसी को दोषी ठहराऊं तो यह उचित नहीं होगा इसलिए अभी यह संभव नहीं हो पायेगा । नेता विरोधी दल स्वयं वहां गये और उसके आधार पर कुछ बातें उन्होंने कही हैं । मैं अपनी जानकारी के आधार पर कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं । मान्यवर, यह जो कहा गया है कि रमापति पुत्र दौलत को बिना कोई नोटिस दिए हुए उनकी जमीन पर कब्जा किया गया है तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है और जो तथ्य सामने आये हैं, रमापति पुत्र दौलत के चार खाते हैं और चारों खातों का प्रतिकर भुगतान किया जा चुका है । उस दिन भी मैंने कहा था और आज फिर कह रहा हूं उनकी जमीन का 80 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पहले वाले खातों का भुगतान किया गया है या बाद वाले खातों का भुगतान किया गया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, दूसरी जिस बात का यहां पर उल्लेख किया गया है कि अमरावती–राजदेई को कोई नोटिस नहीं दी गयी और उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर कुछ लोगों ने इस सम्बन्ध में उज्रदारी की इसीलिए उनका प्रतिकर भुगतान नहीं किया गया है । नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती, स्वामित्व का मामला तय हो जाने के बाद प्रतिकर दे दिया जायेगा । मान्यवर, तीसरी बात यह कही गयी कि गांव का रास्ता बन्द किया जा रहा था और उनके लिए रास्ते की व्यवस्था नहीं की गई थी । मैं बताना चाहता हूं कि इस अधिग्रहण के साथ-साथ रास्ते की भूमि का भी अधिग्रहण किया गया है । जब तक यह रास्ता बनकर न तैयार हो जाय, बाउन्ड्री में ही रास्ता जायेगा और बाद में उसको बन्द किया जाता । रास्ते के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है । मान्यवर, नेता विरोधी दल ने पूछा था कि एस०डी०एम० के पास रिवाल्वर कहां से आ गई तो इसकी पुष्टि की गई है । एस०डी०एम० को सरकारी मालखाने से रिवाल्वर जारी किया गया था । प्राइवेट रिवाल्वर नहीं थी । एक बात लालजी वर्मा पूछ रहे थे कि किस रेट पर मुआवजा दिया गया है पहले वाले पर या बाद वाले पर ।

मान्यवर, इसका जो रेट निर्धारित किया गया था उसके आधार पर जिला प्रशासन ने प्रतिकर दिया था । जब गांव वालों ने शासन को ज्ञापन दिया तो शासन ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि गांव वालों के साथ बैठिए, सर्किल रेट पर नहीं, बाजार भाव से प्रतिकर दिया जायेगा । उसमें दोनों पक्षों का समझौता हुआ और समझौता होने के बाद जो बाजार मूल्य है उसके आधार पर जिलाधिकारी का प्रस्ताव यहां पर प्राप्त हुआ । 18 तारीख को नागरिक उड्डयन विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक हो चुकी है और उसी आधार पर प्रतिकर देने की बात चल रही है । मान्यवर, एक बात के मारे में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष कोई बात कहते हैं तो उसका संज्ञान लेना आवश्यक है । उन्होंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी की पत्नी सरकारी गाड़ी में गईं । इसकी मैंने जानकारी की, मैं निश्चित जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि वह पहले से उपस्थित थीं । जब यह घटना हो गयी तो उनका भी दायित्व बनता था, समाज में उनका एक स्थान है । कोई मुख्य मंत्री की पत्नी न भी हो तो भी जा

सकती है । माननीय हरीश जी जा सकते हैं, कोई जा सकता है । हरीश जी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री हैं, नम्बर दो पर उनका स्थान है, उनका सब सम्मान करते हैं । मान्यवर, संयोग से वह वहां पर उपस्थित थीं और वह जाकर मिल आईं इसमें उन्होंने कौन सा पाप कर दिया । जितनी संवेदनशीलता आप में है उसकी जानकारी मुझे भी है । हम तो आपको बहुत सरल स्वाभाव का मानते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है । अनचाहे मन से भी कुछ बातें कहनी पड़ी हैं । तो मान्यवर, अब नियम–311, 56 में कोई बात नहीं रह जाती है, सारी बातें विस्तार से आ गई हैं ।

मान्यवर, एक बात मैं कहकर समाप्त कर रहा हूं । यहां पर जांच की बात कही गयी, एफ०आई०आर० की बात कही गयी । इसकी जांच मण्डलायुक्त से करा रहे हैं उनको कुछ बिन्दु दिये गये हैं । वह बिन्दु हैं कि गोली चलाने और फायर करने का कोई औचित्य था कि नहीं । गोली सामान्य रूप से चली या असमान्य रूप से । अधिकारियों का कहना था कि वह 3 तरफ से घेर लिया और उनकी जान असुरक्षित हो गयी सेल्फ डिफेन्स में गोली चलायी गयी है । यह बिन्दु जांच में संदर्भित किया गया है कि क्या वास्तव में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी कि जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी जान को खतरा पैदा हो गया था । अगर जांच में यह अधिकारी दोषी पाये जाते हैं तो संगत धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया जायगा और कार्यवाही की जायेगी । कम से कम जांच रिपोर्ट तो आ जाने दीजिये । जो एफ०आई०आर० की बात कही गयी तो अगर जांच रिपोर्ट में दोषी पाये गये तो एफ०आई०आर० दर्ज होगी और कार्यवाही होगी । जांच रिपोर्ट का हम परीक्षण करेंगे और यदि ऐसा लगा कि जांच रिपोर्ट वास्तव में गुण-दोष के आधार पर नहीं है तो दूसरी एजेन्सी से जांच की जा सकती है । इस सूचना को निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उस संबंध में मैं 2-3 स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । राजदेई–अमरावती की जमीन पर बिना नोटिस दिये बाउन्डरी वाल बनायी जा रही थी और उनकी जमीन पर जबरदस्ती अधिकार किया जा रहा था । आपने कहा कि जमीन पर स्वामित्व का विवाद था तो "आका या बाका" जमीन तो किसी की होगी ही, अगर जमीन पर विवाद था तो विवादित जमीन पर आपने अधिकार कैसे किया और उस पर हवाई अड्डे की बाउन्डरी बनाने का कैसे आपको अधिकार है, कौन से कानून के अन्तर्गत है । यह निर्माण कार्य रोका जा सकता था । सदन को गुमराह करने, सदन को झुठलाने के लिये यह बात कही जा रही है । जब जमीन में विवाद था तो बंदरबांट क्यों होने लगी । जैसे बन्दर ने कहा था न तेरी है न उसकी है यह मेरी है । यह बात साफ स्पष्ट हो गयी है कि बगैर जमीन का मुआवजा दिये गये जमीन घेरी जा रही थी । लोगों ने इसको रोका तो गोलियों से मारा गया, भूना गया । इसका उत्तर आ जाना चाहिये कि बाउन्डरी वाल बनाने से क्यों नहीं रोका गया । दूसरे एस०डी०एम० को मालखाने से रिवाल्वर कब मिला, किस मालखाने से मिला । तीसरी चीज में यह कहना चाहता हूं कि यह कार्यपालिका का अपराध है और कार्यपालिका इसकी जांच कर रही है तो जांच कभी भी न्यायपूर्ण नहीं हो सकती है । मैंने बार-बार मांग की है कि सदन की संयुक्त समिति द्वारा जांच करायी जाय । अगर विधान सभा के सदस्यों से जांच नहीं कराना चाहते हैं तो हाईकोर्ट के वर्तमान जज से जांच करवा ली जाय ।

हाई कोर्ट के जज से जांच करवा लें, बहुत सी जांचें हुई हैं । अगली बात यह है कि जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, घायलों को नहीं मिला है, जिन घायलों के अभी भी शरीर में गोलियां हैं, उनको आक्सीजन दी जा रही है, नर्सिंग होम और सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं क्या उन सबको एक एक लाख रुपये का मुआवजा सरकार देगी व मृतक के परिवार वालों को 10 लाख रुपये मुआवजे में देगी । इस मामले की रिपोर्ट धारा 302/395 व जबरदस्ती डाका डालने के लिए 396 में रिपोर्ट दर्ज कराकर इसकी जांच होगी व जांच होने के पहले वहां के एस०डी०एम०, सी०ओ० व दरोगा को वहां से स्थानान्तरित करेगी व उनको निलम्बित किया जायेगा । यह उत्तर आ जाए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं भी एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । बार-बार सरकार ने इस सदन में घोषणा की है और यह नीति भी है कि जब तक अधिग्रहीत जमीन का पूर्ण मुआवजा न दे दिया जाए तब तक उस पर कब्जा न किया जाए । जब यहां संसदीय कार्य मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ लोगों को 80 प्रतिशत तक मुआवजा दिया गया था वह भी सर्किल रेट पर था जहां तक मेरी जानकारी है कि बाद में कई मंत्रियों के कहने पर उसे मार्केट रेट पर देने की बात हुई । मैं यह जानना चाहता हूं नीति के विरुद्ध जाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई । उनकी जमीन का बिना मुआवजा दिए बाउन्ड्री वाल बनाने और कब्जा लेने की क्या आवश्यकता थी । मार्केट रेट से मुआवजा दिए बिना सरकार क्यों कब्जा करने जा रही थी ? दूसरे जब वहां सी०ओ० भी थे, पुलिस वाले भी थे तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आ पड़ी कि एस०डी०एम० को गोली चलानी पड़ी । जबकि एस०डी०एम० को गोली चलाने की केवल सामान्य जानकारी होती है । सी०ओ० ने एस०डी०एम० की हिफाजत के लिए गोली क्यों नहीं चलाई, पुलिस कांस्टेबुल जो थे उन्होंने क्यों नहीं गोली चलाई ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ पड़ी कि एस०डी०एम० को गोली चलानी पड़ी । एस०डी०एम० को मालखाने से कब सर्विस रिवाल्वर जारी हुआ उसकी तारीख आ जाए । यह सारी कार्यवाही फर्जी की गई । क्या संसदीय कार्य मंत्री जी इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जहां लोग पलायन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की चिन्ता का यह विषय बन चुका है, आयुक्त की जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है इसकी गंभीरता को देखते हुये जहां दोष सिद्ध हो चुका है एफ०आई०आर० दर्ज कराकर पुलिस तफ्तीश कराएं अगर निर्दोष साबित हो तो कोई बात नहीं तो हिरासत में दोषियों को लेने की व्यवस्था करेंगे ? इस प्रकरण की जांच सदन की संयुक्त से या हाई कोर्ट के न्यायाधीश से करायेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×]

[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठें । यह ठीक नहीं है, यह लिखा नहीं जायगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि अमरावती राजदेही प्रकरण विवादित था तो अधिग्रहण क्यों हुआ तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम में दो स्टेज है धारा चार और 6/17 । 6/17 में निर्देशानुसार मुआवजा देकर भूमि अधिग्रहीत कर ली गई । विवाद तो केवल मुआवजे के भुगतान का है । नियमों में प्राविधान है कि भुगतान के समय कोई और व्यक्ति भी आकर कहता है कि मालिक मैं हूं तो उसे भी सुना जाता है । न जाने कितनी सैकड़ों की तादाद में मुकदमें पड़े हैं बिल्डिगें बन गई मुआवजा इसलिए नहीं मिल पाया कि दावेदार कोई और आ गया । यह न्यायिक प्रक्रिया है । जैसे ही तय हो जायगा मुआवजा दे दिया जायगा । एस०डी०एम० को रिवाल्वर कहां, कैसे कब दी जाने की बात है तो कमिश्नर जांच में सब आ जायेगा । यह जांच का बिन्दु है ।

श्री धनीराम वर्मा–

तथ्यों को छिपाया जा रहा है ।

कमिश्नर की जांच का क्या औचित्य है ?

(तत्पश्चात् विरोध स्वरूप समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य नारे लगाते हुए वेल में आ गये जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । नेता प्रतिपक्ष कृपया बात सुनें ।

(घोर व्यवधान जारी)

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारे लगाते रहे ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया मेरी बात तो सुन लें । कोई व्यवस्था नहीं सुनना चाहते हैं आप ।

(सदस्यों के लगातार बोलते रहने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, यदि आप इस पर चर्चा की अपेक्षा कर रहे हैं तो मांग कर लीजिये । आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं । क्या आप इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं तो बतायें ?

(सदस्यों के लगातार नारे लगाते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं 10 मिनट के लिये सदन को स्थगित कर रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(घोर व्यवधान के कारण 2 बजकर 15 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 25 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 2 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री धनीराम वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, हम लोग जानबूझकर यह नहीं चाहते हैं कि सदन में व्यवधान हो, लेकिन यह चाहते हैं सरकार के पक्ष का जो उत्तर है वह कम से कम पूरा सत्य न हो, तो 70-75 फीसदी सही हो 50 प्रतिशत सही हो लेकिन जो उल्लेख कर रहे थे वह सही नहीं है हम जानकारी चाहते हैं वह जानकारी दी जाए । रिवाल्वर मालखाने से दिया गया लेकिन यह रिवाल्वर किस समय दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह–

इस बात का कोई महत्व नहीं रह गया है ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

यह कोई बात नहीं होती है । पहले रिपोर्ट दर्ज करने का आश्वासन मिलना चाहिए था, घोषणा होनी चाहिए, यह बताना नहीं चाहते हैं सर्विस रिवाल्वर कब दिया गया ? इसका उत्तर आना चाहिए ।

श्री हुकुम सिंह–

रिवाल्वर के बारे में जानकारी करके बता देंगे ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

यह लीपा-पोती नहीं चलेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपने स्थान पर बैठ जायं ।

श्री धनीराम वर्मा–

सत्य को छिपाया जा रहा है सदन को गुमराह किया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

नेता प्रतिपक्ष की सूचना पर मैं समझता हूं प्रकरण गंभीर है और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, मैं इसमें एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

चर्चा की बात नहीं है यह तो बात की बात है पहले स्पष्टीकरण दिलाएं, स्पष्टीकरण आना चाहिए । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं मा० सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद इस सूचना को निरस्त करता हूं।

(व्यवधान)

(श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री उदयराज यादव, डा० धर्मज्ञ मिश्र आदि अनेक समाजवादी पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आ गए)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

नियम–56 की पहली सूचना श्री श्रीराम पाल की है जो प्रदेश में शादी विवाह व तिलकोत्सव के अवसरों पर लापरवाही तथा नशे की हालत में शस्त्रों से अन्धाधुन्ध फायरिंग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित होने पर मैं इस सूचना को स्थगित कर रहा हूं)

(घोर व्यवधान)

(समाजवादी पार्टी के सदस्य नारे लगा रहे थे)

दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री राम नरेश यादव एवं श्री कौकब हमीद की है।

(नाम पुकारे जाने एवं किसी के न बोलने पर)

मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं।

(घोर व्यवधान)

(समाजवादी पार्टी के सदस्य नारे लगा रहे थे)

तीसरी सूचना श्री मूलचन्द की है, (नाम पुकारे जाने एवं किसी के न बोलने पर)

मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

चौथी सूचना श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री उदयराज यादव, श्री राम औतार शाक्य, श्री अनिल कुमार यादव, श्री राम विशुन आजाद, श्री दिलीप कुमार वर्मा व डा० वकार अहमद शाह की है, को मैं निरस्त कर रहा हूं। पांचवीं सूचना श्री आर०के० चौधरी की है। वह उपस्थित नहीं हैं इसलिए मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं। छठी सूचना श्री विजयपाल सिंह, श्री किशन लाल बघेल, श्री गंगा प्रसाद पुष्कर की है, को मैं निरस्त कर रहा हूं। सातवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री लालजी वर्मा व श्री रामअचल राजभर की है, इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं। आठवीं सूचना

श्रीमती गौरीदेवी की है, को मैं निरस्त कर रहा हूं। नौवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की है, इसको भी मैं निरस्त कर रहा हूं। दसवीं सूचना डा० अशोक बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह व श्री अम्बिका चौधरी की है, को मैं निरस्त कर रहा हूं। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गयीं, अतः अस्वीकृत हुईं। 1–श्री लालजी वर्मा, श्री राम अचल राजभर, श्री बी०आर० वर्मा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, 2–कौकब हमीद, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना।

आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर जायें।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों मतदान, अनुदान सं०–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,29,44,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं।

(किसी के द्वारा कटौती प्रस्ताव न रखने पर)

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,29,44,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान सं०–14 कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज)

* पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,87,34,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव न रखने पर)

चूंकि कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,87,34,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों एवं मतदान, अनुदान सं०–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

*समाज कल्याण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,65,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव न रखने पर)

चूंकि कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,65,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान सं०–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,11,11,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय संदस्य इसमें कटौती का प्रस्ताव रखना चाह रहे हैं ।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव न रखने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,11,11,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(समाजवादी पार्टी सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारा लगाते रहे)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान सं०–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,81,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य इसमें कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव न रखने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग-(जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,81,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं नियम–51 की सूचनाओं को लेता हूं।

आज दिनांक 24 मई, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है जो मेरठ नगर निगम में कतिपय अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। दूसरी सूचना श्री हरपाल सिंह की है जो खुर्जा शहर में खुर्जा मूडाखेड़ा रोड के निकट पशुवध के उपरान्त सड़क पर ही मलवा फेंक देने से व्याप्त प्रदूषण को रोकने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। तीसरी सूचना डा० ज्ञानवती सिंह की है, जो जनपद अलीगढ़ के आवासीय क्षेत्रों में ताला एवं पीतल उद्योग में प्रयुक्त होने वाले रसायन ट्राईक्लोरोइथलीन पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। चौथी सूचना श्री राम हर्ष सिंह की है, जो समाज कल्याण विभाग के उप विभाग स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में सहायक विकास अधिकारी की सेवा नियमावली न होने एवं इनकी पदोन्नति न करके अन्य विभाग के लोगों की पदोन्नति करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। पांचवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है, जो राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम, लखनऊ के आदेश दिनांक 18-7-2000 का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं छोटे मुद्रक/प्रकाशकों के बकाया धनराशि के भुगतान के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। छठी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की है, जो जनपद फैजाबाद की ग्राम पंचायत करमडाडा एवं लखनऊ की ग्राम पंचायत अटेसुआ में रिक्त ग्राम प्रधान पदों पर यथाशीघ्र चुनाव कराये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। सातवीं सूचना श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि की है, जो प्रदेश के स्थानीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मियों आदि की सेवानिवृत्ति पर व कर्मचारियों की मृत्यु के फलस्वरूप उनके बीमा दावों का शीघ्र भुगतान किये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। आठवीं सूचना श्री विजय पाल सिंह की है, जो जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत पेयजल समस्या का निदान कराये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। नौवीं सूचना श्री चन्द्रेश पासवान की है (नियम–56 में प्राप्त) जो शासन द्वारा प्रदत्त उनके दरभाष को अवैध तरीके से टेप/रिकार्ड कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। दसवीं सूचना श्री सुधाकर सिंह की है (नियम–56 में प्राप्त) जो जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डांव अन्तर्गत घाघरा नदी पर मलहदुलिया नाला, दुबारी पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की है जो लखनऊ निवासी श्री संजय तिवारी के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में अवशेष वेतन का भुगतान कराये जाने के संबंध में है

केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । बारहवीं सूचना श्री विनोद मणि की है जो जनपद महाराजगंज में रोहित नदी पर बने सेतु त्रिमुहानी एवं हड़हवा घाट पर निर्मित पुलों पर पथकर वसूली समाप्त करने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । तेरहवीं सूचना डा० पूर्णमासी पंकज की है जो जनपद संत रविदास नगर भदोही में निर्माणाधीन 33 के०वी० भदोही–सुरयावां लाइन को जोड़ने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया । चौदहवीं सूचना डा० दकार अहमद शाह की है, जो जनपद बहराइच के कतिपय मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति हेतु खराब नलकूप ठीक कराने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । पन्द्रहवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है, जो जनपद जौनपुर में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के शुभारम्भ में बरती गयी अनियमितताओं के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । सोलहवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की है, जो प्रदेश में सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा को समाप्त किये जाने के निर्णय से उसमें कार्यरत शिक्षा अनुदेशकों के बेरोजगार होने की आशंका के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । सत्रहवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की है, जो जनपद वाराणसी में जलने से मृत महिलाओं के शवों के पोस्टमार्टम की कार्यवाही हेतु विशेष मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सुनिश्चित करने एवं मृत्यु पूर्व बयान लेने हेतु समय से मजिस्ट्रेट की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । अठारहवीं सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र की है, जो जनपद हरदोई मुख्यालय स्थित महिला चिकित्सालय में नियुक्त बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक को महिला चिकित्सालय में ही मरीजों की देखभाल करने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । उन्नीसवीं सूचना श्री वसीम अहमद की है जो जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्र में पूर्वांचल विकास निधि तथा विधायक निधि का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । बीसवीं सूचना श्री रूप चौधरी की है जो प्रदेश में कुख्यात अपराधियों का असली नाम प्रचारित एवं प्रसारित करने तथा उनके नाम के आगे जातिसूचक शब्द न लिखे जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । इक्कीसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह की है जो लखनऊ में नैपियर रोड स्थित सचिवालय कालोनी ठाकुर गंज में सफाई की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । बाईसवीं सूचना श्री कौकब हमीद की है जो मैनपुरी के ग्राम कुम्हरावां के प्रधान एवं खण्ड विकास अधिकारी की मिलीभगत से धनराशि के दुरुपयोग की जांच कराने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । तेईसवीं सूचना श्री राजेश कुमार सिंह की है, जो जनपद मुरादाबाद के कांठ क्षेत्रान्तर्गत करूला नदी के टूटे पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :–

1–श्री विजेन्द्र आर्य, 2–श्री वीरेन्द्र सिंह, 3–श्री सीताराम निषाद, 4–श्री श्रीराम पाल, 5–श्री धर्मराज निषाद, 6–श्री रघुवर दयाल वर्मा, 7–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, 8–श्री राम अचल राजभर ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 पर अंकित वक्तव्य पढ़े हुए माने गये ।

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने गये)

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में "काला बन्दर" नामक आतंकवादी संगठन की गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री ओम प्रकाश चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[विगत लगभग कुछ समय से प्रदेश के नगर क्षेत्र गाजियाबाद, जनपद मीरापुर, मेरठ में हापुड़ व नोएडा क्षेत्र में रहस्यमय बन्दर रूपी मानव के आतंक के संबंध में विभिन्न स्रोतों से भिन्न घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त हो रही है ।

1–जनपद गाजियाबाद में इस संबंध में दिनांक 5-4-2001 को सर्वप्रथम थाना विजय नगर क्षेत्र में एक बन्दर द्वारा एक आदमी को घायल करने की सूचना प्रकाश में आयी । प्रारम्भिक छानबीन से यह स्पष्ट हुआ कि यह घटना वास्तविक बन्दर द्वारा की गयी थी । इस घटना के बाद लगभग 10-15 दिनों तक बन्दर का प्रकोप थाना विजयनगर के मोहल्ला कैलाशनगर, मिर्जापुर गांव एवं पुराना विजय नगर क्षेत्र मे बना रहा । इस दौरान प्रभावित व्यक्तियों एवं प्रत्यक्षदर्शियों से हुई बात-चीत के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि यह शुरुआती घटनायें वास्तविक बन्दर द्वारा की गयी थी । इन घटनाओं को इस क्षेत्र में काफी प्रचार एवं प्रसार मिला तथा बन्दर द्वारा काटने की एक सामान्य अफवाह प्रचलित हो गयी । जिला प्रशासन एवं नगर निगम ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए बन्दर पकड़ने के दस्ते बुलाकर कई बन्दरों को पकड़ कर क्षेत्र से बाहर कराया । परन्तु तब तक बन्दर द्वारा काटे जाने की बातें इतनी व्यापक हो गयी कि प्रायः हर चोट/खरोंच को बन्दर द्वारा काटे जाने की घटना का स्वरूप मिलने लगा । ऐसा प्रतीत होता है कि इस अफवाह का लाभ अज्ञात कारणों से कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा उठाया जाने लगा, और विभिन्न क्षेत्रों से अज्ञात बन्दरनुमा साये द्वारा खरोंच मारने की घटनाओं की सूचनायें मिलनी प्रारम्भ हो गयी ।

जनपद गाजियाबाद के नगर क्षेत्र एवं कस्बा मोदीनगर तथा नगर क्षेत्र से सटा हुआ कस्बा मसूरी में रहस्यमय बन्दर रूपी मानव द्वारा अब तक की रपटों विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल 80 घटनाओं की सूचना विभिन्न थानों पर मिली है । इनमें से 3 सूचनाओं पर हस्तक्षेपीय अपराध, 19 सूचनाओं पर अहस्तक्षेपीय अपराध पंजीकृत किये गये एवं 58 सूचनायें सामान्य प्रकृति की अथवा भ्रामक पायी गयी ।

उपरोक्त घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में अब तक 32 व्यक्तियों का चिकित्सकीय परीक्षण एस०एस०जी० चिकित्सालय, गाजियाबाद में कराया गया है, जिनके शरीर पर नुकीली वस्तु से खरोच के निशान होने पाये गये हैं । सर्वप्रथम चिकित्सकीय परीक्षण दिनांक 1-5-2001 को किया गया ।

मा० विधायक के पत्र में इस जनपद के कस्बा लोनी, थाना लोनी में श्री करुण सिंह पुत्र बाबूराम निवासी सौफुटा रोड, लक्ष्मी गार्डन लोनी, 2–राजकुमार पुत्र महेन्द्र सिंह, 3–श्रीमती मुन्नी पत्नी करण सिंह, 4–जीतू पुत्र गंगा शरण निवासीगण उपरोक्त 5–सुनील पुत्र बाबूराम निवासी विकासनगर कालोनी, लोनी गाजियाबाद, 6–पुत्तू पुत्र कमलेश राय निवासी विकास कुंज, लोनी, 7–संजय पुत्र कमलेश राय निवासी विकास कुंज कालोनी जनपद गाजियाबाद के हाथों व पैरों में मामूली खरोचें आने की सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी लेकिन जांच से इन घटनाओं की पुष्टि नहीं हो पायी । उक्त सभी घटनायें भ्रामक पायी गयी ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उपलब्ध सभी सूचनाओं के विश्लेषण से निम्न तथ्य प्रकाशित होते हैं :-

1-प्रमाणित घटनाओं में लगभग 95 प्रतिशत घटनायें मलिन बस्तियों अथवा निम्न मध्यम वर्गीय आबादी वाले क्षेत्रों में हुई हैं।

2-90 प्रतिशत से अधिक घटनायें रात्रि में विद्युत आपूर्ति के व्यवधान के समय अंधेरे में हुई हैं।

3-अधिकांश प्रकरणों में घायल व्यक्ति द्वारा कथित हमलावर को न देख पाना बताया गया है।

4-जिन प्रभावित व्यक्तियों द्वारा अज्ञात हमलावर को देखना बताया गया है उनके अनुसार उसके साये की ऊंचाई लगभग साढ़े चार फीट, भारी एवं डरावनी चेहरा, धड़ की तुलना में पैर छोटे तथा कुछ लोगों द्वारा शरीर पर बाल होने की बात भी बताई गई। इसकी चाल के संबंध में अधिकांश लोगों से ज्ञात हुआ कि यह उछल-उछल कर चलता है जबकि कुछ लोगों ने इसके द्वारा एक दो मंजिल ऊंची छलांग लगाना भी बताया। कुछ लोगों द्वारा बताया गया है कि इसके आने पर सरसराहट की आवाज सुनाई पड़ती है। किसी ने भी इसे बोलते अथवा बात करते नहीं देखा है। कहीं-कहीं इसके दोनों हाथों में नुकीले पंजे तो कहीं एक हाथ में नुकीले पंजे होने की बात कही गयी है। इन घटनाओं के तुरन्त बाद इसके आस-पास न दिखाई पड़ने की बात भी बताई जा रही है। सभी मामलों में पहुंचाई गई चोटों का स्वरूप सामान्य खरोंच मात्र है। कोई भी गम्भीर रूप से घायल नहीं हुआ है।

जिला प्रशासन गाजियाबाद द्वारा इन घटनाओं की रोकथाम एवं रहस्यमय मानव रूपी बन्दर का पता लगाने हेतु निम्नांकित व्यवस्थायें लागू की गयी हैं :-

(1) रात्रि में सभी प्रकार के दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही है।

(2) संवेदनशील क्षेत्र में रात्रि में सभी निर्गम मार्गों पर सभी आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है, चूंकि यह बताया जाता है कि इन असामाजिक नकाबपोश तत्वों की सहायतार्थ इनके इर्द-गिर्द भी कुछ वाहन चलते हैं।

(3) प्रभावित क्षेत्रों में जहां घटना की सूचना मिलती है वहां वर्दीधारी पुलिस के साथ-साथ सादा वस्त्रों में भी पुलिस को तत्काल पहुंचने के निर्देश दिये गये हैं तथा उनका पालन भी किया जा रहा है।

(4) घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल वहां स्ट्राइकिंग फोर्स को मौके पर पहुंचने एवं दूसरे पुलिस बल द्वारा घटना वाले स्थान के चारों ओर काम्बिंग करने की व्यवस्था की गयी है, जिससे यह असामाजिक तत्व घटना करने के पश्चात भागने न पायें।

(5) नगरीय क्षेत्र में खाली पड़े भवनों/अर्द्धनिर्मित भवनों/बन्द पड़ी फैक्ट्रियों आदि की सघन चेकिंग असामाजिक तत्वों के रुकने के ठिकानों का पता लगाने हेतु की जा रही है।

(6) बिना नम्बर के वाहनों की सघन चेकिंग करायी जा रही है।

(7) अपराधिक तत्व जो वर्तमान में जमानत पर जेल से बाहर है उनकी गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही है ।

(8) कुछ समाचार पत्रों में बढ़ा चढ़ाकर प्रकाशित की जा रही सूचनाओं का खण्डन भी किया जा रहा है ।

(9) प्रभावित क्षेत्रों में इन असामाजिक तत्वों की पहचान हेतु स्थानीय अभिसूचना तंत्र को भी लगाया गया है ।

(10) नगर क्षेत्र में फिक्स पिकेट, मोबाईल वाहनों द्वारा सघन गश्त करायी जा रही है एवं पुलिस की सहायतार्थ नगर क्षेत्र में 200 होमगार्ड्स भी व्यवस्थापित किये गये हैं ।

(11) पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से नगर क्षेत्र में गश्त की जा रही है एवं किसी भी घटना की सूचना मिलने पर तत्काल मौके का निरीक्षण भी किया जा रहा है ।

(12) नगर क्षेत्र में मोहल्ला सुरक्षा समितियों एवं नागरिक सुरक्षा संगठन को सक्रिय कर अपने-अपने मोहल्लों में रात्रि गश्त हेतु प्रेरित किया गया है ।

(13) नगर निगम गाजियाबाद के मेयर एवं सभासदों व प्रेस से वार्ता की गई है कि वह अपने क्षेत्र में प्राप्त होने वाली घटनाओं की सूचना तत्काल पुलिस कन्ट्रोल रूम को दें ।

(14) रहस्यमयी नकाबपोश/बन्दर द्वारा घायल किये जा रहे व्यक्तियों का जिला चिकित्सालय में परीक्षण एवं उपचार कराया जा रहा है ।

(15) इन घटनाओं के संबंध में पंजीकृत अहस्तक्षेपीय/हस्तक्षेपीय अभियोगों की विवेचना/जांच गम्भीरता एवं तत्परता से कराई जा रही है तथा उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है ।

2--उक्त संबंध में जनपद गौतमबुद्ध नगर के दादरी व नोएडा क्षेत्र में निम्न तिथियों को निम्न स्थानों पर घटनायें प्रकाश में आयी है :--

दादरी क्षेत्र में घटित घटनाओं का विवरण :--

(1) दिनांक 11-5-2001 को ग्राम छपरौला थाना दादरी में श्रीमती सरोज शर्मा के यहां रात्रि के समय बन्दरनुमा आदमी की मौजूदगी बतायी गयी जिसमें श्रीमती सरोज शर्मा के पोते विनीत शर्मा के पैर पर मामूली खरोंच आयी ।

(2) दिनांक 12-5-2001 को उक्त बन्दर (नकाबपोश) की मौजूदगी ग्राम गिरधरपुर में बतायी गयी परन्तु किसी घायल होने की सूचना नहीं मिली ।

(3) दिनांक 13-5-2001 को ग्राम धूम व कस्बा दादरी के मो० ठाकुरान में उक्त प्रकार के तथा कथित बन्दर की मौजूदगी बतायी गयी । मो० ठाकुरान में राजीव चौधरी पुत्र किशनपाल सिंह निवासी मौ० ठाकुरान के मामूली चोटें आयी थी जिसकी सूचना थाने पर मिली । इस संबंध में थाना दादरी पर एन० सी० आर० नं० 80/2001 धारा 323 भा०दं०वि० पंजीकृत की गयी । इसी रात में ग्राम धूम निवासी सिराजुद्दीन के भी मामूली चोट/खरोंच आयी थी ।

इसी रात्रि में मौ० गौतमपुरी एवं पंजाबियान में बन्दर उक्त की मौजूदगी व वहां पर जनता द्वारा कथित बन्दर की पिटाई करना बताया गया जहां पर कोई घायल होने की सूचना थाने पर प्राप्त नहीं हुई है।

(4) दिनांक 16-5-2001 को श्रीमती मेहरूनिशा पत्नी आस मोहम्मद निवासी मौ० मेवातियान दादरी के भी हाथ पर दिन में मामूली खरोंच आने की सूचना थाना दादरी पर प्राप्त हुई जिसके संबंध में थाना दादरी पर एनसीआर नं० 82/2001 धारा 323 भा०दं०वि० अंकित की गई है।

उपरोक्त घटनाओं की सूचना मिलने पर थाना दादरी पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर उक्त कथित बन्दर की तलाश की गई एवं उक्त घटनाओं को रोकने व उक्त रहस्यमयी का पता लगाने के संबंध में पुलिस गश्त/पिकेट एवं मोबाइल व्यवस्था और अधिक करा दी गई है तथा ग्रामों/मोहल्लों में बी०डी०एस/सुरक्षा समितियों का गठन कर मीटिंग कर इस ओर सचेत किया गया है। इसके अतिरिक्त थाना दादरी स्तर पर इस संबंध में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है जिसमें 3 उ० नि०, 2 हे० कां०, 7 आरक्षी नियुक्त किये गये हैं जो उक्त घटनाक्रम में समुचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

नोएडा क्षेत्र में घटित घटनाओं का विवरण

(1) दिनांक 1-5-2001 की रात्रि में नोएडा में सर्वप्रथम रहस्यमय बन्दर की अफवाह ग्राम विशुनपुरा एवं ग्राम खेड़ा थाना सेक्टर 58 में आयी। उक्त दोनों गांवों में मुख्य आबादी निम्न वर्ग की है, जो रात्रि में छत पर अथवा बाहर खुले में सोते हैं। ग्राम विशनपुरा में सच्चू गूजर ने अपने मकान में लगभग 40 गरीब व्यक्तियों को किराये पर रखा हुआ है जो रात्रि में छत पर सो रहे थे। रात्रि में आस-पास से काफी शोर मचने पर छत पर सोये हुये व्यक्तियों में भगदड़ गयी। उसी भगदड़ में रमन उम्र 30 वर्ष (जो सेक्टर 57 ब्लाक ए नं०–6, थाना सेक्टर 58 क्षेत्र में रजाई बनाने का फैक्ट्री में नौकरी करता था) की पक्के फर्श पर गिरने से माथे पर चोट लगी और दिनांक 14-5-2001 को सरकारी अस्पताल में इसकी मृत्यु हो गयी।

(2) दिनांक 15-5-2001 की रात्रि में रहस्यमय बन्दर की अफवाह ग्राम हरसैला थाना सेक्टर 20 में उड़ी। ग्राम हरौला में नसीम अन्सारी पुत्र श्री आलम अन्सारी निवासी बिहार प्रदेश, प्रिन्स अन्सारी पुत्र श्री शहनवाज अन्सारी निवासी बिहार मजदूरी का कार्य करते हैं और ग्राम हरौला के बालू वाली गली में रिषीपाल के मकान में रहते हैं। ये दोनों लड़के अन्य 28 किरायेदारों के साथ छत पर सो रहे थे रात्रि में अफवाह फैली कि इनकी छत पर रहस्यमय बन्दर है, इससे छत पर भगदड़ मची और उक्त दोनों व्यक्तियों की बांह में हल्की सी खरोंच के निशान पाये गये, परन्तु रहस्यमय बन्दर किसी को दिखाई नहीं दिया, लोगों का कहना है कि कोई आकृति थी, जो तुरन्त गायब हो जाती है।

इसी प्रकार की अफवाह ग्राम निठारी थाना सेक्टर 20,ग्राम महमूरा थाना सेक्टर 58 में भी उड़ी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 16-5-2001 की घटना के उपरान्त इस जनपद में कोई अन्य घटना प्रकाश में नहीं आयी है।

पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही

(1) इस संबंध में उन सभी गांव/क्षेत्रों में जहां लोग बाहर अथवा छतों पर सोते हैं, की बीट अलग-अलग बनाकर प्रत्येक बीट में एक-एक उपनिरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी रात्रि में लगातार गश्त कर रही है।

(2) नगर क्षेत्र में सभी चेतक/हाईवे पेट्रोल को अपनी-अपनी बीट में प्रभावी गश्त करने एवं रात्रि में सतर्कता रखने के निर्देश दिये गये हैं।

(3) नगर क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष एवं अधिकारीगण रात्रि गश्त सभी क्षेत्रों में कर रहे हैं।

(4) स्थानीय टी० वी० न्यूज चैनल व प्रेस के माध्यम से लगातार प्रचार कराया जा रहा है कि लोग झूठ अफवाहें न फैलायें।

(5) स्थानीय अभिसूचना इकाई को इन क्षेत्र में अभिसूचना एकत्र करने हेतु लगाकर रहस्यमय बन्दर के बारे में जानकारी कराने का प्रयास किया जा रहा है।

3–जनपद मेरठ में अभी तक कोई घटना घटित नहीं की गयी है।]

जनपद बदायूं में ग्राम नगला अजमेरी से मालपुर तक गंगा नदी के किनारे तटबन्ध के संबंध में श्री ओंकार सिंह यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीय सदस्य द्वारा अपनी उक्त सूचना में जनपद–बदायूं में ग्राम नगला अजमेरी से मालपुर तक तटबन्ध निर्माण के संबंध में विभिन्न बिन्दु उठाये गये हैं।

इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद–बदायूं की तहसील गुन्नौर व सहसवान गंगा नदी के बायें तट पर स्थित हैं। इन तहसीलों के लगभग 30 ग्राम एवं 5816 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि प्रतिवर्ष गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित होती है। इस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की 104 वीं बैठक में 16.50 किमी० लम्बे तटबन्ध के निर्माण की योजना रु० 325.00 लाख की स्वीकृत कराई गई थी। इस योजना पर वर्ष 1998-99 में रु० 14.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी। इस धनराशि में से रु० 10.00 लाख सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की को माडल स्टडी हेतु एवं रु० 4.00 लाख सर्वेक्षण कार्यों पर व्यय किये गये। इस तटबन्ध के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2000-2001 में रु० 15.00 लाख भूमि अधिग्रहण हेतु आवंटित किये गये।

उपरोक्त परियोजना लगभग 3 वर्ष पूर्व टी०ए०सी० की 104 वीं बैठक में स्वीकृत हुई थी। लगातार सामग्री एवं मजदूरी की दरों में वृद्धि होने के कारण योजना को पुनरीक्षित किया गया है। अब इसकी लागत रु० 576.00 लाख हो गई है और टी० ए० सी० की 120 वीं बैठक में पुनः अनुमोदित की गई है। साथ ही गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना से भी इसकी अनुमति प्राप्त हो गई है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में यह कार्य वित्तीय संसाधन जुटाने के उपरान्त ही सम्भव हो पायेगा जिसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं।]

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई के मल्लावां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु इंडिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में डा० धर्मज्ञ मिश्र द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई से आख्या प्राप्त की गयी जिसके अनुसार मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माधोगंज, मल्लावां एवं बिलग्राम तीन विकास खण्डों में मानक के अनुसार हैण्डपम्प प्रतिवर्ष लगाये जाते हैं, अब तक तीनों विकास खण्डों के ग्रामीण क्षेत्रों में 2684 तथा शहरी क्षेत्रों में 138 इण्डिया मार्क II हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं, इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों में पाइप पेय जल व्यवस्था भी है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो हैण्डपम्प इस समय खराब पड़े हैं उनकी मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है । इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी पेयजल संकट नहीं है और न ही जनपद स्तर पर इस प्रकार के संकट की कोई सूचना प्राप्त हुई है ।

जहां तक शासन द्वारा स्वीकृत 50-50 हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का प्रश्न है, वर्तमान में यह कार्य जल निगम से ही कराया जा रहा है, लेकिन जल निगम के अलावा दूसरी कार्यदायी संस्थाओं से हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का कार्य कराये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है तथा इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प के वास्तविक मूल्य निर्धारण के लिए शासन स्तर पर गठित विषय विशेषज्ञों की संस्तुति पर भी निर्णय लिया जायेगा ।

यह सही है कि निरन्तर भू-जल के दोहन से बहुत से क्षेत्रों का भू-जल स्तर नीचे जा रहा है जिससे स्थापित हैण्डपम्प भी प्रभावित होंगे इसके लिए शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं, कि जहां-जहां भी इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प खराब हैं उनका सर्वेक्षण कराकर तुरन्त उनकी मरम्मत एवं रिबोर कराने की कार्यवाही की जाय । मा० मुख्य मंत्री जी ने भी इन हैण्डपम्पों की मरम्मत युद्ध स्तर पर कराये जाने के लिए जल निगम को कठोर आदेश दिये हैं । और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जल निगम को धनराशि भी उपलब्ध करा दी गयी है ।

माननीय विधायक ने अपनी सूचना के माध्यम से यह सुझाव दिया है कि पेयजल की गम्भीर संकट में जहां भू-जल स्तर गिर रहा है तथा इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प का अधिष्ठापन 16,000 से 20,000 के लगभग है । छोटे-छोटे हैण्डपम्प जो रु० 2,000 के लगभग के हैं, लगा दिये जायें । इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि छोटे-छोटे हैण्डपम्प केवल प्रथम स्ट्रेटा तक ही पानी लेते हैं । गिर रहे भू-जल स्तर को दृष्टिगत रखते हुए तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए छोटे हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन उपयुक्त नहीं होगा, बल्कि इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प का अधिष्ठापन ही उपयुक्त है ।]

जनपद गोण्डा में विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर के अन्तर्गत आने वाले सभी फीडरों पर निर्धारित मानक के अनुरूप विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद–गोण्डा में दि० 1-5-2001 तथा 3-5-2001 को आई भयंकर आंधी, पानी एवं तूफान के कारण पूरे गोण्डा जनपद के अधिकांश क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी जिसे सतत् प्रयास

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कर अब लगभग सामान्य कर दिया गया है । उपखण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्ता मनकापुर में ही रहते हैं, आवश्यकतानुसार 33 के०वी० उपकेन्द्र मसकनवां तथा गोण्डा आदि स्थानों को जाते हैं ।

यद्यपि विद्युत आपूर्ति में आये स्थानीय व्यवधानों एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों के तत्काल निराकरण के सभी प्रयास किये जाते हैं परन्तु कर्मचारियों के कमी के कारण उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने में कभी-कभी विलम्ब हो जाता है । आंधी के कारण टूटे हुए पोल एवं क्षतिग्रस्त लाइनों में अधिकांश को, जिन्हें तत्काल उपलब्ध सामग्री से चालू किया जा सकता था, चालू कर दिया गया है एवं विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गई है । कुछ लाइनें जिनके पोल आदि टूटे हुए है अभी भी क्षतिग्रस्त हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने की कार्यवाही की जा रही है ।

मा० विधायक जी द्वारा दि० 2-4-2001 को मोतीगंज फीडर पर विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में दर्ज कराई गई शिकायत को उसी दिन 16.30 बजे ठीक कर दिया गया था तथा दि० 5-5-2001 को मा० विधायक जी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया था तथा दूरभाष पर अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गोण्डा से लाइनों के चालू न होने के सम्बन्ध में शिकायत की गई थी जिसके संदर्भ में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा 6-5-2001 मनकापुर उपकेन्द्र पर जाकर 11 के०वी० मोतीगंज फीडर की कमियों को दूर करा दिया गया है ।

अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उपकेन्द्रों का निरीक्षण किया जाता है तथा विद्युत आपूर्ति सामान्य बनाये रखने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये जाते हैं । अब तक मोतीगंज, बगदर, मसकनवां एवं रेहरा फीडर के अधिकांश क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति को सामान्य कर दिया गया है । शेष क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सामान्य करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।]

जनपद मऊ में पोस्टमार्टम हाउस होने के बावजूद स्टाफ के अभाव मे संचालित न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री वसीम अहमद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद–मऊ का सृजन, दो जनपदों, आजमगढ़ एवं बलिया के कुछ भू-भाग को मिलाकर किया गया है । नवसृजित जनपद–मऊ में जिला संयुक्त चिकित्सालय के परिसर में शव विच्छेदन गृह का निर्माण पूर्व में ही किया जा चुका है, किन्तु शव विच्छेदन गृह, गजट नोटिफिकेशन के अभाव में अभी क्रियाशील नहीं हो पाया है ।

शव विच्छेदन गृह को क्रिया शील कराये जाने हेतु राज्य चिकित्सा विधि विशेषज्ञ, उत्तर प्रदेश द्वारा इंगित उपकरणों की सूची पुलिस अधिक्षक, मऊ को उपलब्ध करा दी गई है । पुलिस विभाग द्वारा उपकरणों को प्राप्त कराये जाने तथा गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शव विच्छेदन गृह का गजट नोटिफिकेशन करने के उपरान्त ही मुख्य चिकित्साधिकारी, मऊ द्वारा स्थानीय स्तर पर अपेक्षित स्टाफ की व्यवस्था कर शव विच्छेदन का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।]

जनपद लखीमपुर और सीतापुर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क लखीमपुर-लहरपुर (सीतापुर) के चार कि०मी० क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० कौशल किशोर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

। लखीमपुर से लहरपुर मार्ग जनपद लखीमपुर एवं सीतापुर को जोड़ता है । इस मार्ग का कि०मी० 14.400 से 18.800 तक का भाग (4.400 कि०मी०) लगुचा ग्राम के पास से अचम्भेनाथ पुलिया तक

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला पंचायत खीरी के अधीन है एवं उनके द्वारा अनुरक्षित है । इस प्रकार उक्त मार्ग का ग्राम लगुचा के पास से अचम्भेनाथ पुलिया तक का भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है अतः इसके निर्माण/मरम्मत का दायित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है जब तक कि यह मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं आ जाता है ।]

जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत विधायक कोटे के ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बबूदू प्रसाद, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद चित्रकूट में वर्ष 1999-2000 में विद्युतीकरण हेतु निम्न पांच गांव प्रस्तावित थे । उक्त गांव के विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत प्राक्कलनों के आधार पर वांछित धनराशि नीचे अंकित ग्रामों के सामने अंकित की गई है ।

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०	ब्लाक/विकास खण्ड	प्राक्कलन की धनराशि
1	अगर हुण्डा	270228	मानिकपुर	12,71,496.00
2	इटवा डुडैला	.300346	मानिकपुर	11,14,408.00
3	सिरावल माफी	30046	रामनगर	8.10,757.00
4	बरहा कोटरा	100169	मऊ	4.85,288.00
5	सिकरौं	60107	मऊ	4,01,725.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम तीन ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु व्यय की जानी वाली धनराशि रु० 5 लाख की सीमा से अधिक है इसलिए उनका विद्युतीकरण नीति के अनुसार सम्भव नहीं है । शेष दो ग्रामों के विद्युतीकरण की धनराशि रु० 5 लाख से कम है इसलिए उनका विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है और दिनांक 30-6-2001 तक विद्युतीकृत कर दिये जायेंगे ।

वर्तमान नीति के अनुसार माननीय विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र के चयनित पांच ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु औसत व्यय प्रति ग्राम औसत 5 लाख रुपया है ।

क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिये जा रहे हैं कि माननीय विधायक जी से सम्पर्क करके उनसे अन्य तीन ग्राम ऐसे प्रस्तावित करने का अनुरोध कर लें जिनके विद्युतीकरण में औसतन रुपया 5 लाख का व्यय आये ।

माननीय विधायक जी द्वारा वर्ष 2000-2001 के लिए चयनित ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु यदि विधायक निधि से धन प्राप्त हो जाता है तो विद्युतीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी ।]

जनपद मथुरा में खाद्य रसद विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसमें निम्नांकित बिन्दु निहित है :–

1–उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है जांचोपरान्त मामले को दबा दिया जाता है एवं भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी को भ्रष्टाचार की खुली छूट देते हुए उसके विरुद्ध

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है। मा० सदस्य ने उदाहरण स्वरूप श्रीमती प्रवीण शर्मा-खन्ना, जिला पूर्ति अधिकारी, मथुरा का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि उनका स्थानान्तरण हुए लगभग एक माह होने को है परन्तु अभी तक उन्हें मथुरा से कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत जांचोपरान्त जो भी अधिकारी/कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाये जाते हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही बिना किसी प्रभाव अथवा भेदभाव के रहते की जाती है। जहां तक श्रीमती प्रवीण शर्मा-खन्ना, जिलापूर्ति अधिकारी, मथुरा को कार्यमुक्त किये जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा उन्हें दिनांक 18-5-2001 को उनके प्रतिस्थानी श्री आर० आर० पाल के आने पर मथुरा से कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा श्री पाल ने जिलापूर्ति अधिकारी, मथुरा के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

2-दूसरा बिन्दु मा० सदस्य द्वारा मिट्टी तेल थोक विक्रेताओं का कोटा बढ़ाये जाने एवं घटाये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि शासन को समय-समय पर विभिन्न जनपदों से जिलापूर्ति अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया जाता रहा है कि उनके जनपदों में नियुक्त मिट्टी तेल थोक विक्रेताओं का मिट्टी तेल का कोटा उस क्षेत्र विशेष के उपभोक्ताओं की मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। चूंकि उस क्षेत्र के मिट्टी तेल के रिटेलर्स को उस जनपद के दूरस्थ मिट्टी तेल थोक विक्रेता से सम्बद्ध किया गया है। अतः इस व्यवस्था में मिट्टी तेल के वितरण में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ मिट्टी तेल के पर्याप्त मात्रा में अनधिकृत/अवैध/व्यवर्तन/(डायवर्जन) होने की सम्भावनाएं तो रहती ही हैं, इसके साथ-साथ मिट्टी तेल की कमी बनी रहने से उपभोक्ताओं को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय द्वारा मिट्टी तेल के वितरण पर कराई गई "सिस्टम स्टडी" से यह तथ्य प्रकाश में लाये गये कि जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली सामग्री को उचित मूल्य पर निर्धारित मानक तथा निर्धारित समय अवधि में सुव्यवस्थित ढंग से वितरित कराने का है, किन्तु मिट्टी तेल जैसे अति संवेदनशील पेट्रोलियम प्रोडक्ट को क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुसार तेल कम्पनियों व मिट्टी तेल होल सेलर्स के डीलरों को नियुक्त तथा उनका कोटा बनाने में जिला प्रशासन की भूमिका गौण है, अर्थात् जिला प्रशासन को डीलरों का कोटा बनाने का दायित्व भी दिया जाना चाहिए क्योंकि जिला प्रशासन अपने जनपद की भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या आदि से भलीभांति भिज्ञ होता है। तेल कम्पनियां इन तथ्यों को संज्ञान में न लेकर थोक विक्रेताओं का कोटा निर्धारित करती है जिसके फलस्वरूप बढ़ी हुई परिवहन दर के कारण एक जनपद से दूसरे जनपद में मिट्टी तेल के मूल्य में भिन्नता हो जाती है। स्वाभाविक है कि बढ़े हुए मूल्यों का भार अन्तोगत्वा उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है जिसे नियंत्रित करने के लिए ही प्रदेश शासन ने अब नई व्यवस्था जनहित में लागू करते हुए शासनादेश संख्या-612/29-7-2001-एम143/2000, दिनांक 12 फरवरी, 2001, शासनादेश संख्या-817/29-7-2001-एम-143/2000, दिनांक 27 फरवरी, 2001, एवं शासनादेश संख्या-1498/29-7-2001-एम143/2000, दिनांक 24 अप्रैल, 2001 निर्गत किये गये हैं। शासन द्वारा लागू की गई नई व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद की क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप थोक विक्रेतावार आंवंटन करने से कतिपय थोक विक्रेताओं का कोटा कम हो गया तो कतिपय थोक विक्रेताओं का कोटा बढ़ गया जिसके फलस्वरूप जिस थोक विक्रेता को कोटा कम कर दिया गया, वह थोक विक्रेता असन्तुष्ट हो गया, किन्तु नई व्यवस्था को लागू करने से व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद की क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप थोक विक्रेता वार आवंटन करने से कतिपय थोक विक्रेताओं का कोटा कम हो गया तो कतिपय थोक विक्रेताओं का कोटा बढ़ गया जिसके फलस्वरूप जिस थोक विक्रेता

का कोटा कम कर दिया गया, वह थोक विक्रेता असन्तुष्ट हो गया, किन्तु नई वितरण व्यवस्था को लागू करने से मिट्टी तेल के फुटकर विक्रेताओं को तेल के उठान जहां दूरी कम हो गई उपभोक्ताओं को उचित मूल्य/मात्रा में मिट्टी का तेल उपलब्ध हो रहा है। साथ ही मिट्टी तेल की कालाबाजारी/डायवर्जन पर भी प्रभावी नियंत्रण हुआ है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार द्वारा उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ही मिट्टी तेल की नई वितरण व्यवस्था लागू करने से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 2001 को निर्गत करते हुए प्रदेश के 70 जनपदों में विभिन्न तेल कम्पनियों का कोटा क्षेत्र विशेष की आवश्यकता अनुसार निर्धारित करके लागू कर दिया गया है। यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारत सरकार की अपेक्षानुसार प्रदेश सरकार किसी भी तेल कम्पनी का कोटा उसके शेयरों को घटाया-बढ़ाया नहीं गया है।

3–"बेरी काण्ड" ब्लाक फरहा जनपद मथुरा से सम्बन्धित तथा उसके पूर्व के तथ्यों के सम्बन्ध में मा० सदस्य द्वारा दी गई सूचना के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि तत्कालीन जिलापूर्ति अधिकारी मथुरा श्री राम पलट पाण्डेय को "बेरी काण्ड" में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उन्हें तत्समय दिनांक 6-5-2000 को निलम्बित किया गया था। कालान्तर में उनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के आधार पर श्री पाण्डेय को दण्ड स्वरूप "परिनिन्दा प्रविष्टि" देकर दिनाक 3-10-2000 को निर्गत शासकीय आदेश द्वारा बहाल किया गया। यह कथन कि गोवर्धन आयल कम्पनी, गोवर्धन का कोटा न होने की वजह से जिले का आई० ओ० सी० का कोटा लैप्स हो गया, मान्य नहीं है, अपितु जनपद का माह मार्च, 2001 का मिट्टी का तेल का स्टैन्डर्ड आवंटन 1636 किलोलीटर का था जिसके सापेक्ष 1642 किलोलीटर मिट्टी का तेल आयल कम्पनियों से उठान हुआ। इस प्रकार जनपद का कोटा लैप्स होने की सूचना सही नहीं है।

4–मा० सदस्य द्वारा मा० सदन को यह सूचना दी गयी है कि अनुसूचित वस्तु उपभोक्ताओं को गेहूं एवं चावल के आवंटन की सूची मार्च, 2001 गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले उपभोक्ताओं तथा अप्रैल, 2001 की गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले उपभोक्ताओं की सूची फर्जी तैयार करके बढ़ाई गई, जो कि गरीबों को मिलने वाली सुविधा से उन्हें वंचित करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद मथुरा में सत्यापन से पूर्व गरीबी रेखा के 1,00,298 राशन कार्ड प्रचलित थे। शासन के निर्देशानुसार जनपद में बोगस राशन कार्डों के उन्मूलन हेतु चलाने गये अभियान के दौरान 9,465 राशन कार्ड गरीबी रेखा के निरस्त किये गये। इसके अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य तथ रसद विभाग, जिलापूर्ति अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये थे कि जो राशन कार्ड सत्यापन के दौरान निरस्त किये जा चुके हैं, उनके स्थान पर ऐसे पात्र व्यक्तियों को जिन्हें किन्हीं कारणवश पूर्व में राशन कार्ड प्राप्त नहीं हो सके थे, लक्षित सीमा के अन्तर्गत ही तत्काल राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये जाये। इस संबंध में तत्कालीन जिलापूर्ति अधिकारी, मथुरा द्वारा संबंधित उप जिलाधिकारियों तथा खण्ड विकास अधिकारियों को पत्र संख्या–171, दिनांक 12-2-2001 भेजा गया था। माह मार्च, 2001 में सर्वे कराकर पात्र परिवारों को गरीबी रेखा के 3308 एवं माह अप्रैल, 2001 में 669 राशन कार्ड उपलब्ध कराये गये। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है जिला प्रशासन मथुरा के स्तर पर बोगस राशन कार्ड बनाये जाने की कोई शिकायत जिलापूर्ति कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। इससे स्वतः स्पष्ट है कि गरीबी रेखा के उपभोक्ताओं की फर्जी सूची तैयार किये जाने की बात सत्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा सर्वे कराकर मार्च/अप्रैल, 2001 में कुल 3,977 बी० पी० एल० राशन कार्ड जारी किये गये, जोकि जनपद मथुरा के आवंटित बी० पी० एल० परिवारों की कुल संख्या के अन्तर्गत हैं। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि शासन स्तर से शासनादेश संख्या–1996/29-

खा–6–2000, दिनांक 19 जून, 2000 निर्गत करते हुए प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों/जिलापूर्ति अधिकारी को यह निर्देश दिये गये थे कि नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में अभियान चलाकर राशन कार्ड की जांच प्राथमिकता के आधार पर गम्भीरता से कराई जाये, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिलने वाला खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं उचित उपभोक्ताओं को ही मिल सकें । इसके अतिरिक्त शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में ए० पी० एल०/बी० पी० एल० राशन कार्डों में मुखिया का फोटो चिपका कर अभियान चलाकर बुकलेट फार्म में राशन कार्डों की जांच तथा सत्यापन किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसका अनुपालन प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बड़ी ही सतर्कता एवं प्राथमिकता के आधार पर किया गया है ।]

जनपद बहराइच और श्रावस्ती में स्वीकृत तथा अधूरे पड़े मार्गों का निर्माण शीघ्र न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य विधान सभा, डा० वकार अहमद शाह द्वारा जनपद बहराइच तथा श्रावस्ती में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे कतिपय कार्यों का उल्लेख करते हुये, कार्य अधूरे पड़े होने के कारण आवागमन में हो रही कठिनाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रभावी कार्यवाही कराने का अनुरोध किया गया है । मा० सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में उल्लिखित कार्यों की स्थिति निम्नवत् है :–

जनपद बहराइच

1–असम रोड से ग्राम अलिया बुलबुल की सड़क 2.2 कि०मी० स्वीकृत है, केवल पत्थर डाले गये और कुछ नहीं हुआ ।

यह मार्ग रिसिया जमाल सम्पर्क मार्ग के नाम से, वित्तीय वर्ष 1998-99 में जिला योजना (सामान्य) के अन्तर्गत 2.10 कि०मी० लम्बाई के लिये रुपया 17.56 लाख की लागत पर स्वीकृत है । इस कार्य पर रु० 4.21 लाख की धनराशि आवंटित है । इसके सापेक्ष 1.00 कि०मी० लम्बाई में टाप कोट का कार्य पूर्ण है । शेष कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

2–बहराइच–गोण्डा मार्ग से रसूलपुर–सरैया मार्ग पर केवल पत्थर डालकर काम बन्द हो गया ।

रसूलपुर–सरैया मार्ग की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1998-99 में जिला योजना (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) के अन्तर्गत 2.00 कि०मी० लम्बाई के लिये रु० 19.20 लाख की लागत पर स्वीकृत है । इस कार्य पर रु० 10.00 लाख की धनराशि आवंटित है । इसके सापेक्ष 1.00 कि०मी० लम्बाई में टाप कोट की कुटाई का कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

3–बहादुरपुर–सरदारपुर रोड पर अधूरे काम हुये हैं

यह मार्ग ताज खोदाई मार्ग से बहादुरपुर–सरदारपुर सम्पर्क मार्ग के नाम से वित्तीय वर्ष 1999-2000 में जिला योजना (सामान्य) के अन्तर्गत 1.00 कि०मी० लम्बाई के लिये रु० 8.38 लाख की लागत पर स्वीकृत है । इस मार्ग पर रु० 1.00 लाख की धनराशि आवंटित है, जिसके सापेक्ष 1.00 कि०मी० लम्बाई में सोलिंग का कार्य पूर्ण है । शेष कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद–श्रावस्ती

1–केशवपुर–पजावा रोड

बहराइच–भिन्गा–सिरसिया–चौधरीडीह मार्ग के कि०मी० 11 पर केशवापुर पजावा मार्ग की स्वीकृत वर्ष 1998-99 में जिला योजना [स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान] के अन्तर्गत 3.00 कि०मी० लम्बाई के लिये रु० 27.66 लाख की लागत पर स्वीकृत है । इस कार्य पर रु० 16.21 लाख का आवंटन हुआ है, इसके सापेक्ष 3.00 कि०मी० में कुटाई स्तर तक कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

2–बन्तवारा–डहरू मार्ग

बंसवारा डोहरू मार्ग लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित नहीं है । मार्ग के स्वामित्व के बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है ।

3–बरहुआ–बढौली रोड

बरहुआ–बदरौला मार्ग लोक निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है । मार्ग के स्वामित्व के संबंध में स्थिति ज्ञात की जा रही है ।

4–बहराइच–भिन्गा रोड से नेवरिया 1 कि०मी० स्वीकृत, बनायी गयी केवल आधा कि०मी० ।

नवरिया सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति जिला योजना (एस०सी०पी०) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1998-99 में 1.00 कि०मी० लम्बाई के लिये रु० 9.22 लाख की लागत पर स्वीकृत है । मार्ग पर 500 मीटर में लेपन का कार्य पूर्ण है तथा ग्राम जुड़ गया है । आगे भूमि उपलब्ध नहीं है ।

5–गिलौला से श्रावस्ती सम्पर्क मार्ग पर नगरिया नाला पर दोनों तरफ सड़क नहीं बनाई गयी है ।

जनपद श्रावस्ती (बहराइच) में गिलौला–भिन्गा मार्ग पर नगरिया नाले पर वित्तीय वर्ष 1998-99 में आर०आई०डी०एफ० फेज–4 योजना के अन्तर्गत 38.60 मीटर लम्बाई के पुल एवं 400 मीटर पहुंच मार्ग की स्वीकृति कुल लागत रु० 54.00 लाख की लागत पर स्वीकृत है । मुख्य सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । सेतु का निर्माण 48 मीटर लम्बाई का किया गया है जिससे सेतु की निर्माण लागत ज्यादा होने के कारण पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है । सेतु का पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत होने पर पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो सकेगा ।]

नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत जमीनों का मुआवजा दिये जाने में एक करोड़ से ऊपर के प्रस्तावों हेतु जिलाधिकारी को अधिकृत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[श्री नवाब सिंह नागर, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत जमीनों का मुआवजा करार नियमावली, 1997 के तहत समझौते के आधार पर किसानों को दिया जा रहा है । इसमें प्राधिकरण व किसान निश्चित दर पर समझौता कर प्रतिकर तय करते हैं । उस दर पर एवार्ड हेतु प्रस्ताव डी०एम० को भेजा जाता है,

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इसमें डी०एम० को अपने विवेक का कोई उपयोग न कर केवल औपचारिकता मात्र कर अवार्ड की स्वीकृति प्रदान की जाती है किन्तु अभी कुछ समय पूर्व राजस्व विभाग ने एक करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव राजस्व बोर्ड को भेजने के निर्देश दिये हैं जिसमें अनावश्यक रूप से लम्बा समय लगता है और किसानों को भारी असुविधा हो रही है । इस अवार्ड की औपचारिकता के लिये डी०एम० को अधिकृत नहीं करने से शासन व प्रशासन के प्रति भारी रोष व असन्तोष व्याप्त है, पर वक्तव्य की मांग की गई है ।

उल्लेखनीय है कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित की धारा–11 के अन्तर्गत एवार्ड्स की घोषणा के निमित्त अधिकारों का प्रतिनिधायन शासनादेश दिनांक 02 सितम्बर, 1994 द्वारा किया गया है । वर्णित शासनादेश के अनुसार रुपये एक करोड़ तक की धनराशि के अभिनिर्णय की जांच एवं पूर्वानुमोदन जिलाधिकारी द्वारा रुपये एक करोड़ से अधिक किन्तु पांच करोड़ रुपये तक की धनराशियों के अभिनिर्णयों पर जांच एवं पूर्वानुमोदन संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा तथा रुपये पांच करोड़ से ऊपर के अभिनिर्णयों के मामलों की जांच एवं पूर्वानुमोदन भूमि अध्याप्ति निदेशालय के माध्यम से राजस्व परिषद् द्वारा प्रदान किया जाता है ।

प्रकरण में न्याय विभाग के परामर्शानुसार धारा–11(2) भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत यद्यपि प्रतिकर की धनराशि के संबंध में संबंधित सरकार से पूर्वानुमति लेने की व्यवस्था नहीं है तथापि निचले स्तर पर प्रतिकर के भुगतान में किसी प्रकार की दुरभि संधि अथवा अधिकारों के दुरुपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से समझौते के आधार पर भी प्रतिकर की धनराशि तय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी/सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने का परामर्श दिया गया था । इस व्यवस्था को शासनादेश दिनांक 24 जनवरी, 2001 द्वारा लागू किया गया है अर्थात् उक्त शासनादेश दिनांक 2 सितम्बर, 1994 की व्यवस्था की भांति ही धारा–11 (2) के अन्तर्गत भी एवार्ड्स घोषित किये जाने का अधिकार प्रतिनिधानित हैं ।

राजस्व परिषद् को पांच करोड़ से ऊपर के ही अभिनिर्णयों की घोषणा के पूर्वानुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजे जाते हैं ।]

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा गंगानगर तथा नगलाताशी के किसानों की अधिगृहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई कि गंगा नगर के किसानों को मुआवजा कई वर्षों बाद भी नहीं मिला और मा० आवास मंत्री जी ने 8 माह पूर्व आयुक्त एवं जिलाधिकारी, मेरठ को यह आदेश दिया था कि किसानों के साथ वार्ता कर आपसी सहमति से मुआवजा दर व राशि तय करके भुगतान की प्रक्रिया की जाय । किन्तु अभी तक यह प्रक्रिया परिणाम को प्राप्त न होने से किसानों में घोर असन्तोष है ।

इसी प्रकार नगलाताशी के किसानों की वर्ष 1987 में जमीन अधिग्रहीत हुई किन्तु अन्त में वर्ष 1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अभी तक 130 किसानों को मुआवजा नहीं मिला

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

तथा दूसरी ओर 72 किसानों के विरुद्ध रिकवरी निकाल दी गई है । 130 किसान बरबादी की कगार पर है ।

मा० सदस्य की उपरोक्त सूचना पर मा० आवास एवं नगर विकास मंत्री जी को वक्तव्य देने के निर्देश दिये गये हैं जो दिनांक 24-5-2001 को निर्धारित है । मेरठ विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :–

(1) मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा नगर आवासीय योजना हेतु ग्राम कसेरू बक्सर की 236.34 एकड़ तथा अब्दुल्लापुर की 207.17 एकड़ अर्थात कुल 443.51 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन अधिनियम 1984 के अन्तर्गत धारा–4 (1)/17 एवं धारा–6(1)/17 की विज्ञप्तियां क्रमशः दिनांक 14-8-87 एवं दिनांक 4-9-87 को प्रकाशित हुई थी ।

(2) प्रश्नगत अर्जनाधीन भूमि का कब्जा कलेक्टर (भूमि अर्जन)/एस०एल०ए०ओ० मेरठ से दिनांक 11-7-88 व 01-8-88 को प्राप्त हुआ ।

(3) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर कलेक्टर (भूमि अर्जन) मेरठ की मांग/अभिनिर्णय के आधार पर रुपये 10,33,03,012.77 प्रतिकर के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

(4) उल्लेखनीय है कि अभिनिर्णय में भूमि का बाजार मूल्य रुपये 29.75 निर्धारित किया गया था जिसमें सोलेशियम, अतिरिक्त धनराशि, ब्याज इत्यादि की धनराशि को जोड़ते हुए अभिनिर्णित धनराशि रुपया 9,62,48,975.00 निर्धारित की गई थी ।

(5) उक्त के अतिरिक्त गंगानगर फेस–2 हेतु ग्राम अब्दुल्लापुर की 246.931 एकड़ के संबंध में भी भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत धारा–4(1)/17 एवं धारा–6(1)/17 की विज्ञप्तियां क्रमशः दिनांक 6-2-90 एवं 7-3-90 को प्रकाशित हुई थी तथा अभिनिर्णय रुपये 29.75 प्रति वर्ग गज की दर से दिनांक 17-3-92 को प्रकाशित हुई थी तथा अभिनिर्णय रुपये 29.75 प्रति वर्ग गज की दर से दिनांक 17-3-92 को घोषित हुआ जिसके अनुसार कृषकों के वितरण हेतु कलेक्टर (भूमि अर्जन) द्वारा रुपये 5,54,30,082.21 की मांग की गयी (जिसमें पंजीकृत मूल्य व भूमि अर्जन व्यय शामिल नहीं है) इस धनराशि के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा रुपये 5,32,00,000/–कलेक्टर (भूमि अर्जन) को उपलब्ध करा दिये गये हैं ।

(6) उक्त उपलब्ध करायी गयी धनराशि रुपये 5,32,00,000/–में से जनपद न्यायालय द्वारा रुपये 4,41,69,469.28 की धनराशि कुर्क करके उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् की इजरायों में भुगतान कर दी गयी ।

(7) इस प्रकरण के चलते मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया प्राधिकरण ने गंगानगर (एक्सटेंशन) योजना के लगभग 205 एकड़ के परित्याग का भी प्रस्ताव बनाया है ताकि उन किसानों को प्रतिकर भुगतान की समस्या का निराकरण हो सके । प्रस्ताव का न्याय विभाग के परामर्श से परीक्षण किया जा रहा है ।

(8) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा अभिनिर्णय के अनुसार प्रतिकर के मद में देय धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

(9) कदाचित कलेक्टर (भूमि अर्जन) मेरठ कार्यालय से कुछ धनराशि किसी अन्य योजना में वितरित कर दी गयी है क्योंकि जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा अपने पत्र संख्या–2093 दिनांक

5-3-2001 द्वारा रुपये 14,03,395.13 तथा द्वितीय चरण हेतु रुपये 5,28,229.55 की मांग की है जिसे प्राधिकरण द्वारा 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराया जा रहा है ।

(10) योजना से प्रभावित काश्तकारों द्वारा कलेक्टर (भूमि अर्जन) मेरठ के अभिनिर्णय द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से सन्तुष्ट न होने के कारण भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 18 के अन्तर्गत सन्दर्भवाद योजित किये हैं जो मा० दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है । माननीय न्यायालय द्वारा जो भी दर अन्तिम रूप में निधारित की जायेगी उसी के अनुरूप प्रतिकर की धनराशि (यदि देय होगी) दी जायेगी ।

(11) उल्लेखनीय है कि आवास एवं नगर विकास मंत्री जी द्वारा मेरठ आगमन पर मेरठ विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते समय यह निर्देश दिये गये थे कि किसानों से सीधे बातचीत करके प्रतिकर की धनराशि की दरों के संबंध में समझौता करने का प्रयास किया जाये जिससे कि दोनों पक्ष मंहगी व लम्बी कानूनी प्रक्रिया (मुकदमेंबाजी) से बच सकें ।

(12) प्राधिकरण बोर्ड की 62वीं बैठक दिनांक 19-10-2000 में भी यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया । इस संबंध में विचारोपरान्त जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति गठित की गई है जिसमें मा० विधायक, मेरठ शहर श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा मा० विधायक मेरठ कैन्ट श्री अमित अग्रवाल भी सदस्य नामित किये गये हैं । समिति की अनेकों बैठकें हो चुकी हैं परन्तु कोई सर्वमान्य समझौता न हो पाने के कारण समझौता की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है ।

(13) जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा वार्ता के समय कृषकों को अवगत करा दिया गया था कि समस्त देयों सहित नोएडा एवं ग्रेटर (जो दिल्ली के अतिनिकट है) में अभी भी लगभग रुपया 190/–प्रति वर्ग मीटर से भूमि क्रय कर रहा है, जबकि उस भूमि की मांग भी अधिक है ।

(14) जहां तक गंगा नगर योजना के कृषकों द्वारा नगलाताशी की दरों के आधार पर प्रतिकर धनराशि की मांग का प्रश्न है, के संबंध में अवगत कराना है कि इन दोनों गांवों की बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है, इसलिए यह मांग न्यायोचित नहीं है कि गंगा नगर के काश्तकारों को भी नगलाताशी के काश्तकारों के लिए निर्धारित दर से प्रतिकर की धनराशि का भुगतान किया जाये ।

(15) प्राधिकरण की श्रृद्धापुरी एक्सटेंशन (डिफेन्स इन्क्लेव, श्रृद्धापुरी फेज–2 एवं सैनिक बिहार) योजनान्तर्गत ग्राम नगलाताशी कासिमपुर की 398.86 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था जिसके लिए धारा–4 व 6 की विज्ञप्तियां क्रमशः दिनांक 14-8-87 व दिनांक 4-9-87 को निर्गत होकर दिनांक 22-2-90 को अभिनिर्णय व कब्जे की कार्यवाही हुई थी ।

(16) नगलाताशी की उक्त अर्जित भूमि में अभिनिर्णय की दरें रु० 50/–प्रति वर्ग गज निर्धारित हुई थी जिसके अनुसार प्रतिकर की वह धनराशि जो कृषकों को देय थी वह रुपया 14,92,95,509.10 थी, जबकि माननीय जनपद न्यायालय में यह दरें बढ़ाकर रुपया 240/–प्रति वर्ग गज निर्धारित की तथा इन्हीं दरों के आधार पर लगभग 84 वादों में जनपद न्यायालय ने राज्य सरकार के खाते कुर्क करके व्यापार कर विभाग की लगभग रुपया 41,89,99,477.46 की धनराशि कृषकों में वितरित कर दी गयी ।

(17) माननीय जनपद न्यायालय के दर बढ़ोत्तरी के निर्णय के विरुद्ध प्राधिकरण की याचिका पर नगलाताशी की उक्त दरों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन करते हुए रु० 240/–के स्थान पर रु० 75/–प्रति वर्ग गज निर्धारित किया ।

(18) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दोनों पक्षों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिकायें प्रस्तुत की गई । अन्ततोगत्वा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को संशोधित करते हुए भूमि की दरें रुपया 175/–प्रति वर्ग गज निर्धारित की । इसी आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा यह भी व्यवस्था दी गई कि प्राधिकरण उक्त बढ़ी हुई धनराशि को आवंटियों से वसूल कर सकता है ।

(19) प्राधिकरण द्वारा शासन की अनुमति के उपरान्त माननीय उच्चतम न्यायालय में आई०ए० दाखिल की गई, जिसमें मा० न्यायालय के समक्ष प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति एवं बैलेंसशीट प्रस्तुत करते हुए यह स्थिति रखी गई कि चूंकि प्राधिकरण द्वारा बढ़े हुए प्रतिकर की धनराशि का भुगतान वर्तमान परिस्थितियों में किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है । इसलिए प्राधिकरण को भुगतान हेतु कुछ समय दिया जाये । चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बढ़े हुए प्रतिकर की धनराशि को आवंटियों से वसूले जाने का अधिकार दिया था इसलिए प्राधिकरण द्वारा एक योजना भी इस आशय की प्रस्तावित की गई कि प्रत्येक योजना में जैसे-जैसे आवंटियों से धनराशि वसूल होती जायेगी वैसे-वैसे उस धनराशि को कृषकों के वितरण हेतु ग्रामवार अलग-अलग खातों में जमा कर वितरित कर दी जायेगी । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर सुनवाई करने के उपरान्त यह आदेश पारित किये गये चूंकि आदेश दिनांक 30-4-97 के अन्तर्गत आवंटियों से बढ़े हुए प्रतिकर की धनराशि को वसूल किये जाने की व्यवस्था कर दी गई है इसलिए अन्य किसी आदेश को दिये जाने की आवश्यकता नहीं है । यह आदेश माननीय न्यायालय द्वारा 7 अगस्त, 2000 को पारित किये गये ।

(20) प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में आवंटियों को बढ़ी हुई धनराशि जमा करने हेतु नोटिस भेजे गये । नोटिस में गणना आदि के संबंध में आपत्तियां प्राप्त होने पर विचारोपरान्त दोबारा नोटिस भेजे गये परन्तु आवंटियों द्वारा फिर भी धनराशि जमा न किये जाने के कारण विवश होकर वसूली प्रमाण-पत्र भेजने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

(21) आवंटियों की एक समिति "डिफेंस इन्क्लेव रेजिडेन्ट को-आपरेटिव सोसाइटी" द्वारा वसूली की कार्यवाही के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करके प्राधिकरण के विरुद्ध स्थगत आदेश दिनांक 3-11-2000 को प्राप्त कर लिया है । इसी प्रकार श्रृद्धापुरी II के आवंटियों द्वारा भी माननीय उच्चतम न्यायालय से बढ़े हुए प्रतिकर की धनराशि की वसूली के विरुद्ध दिनांक 8 मई, 2001 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है ।

(22) इस प्रकार प्राधिकरण के सामने विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है क्योंकि एक तरफ जहां बढ़े हुए प्रतिकर की धनराशि को आवंटियों से लेकर भुगतान करने हेतु प्राधिकरण पर लगातार दबाव बढ़ रहा है । वहीं दूसरी ओर आवंटियों द्वारा वसूली विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाने के कारण अब प्राधिकरण धनराशि वसूल नहीं कर पा रहा है । प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष जब यह स्थिति रखी गई तब प्राधिकरण बोर्ड द्वारा बढ़े हुए प्रतिकर के मद में वांछित धनराशि रुपये 125 करोड़ शासन से मांगने हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया गया ।

(23) जनपद न्यायालय द्वारा नगलाताशी ग्राम के प्रतिकर की धनराशि अप्रत्याशित रूप से बढ़ाकर राज्य सरकार के व्यापार-कर के खाते से धनराशि अनियमित व अवैधानिक रूप से भुगतान

कर दी गई जिसकी जांच माननीय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा की जा रही है। इस अवैधानिक एवं अनियमित रूप से बढ़ायी हुई धनराशि की वसूली की कार्यवाही विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जिलाधिकारी, मेरठ के स्तर से की जा रही है।

(24) अतः उपरोक्त सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण द्वारा रुपये लगभग 125 करोड़ की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध दिनांक 15-5-2001 को किया गया है ताकि भुगतान किया जा सके। इसका परीक्षण कराया जायेगा।]

जनपद हमीरपुर के लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय को चित्रकूट धाम मण्डल के अर्न्तगत स्थापित किये जाने के संबंध में श्री रामाधार सिंह द्वारा नियम 51 के अर्न्तगत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[लोक निर्माण विभाग के कार्यकलापों के प्रबन्धन में दक्षता लाने, वृत्तों/खण्डों में कार्य एवं स्थापना व्यय में अपेक्षित अनुपात बनाये रखने के उद्देश्य से मैदानी एवं पर्वतीय खण्डों के वार्षिक कार्यभार के मानक को भली-भाति विचार करने के बाद शासन के आदेश दिनांक 4-2-99 द्वारा मैदानी क्षेत्र के सिविल खण्डों, पर्वतीय क्षेत्र के सिविल खण्डों, सिविल अनुरक्षण खण्ड तथा विद्युत/यांत्रिक खण्डों के लिये क्रमशः 6-00, 4-00 तथा 3-00 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष मानक निर्धारित करने तथा निर्माण कार्यों के लिये स्थापना व्यय को 12 प्रतिशत तथा अनुरक्षण कार्यों के लिये 15 प्रतिशत सीमित करने का निर्णय लिया गया था। इसी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वृत्तों/खण्डों के पुनर्गठन के फलस्वरूप निर्माण खण्ड–3, उरई को फालतू खण्ड घोषित किया गया।

पुनर्गठन के पूर्व व उसके बाद बांदा वृत्त व उरई वृत्त के अन्तर्गत खण्डों की संख्या नीचे दी जा रही है :

पुनर्गठन के पूर्व (बांदा वृत्त, बांदा)	पुनर्गठन के पश्चात् (बांदा वृत्त, बांदा)
1–प्रान्तीय खण्ड, बांदा	1–प्रान्तीय खण्ड, बांदा
2–निर्माण खण्ड–1, बांदा	2–निर्माण खण्ड–1 (प्र० प) बांदा
3–प्रान्तीय खण्ड, हमीरपुर	3–प्रान्तीय खण्ड, कर्वी (चित्रकूट)
4–निर्माण खण्ड–1, हमीरपुर	4–अस्थाई खण्ड (प्र० प) चित्रकूट धाम (तकनीकी कोष्ठ–12, झांसी को स्थानान्तरित करके लाया जाना प्रस्तावित है)
5-प्रान्तीय खण्ड, महोबा	5-प्रान्तीय खण्ड, महोबा
6–प्रान्तीय खण्ड, कर्वी	

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुनर्गठन के पूर्व (उरई वृत्त, उरई)	पुनर्गठन के पश्चात (उरई वृत्त, उरई)
1–प्रान्तीय खण्ड, उरई	1–प्रान्तीय खण्ड, उरई
2–निर्माण खण्ड–2, उरई	2–निर्माण खण्ड–2 (प्र०प) उरई
3–निर्माण खण्ड–3, उरई	3–प्रान्तीय खण्ड, हमीरपुर
(पुनर्गठन के फलस्वरूप फालतू घोषित)	4–निर्माण खण्ड–1 (प्र०प) हमीरपुर

स्पष्ट है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप उरई वृत्त के अन्तर्गत दो ही खण्ड रह गये थे एवं बांदा वृत्त के अन्तर्गत 06 खण्ड थे । कार्यों के सुचारु रूप से चलाने के लिये बांदा वृत्त के हमीरपुर जनपद के दो खण्डों को उरई वृत्त के अन्तर्गत कर दिया गया है एवं दोनों वृत्तों का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है ।

माननीय विधायक जी का यह कथन सही है कि जनपद हमीरपुर, चित्रकूट धाम मंडल के अन्तर्गत आता है परन्तु लोक निर्माण विभाग में चित्रकूट धाम मंडल तथा बुन्देलखण्ड मंडल, दोनों ही झांसी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं तथा दोनों मण्डलों हेतु मुख्य अभियन्ता झांसी का ही कार्यक्षेत्र है । बांदा तथा उरई वृत्त दोनों ही वृत्त झांसी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं । अतः इस चिन्ता का समुचित आधार नहीं है कि जनपद हमीरपुर का निराकरण विकास उरई वृत्त के कारण अवरुद्ध हो रहा है । ।

वर्ष 2000-2001 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नयी परियोजनाओं का निर्माण प्रदेश के समस्त जनपदों में रोक दिये जाने विषयक दिनांक 1 मई, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 नत्थी (ख) के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी व अन्य द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन

प्रदेश में फर्जी चिकित्सकों की गतिविधियों से निपटने के लिये वर्तमान कानून के स्थान पर कोई नया कानून बनाये जाने विषयक दिनांक 9 मई, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 नत्थी (ख) के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–49 के अर्न्तगत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 22 एवं 23 पर स्थगन का अनुरोध आया है इसलिये इसको स्थगित किया जाता है ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे तक के लिये ।

इसके बाद सदन का उपवेशन 2 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 24 मई, 2001

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

पी०एस०यू०पी०–एल० 407 विधान सभा (111)–2003–500 (डी०टी०पी०) ।